Current Affairs

Connect Civils RAS

IAS RAS

प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए इंटीग्रेटेड करंट अफेयर्स मासिक पत्रिका

नवंबर 2025

Index

Polity..3

Topic 1 - निष्पादन याचिका (Execution Petitions)..............3

Topic 2 - भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की नियुक्ति.................4

Topic 3 - संवैधानिक नैतिकता की रूपरेखा..............................5

Topic 4 - भारत में कानूनी सहायता तंत्र को मज़बूत करना............7

Topic 5 - अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021...........................8

Topic 6 - भारत का लोकपाल (Lokpal of India).................10

Topic 7 - निर्वाचन नामांकन प्रक्रिया में सुधार..........................11

Topic 8 - आदर्श आचार संहिता (MCC)..................................13

Topic 9 - भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की दो नई केडर योजना..15

Topic 10 - व्हाइट-कॉलर आतंकवाद का खतरा: उग्रवाद का नया स्वरूप..16

IR..18

Topic 1 - भारत-भूटान संबंध..18

Topic 2 - भारत–स्पेन संबंध...19

Topic 3 - भारत–अमेरिका 10-वर्षीय रक्षा रूपरेखा..................20

Topic 4 - प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी (MNNA).........................21

Topic 5 - भारत–आसियान शिखर सम्मेलन 2025...................23

Topic 6 - ब्रिक्स पे (BRICS Pay)...24

Topic 7 - भारत और नई परमाणु व्यवस्था.............................26

Topic 8 - प्रथम बिम्सटेक-भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क (BIMReN) सम्मेलन..28

Topic 9 - वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) की परिसंपत्ति पुनर्प्राप्ति पर नई वैश्विक गाइडलाइन...28

Topic 10 - दोहा राजनीतिक घोषणा पत्र.................................30

Economy...31

Topic 1 - बैंकिंग विनियमों का पुनर्निर्धारण.............................31

Topic 2 -भारत का विनिर्माण: भविष्य की पुनर्कल्पना (2026–2035 रोडमैप)..32

Topic 3 - वित्तीय क्षेत्र (Financial Sector).........................34

Topic 4 - सीपीआई आवास सूचकांक (CPI Housing Index).36

Topic 5 - घरेलू आय सर्वेक्षण 2026....................................37

Topic 6 - अत्यधिक (चरम) गरीबी (Extreme Poverty).........39

Topic 7 - दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता..................40

Topic 8 - भारत का आईटी स्वप्न: एक मोड़ पर.......................41

Topic 9 - कृषि पुनर्कल्पना पर रिपोर्ट..................................42

Topic 10 - सार्वभौमिक बुनियादी आय (Universal Basic Income - UBI)...44

Topic 11 - राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (NIC) 2025..............46

Govt Schemes...47

Topic 1 - पीएम-श्री स्कूल (PM-SHRI Schools)..................47

Topic 2 - युवा एआई फॉर ऑल पहल...................................48

Topic 3 - भारत टैक्सी: भारत की पहली सहकारी कैब सेवा.........48

History...50

Topic 1 - ज्ञान भारतम् मिशन..50

Topic 2 - विजयनगर काल की स्वर्ण मुद्राएँ...........................51

Topic 3 - मेरठ बग़ल (Meerut Bugle)................................52

Science and Technology..53

Topic 1 - AI सामग्री लेबलिंग..53

Topic 2 - भारत के नए एआई शासन दिशा निर्देश...................54

Topic 3 - प्रोजेक्ट सनकैचर: अंतरिक्ष-आधारित एआई डेटा केंद्रों के लिए गूगल का विज़न...56

Topic 4 - क्वांटम इकोज़ एल्गोरिदम...................................57

Topic 5 - क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन (QKD) नेटवर्क...................57

Topic 6 - क्या भारत को पोषण में रूपान्तरण की आवश्यकता है?.59

Topic 7 - बिरसा 101 जीन थैरेपी (BIRSA 101 Gene Therapy)..60

Topic 8 - राष्ट्रीय प्रतिजैविक प्रतिरोध पर कार्य योजना 2.0 (NAP-AMR 2.0)..61

Topic 9 - अल्टरमैग्नेटिज़्म (Altermagnetism)..................62

Topic 10 - भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह......................63

Topic 11 - स्टारलिंक (Starlink)......................................64

Topic 12 - सेंटिनल-6B उपग्रह...65

Topic 13 - आईएनएस इक्षक (INS Ikshak).........................66

Environment & Geography..67

Topic 1 - UNFCCC का 30वाँ कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ (COP30).. 67

Topic 2 - वैश्विक शीतलन निगरानी रिपोर्ट 2025....................68

Topic 3 - वैश्विक मीथेन स्थिति रिपोर्ट 2025.........................69

Topic 4 - क्लाउड-सीडिंग (Cloud-Seeding).........................70

Topic 5 - यूएनईपी अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2025 – “रनिंग ऑन एम्प्टी”...71

Topic 6 - ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी (TFFF) पहल... 73

Topic 7 - CITES रिपोर्ट..74

Topic 8 - ‘#23for23’ पहल..75

Topic 9 - रोमारी–डोंदुवा आर्द्रभूमि परिसर...........................75

Topic 10 - प्रोजेक्ट चीता (Project Cheetah)....................76

Topic 11 - पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance).........77

Topic 12 - बिहार की गोगाबील झील...................................78

SMA, SBL and Ethics..80

Topic 1 - ग्रामीण शिक्षा और युवा प्रवासन............................80

Topic 2 - भारतीय दर्शन में पर्यावरणीय नैतिकता....................81

Topic 3 - सिविल सेवाओं में लैंगिक प्रतिनिधित्व में अंतराल..........82

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

Topic 4 - भारत में ट्रांसजेंडर अधिकार.....84
Miscellaneous.....86
Topic 1 - खाद्य और कृषि की स्थिति (The State of Food and Agriculture).....86
Topic 2 - वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025.....87
Topic 3 - पूर्वी प्रचंड प्रहार – त्रि-सेवा अभ्यास.....89
Topic 4 - ऑपरेशन त्रिशूल (Operation Trishul).....89
Topic 5 - मालाबार अभ्यास 2025.....90
Topic 6 - ICA विश्व सहकारिता मॉनिटर 2025.....91

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

Polity

Topic 1 - निष्पादन याचिका (Execution Petitions)

Syllabus	शासन प्रणाली और संविधान | न्यायपालिका
संदर्भ	भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक निर्णयों के क्रियान्वयन में अत्यधिक विलंब पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। देशभर में लगभग **8.82 लाख निष्पादन याचिकाएँ लंबित** हैं - जो न्याय वितरण प्रणाली में गंभीर संकट को दर्शाती हैं।
निष्पादन याचिकाएँ क्या हैं?	❖ **निष्पादन याचिकाएँ (Execution Petitions)** वह औपचारिक आवेदन होती हैं जो मुकदमे में विजेता पक्ष (डिक्री-धारक) द्वारा निष्पादक न्यायालय (Executing Court) में दायर की जाती हैं ताकि न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश (Decree) को लागू कराया जा सके। ❖ इसका उद्देश्य न्यायालय द्वारा पारित निर्णय या आदेश (डिक्री) को **प्रभावी रूप से लागू कराना** होता है। ❖ जब हारने वाला पक्ष (निर्णय-ऋणी / Judgment Debtor) स्वेच्छा से पालन नहीं करता, तब इसका उपयोग किया जाता है। ❖ प्रक्रिया संबंधी व संस्थागत देरी के कारण, निर्णय के बाद भी निष्पादन में वर्षों लग जाते हैं। ❖ **कानूनी आधार:** सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC), 1908 के **आदेश XXI (Order XXI)** के अंतर्गत विनियमित।
समस्या की व्यापकता	❖ **8.82 लाख निष्पादन याचिकाएँ** जिला न्यायालयों में लंबित (एनजेडीजी के अनुसार)। ❖ **औसत सिविल केस अवधि:** 4.9 वर्ष + निष्पादन हेतु अतिरिक्त 4 वर्ष → **कुल मिलाकर लगभग एक दशक** में न्याय। ❖ **47.2% याचिकाएँ 2020 से पूर्व से लंबित**, जो दीर्घकालिक जड़ता को दर्शाती हैं।
देरी के प्रमुख कारण	❖ **वकील की अनुपलब्धता:** 38.9% मामलों में देरी का मुख्य कारण। ❖ **न्यायालय द्वारा स्थगन (Stay Orders):** 17% मामलों में। ❖ **दस्तावेज संबंधी समस्याएं:** 12% मामले अधूरी अभिलेख सामग्री के कारण लंबित। ❖ **प्रक्रियात्मक बाधाएं:** CPC के अंतर्गत हारने वाला पक्ष बार-बार आपत्तियाँ उठाकर सुनवाई व स्थगन को लंबा खींच सकता है।
राज्यवार लंबित याचिकाएँ	❖ **बॉम्बे उच्च न्यायालय:** 3.4 लाख — भारत में सर्वाधिक ❖ **मद्रास उच्च न्यायालय:** 86,000 ❖ **केरल उच्च न्यायालय:** 83,000 → यह **महाराष्ट्र और तमिलनाडु** जैसे राज्यों में **न्यायिक क्षमता और अवसंरचना की कमी** को दर्शाता है।
सर्वोच्च न्यायालय की पहल	❖ **2021**: तत्कालीन CJI एस.ए. बोबड़े ने सभी ट्रायल अदालतों को 6 महीने के भीतर निष्पादन याचिकाओं का निपटारा करने का निर्देश दिया था। ❖ **2025**: न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला एवं पंकज मिथल ने **देशव्यापी समीक्षा अभियान** शुरू किया। ❖ उच्च न्यायालयों को डेटा संग्रह और छह महीने के भीतर क्लीयरेंस सुनिश्चित करने का निर्देश। ❖ प्रगति के बावजूद (3.38 लाख निपटाए गए), 8.82 लाख अभी भी लंबित हैं।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

Topic 2 - भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की नियुक्ति

Syllabus	न्यायपालिका | सर्वोच्च न्यायालय | नियुक्तियाँ
संदर्भ	मुख्य न्यायाधीश भूषण रमाकांत गवई ने स्थापित संवैधानिक एवं परंपरा-आधारित उत्तराधिकार प्रक्रिया का पालन करते हुए **न्यायमूर्ति सूर्यकांत** को भारत के **53वें** मुख्य न्यायाधीश के रूप में अनुशंसा की है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में	❖ **न्यायपालिका के प्रमुख:** सर्वोच्च न्यायालय का नेतृत्व करते हैं; **न्यायिक प्रशासन और वादों के आवंटन** की निगरानी करते हैं → **मास्टर ऑफ द रोस्टर।** ❖ **सांविधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 124(2)** के तहत - **राष्ट्रपति**, आवश्यकतानुसार **सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श** के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ❖ **मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP):** न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति हेतु मार्गदर्शक दस्तावेज - **कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं**, परन्तु व्यवहार में अनुसरण किया जाता है।
नियुक्ति की प्रक्रिया	❖ **प्रारंभ:** कानून मंत्री, सेवानिवृत्त हो रहे CJI से **कम से कम एक माह पूर्व** उत्तराधिकारी की सिफारिश मांगते हैं। ❖ **वरिष्ठता सिद्धांत:** स्थापित परंपरा के अनुसार, **सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश** को CJI नियुक्त किया जाता है। ➢ **वरिष्ठता का निर्धारण: सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकाल की अवधि** के आधार पर होता है, आयु के आधार पर नहीं। ❖ **सिफारिश मार्ग:** सेवानिवृत्त हो रहे CJI की सिफारिश → कानून मंत्री → प्रधानमंत्री → राष्ट्रपति। ❖ **राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति:** राष्ट्रपति **नियुक्ति वारंट** के माध्यम से औपचारिक रूप से नए CJI की नियुक्ति करते हैं। ❖ **शपथ ग्रहण समारोह:** नियुक्त CJI, **भारत के राष्ट्रपति के समक्ष शपथ** लेते हैं।
परंपरा एवं कॉलेजियम की भूमिका	❖ **कॉलेजियम प्रणाली:** CJI + सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश - न्यायिक नियुक्तियों का प्रबंधन करते हैं। ❖ CJI की नियुक्ति में कॉलेजियम की भूमिका **सीमित** होती है, परंतु यह **वरिष्ठता परंपरा को सुदृढ़ करता है।** ❖ यह प्रणाली **न्यायिक स्वतंत्रता, संस्थागत स्थिरता और नेतृत्व की निरंतरता** सुनिश्चित करती है।
नियुक्ति के अंतर्निहित प्रमुख सिद्धांत	❖ **वरिष्ठता एवं योग्यता:** निष्पक्षता को बढ़ावा देती है और **राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाव** करती है। ❖ **परामर्श परंपरा:** यद्यपि **कोडित नहीं है**, परंतु यह **कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच विश्वास** बनाए रखती है। ❖ **कार्यपालिका की स्वीकृति:** राष्ट्रपति, **मंत्रिपरिषद की सलाह** पर कार्य करते हैं, जिससे **संवैधानिक संतुलन** बना रहता है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

न्यायिक विकास: कॉलेजियम प्रणाली

CJI की नियुक्ति मुख्यतः **वरिष्ठता** पर आधारित होती है, जबकि **अन्य न्यायाधीशों** की नियुक्ति **कॉलेजियम प्रणाली** के माध्यम से होती है - जो **"तीन न्यायाधीश प्रकरणों (Three Judges Cases)"** से विकसित हुई:

वाद	स्थापित सिद्धांत
प्रथम न्यायाधीश मामला (1981) – एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ	यह निर्णय दिया कि मुख्य न्यायाधीश से "परामर्श" का अर्थ **"सहमति" नहीं** है। नियुक्तियों में कार्यपालिका को प्राथमिकता दी गई।
द्वितीय न्यायाधीश मामला (1993) – सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ	1981 के निर्णय को पलट दिया। "परामर्श" का अर्थ **"सहमति"** माना गया; **कॉलेजियम प्रणाली** (CJI + 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश) की स्थापना; नियुक्तियों में **न्यायपालिका को प्राथमिकता** दी।
तृतीय न्यायाधीश मामला (1998) – राष्ट्रपति संदर्भ पर पुनर्विचार	कॉलेजियम का विस्तार: **CJI + 4** वरिष्ठतम न्यायाधीश; **मतों की बहुलता** एवं **पारदर्शिता** पर बल। मुख्य न्यायाधीश की राय राष्ट्रपति पर **बाध्यकारी** होगी; कार्यपालिका एक बार पुनर्विचार मांग सकती है, किंतु अंतिम अनुशंसा स्वीकार करनी होगी।
चतुर्थ न्यायाधीश मामला (2015) – सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड बनाम भारत संघ	**राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)** को **असंवैधानिक** घोषित किया गया; **न्यायिक स्वतंत्रता** के आधार पर कॉलेजियम प्रणाली को बरकरार रखा गया।

Topic 3 - संवैधानिक नैतिकता की रूपरेखा

Syllabus	नीतिशास्त्र | राजव्यवस्था एवं शासन
संदर्भ	हालिया **न्यायिक एवं राजनीतिक घटनाक्रमों** ने भारतीय लोकतंत्र में **संवैधानिक नैतिकता और लोक नैतिकता** (Popular Morality) के बीच सामंजस्य को परखती है, जिससे यह अवधारणा पुनः सार्वजनिक विमर्श के केंद्र में आ गई है।
यह क्या है?	❖ **अर्थ:** संवैधानिक नैतिकता वह **नैतिक ढाँचा** है जो सभी **संवैधानिक संस्थाओं** को यह निर्देश देता है कि वे **न्याय, संयम और संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा** के साथ कार्य करें - न कि व्यक्तिगत या राजनीतिक हितों के आधार पर। ❖ **मूल तत्व:** यह **संविधान की आत्मा** को अक्षुण्ण रखता है - यह सुनिश्चित करता है कि **सत्ता का प्रयोग नैतिक और विधिक सीमाओं** के भीतर हो।
संवैधानिक नैतिकता की मुख्य विशेषताएँ	❖ **कानून का शासन (Rule of Law):** सभी कार्य **संवैधानिक और विधिक सीमाओं** के भीतर होने चाहिए। ❖ **संस्थागत शिष्टाचार (Institutional Propriety):** संस्थाओं की **स्वतंत्रता और गरिमा** की रक्षा। ❖ **असहमति का सम्मान: सहिष्णुता और संवाद** को लोकतांत्रिक गुणों के रूप में बढ़ावा। ❖ **उत्तरदायित्व (Accountability):** सत्ता का प्रयोग **नैतिक और विधिक रूप से न्यायसंगत** होना चाहिए। ❖ **शब्दों के बजाए भावना पर जोर:** केवल विधिक अनुपालन नहीं, बल्कि **नैतिक उद्देश्य** पर बल देती है।
अवधारणा का विकास	❖ **प्राचीन भारतीय दर्शन**: भारतीय दर्शन में **धर्म और आराम (सद्गुण/सदाचार)** के माध्यम से **कानून और नैतिकता** का संबंध।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	❖ **पाश्चात्य उद्गम**: **जॉर्ज ग्रोट** (1846) ने "संवैधानिक नैतिकता" शब्द गढ़ा – संवैधानिक रूपों के प्रति श्रद्धा। ❖ **अंबेडकर का दृष्टिकोण**: सच्चे लोकतंत्र के लिए केवल विधिक ढाँचा पर्याप्त नहीं है, बल्कि **नैतिक अनुशासन** भी आवश्यक है – "भारत में लोकतंत्र केवल एक अल्पकालिक आवरण है, जो एक अलोकतांत्रिक समाज पर चढ़ा हुआ है।" ❖ **न्यायिक मान्यता**: सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों - मनोज नरूला बनाम भारत संघ (2014), सबरीमला प्रकरण (2018), नवतेज जोहर बनाम भारत संघ (2018) ने इसे पुनर्जीवित किया।
संवैधानिक नैतिकता के विविध आयाम	❖ **संस्थागत आयाम:** विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की **भूमिकाओं और सीमाओं का सम्मान**। ❖ **न्यायिक आयाम:** न्यायाधीश कानूनों की व्याख्या संवैधानिक भावना के अनुरूप नैतिक तर्क से करते हैं। ➢ **2025 में CJI गवई** ने इसे **न्यायपालिका का नैतिक दिशा सूचक** बताया, - विशेषकर **चुनावी पारदर्शिता, असहमति और अल्पसंख्यक अधिकारों** से जुड़े मामलों में (जैसे- निर्वाचन बांड, राजद्रोह)। ➢ न्यायपालिका संविधान की **संरक्षक** एवं **नैतिक अंतःकरण** दोनों है (मुख्य न्यायाधीश गवई)। ❖ **विधायी आयाम: विमर्श, समावेशिता और उत्तरदायित्व** को प्रोत्साहित करता है। ❖ **नागरिक आयाम: नागरिक नैतिकता** को बढ़ावा - विविधता का सम्मान और **तार्किक विमर्श** की संस्कृति।
प्रमुख चुनौतियाँ	❖ **बहुसंख्यक लोकलुभावनवाद (Majoritarian Populism): लोक-नैतिकता**, संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करती है। ❖ **परंपराओं का क्षरण:** राजनीतिक उपेक्षा से **संस्थागत संतुलन** प्रभावित होता है। ❖ **न्यायिक अतिक्रमण: शक्तियों के पृथक्करण** की सीमाओं के उल्लंघन का खतरा। ❖ **जन-जागरूकता की कमी: नागरिकों में संवैधानिक साक्षरता** का अभाव। ❖ **पक्षपाती नौकरशाही: संविधान के प्रति निष्ठा** की बजाय **राजनीतिक वफादारी** की प्रवृत्ति।
आगे की राह	❖ **नागरिक संवैधानिकता (Civic Constitutionalism): संवैधानिक साक्षरता और जागरूकता** को बढ़ावा देना। ➢ "संवैधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक भावना नहीं है - इसे विकसित करना पड़ता है।" – **डॉ. भीमराव अंबेडकर** ❖ **नैतिक नेतृत्व:** शासन में **ईमानदारी** और **नैतिकता** का **संस्थानीकरण**। ❖ **संस्थागत निगरानी:** संवैधानिक पदों के लिए **नियमित नैतिक मूल्यांकन**। ❖ **न्यायिक विवेक:** विधायिका के अधिकारों का सम्मान करते हुए नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करना। ❖ **नागरिक सहभागिता: समानुभूति** और **समानता** आधारित **भागीदारीपूर्ण लोकतंत्र** को प्रोत्साहन।
निष्कर्ष	**संवैधानिक नैतिकता भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है** - जो संविधान को केवल एक विधिक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक **नैतिक अनुबंध** में परिवर्तित करती है। जैसा कि **डॉ. अंबेडकर** ने कल्पना की थी - लोकतंत्र केवल कानून से नहीं, बल्कि **नैतिक अनुशासन** से फलता-फूलता है। जब **कानून और अंतरात्मा** एक साथ चलते हैं, तभी **न्याय और समानता** वास्तव में साकार होती है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

Topic 4 - भारत में कानूनी सहायता तंत्र को मज़बूत करना

Syllabus	राजव्यवस्था | न्यायपालिका
संदर्भ	कानूनी सहायता गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदायों सहित **सभी नागरिकों के लिए न्याय तक समान पहुँच** की कुंजी है। भारत के कानूनी सहायता तंत्र को मजबूत करना देश में लंबित मामलों को कम करने, नागरिकों को सशक्त बनाने और संवैधानिक दायित्व (अनुच्छेद 39A) को पूरा करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
भारत में कानूनी सहायता तंत्र	❖ **परिभाषा:** उन व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना जो कानूनी प्रतिनिधित्व का खर्च वहन नहीं कर सकते। ❖ **आधार:** कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1995 में लागू)। ❖ **मूल उद्देश्य:** यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक या सामाजिक असमानता के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे। ❖ **सेवाएँ:** निःशुल्क कानूनी प्रतिनिधित्व, परामर्श, मध्यस्थता, डिजिटल सहायता (टेली-लॉ, न्याय बंधु) और कानूनी साक्षरता कार्यक्रम।
मजबूत कानूनी सहायता तंत्र की आवश्यकता	❖ **न्याय तक सीमित पहुँच:** देश की लगभग 70% ग्रामीण आबादी खराब कानूनी बुनियादी ढाँचे से जूझ रही है। ❖ **अत्यधिक बैकलॉग:** देश में 4.5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं; मध्यस्थता जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र से इस बैकलॉग को 30-35% तक कम किया जा सकता है। ❖ **सामाजिक न्याय एवं समावेशन:** कानूनी सहायता महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति और अल्पसंख्यकों के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। उल्लेखनीय है कि 80% विचाराधीन कैदी गरीब समुदायों से आते हैं। ❖ **जागरूकता का अभाव:** राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) 2024 के अनुसार, केवल **5 में से 1 पात्र नागरिक** को निःशुल्क कानूनी सहायता के अपने अधिकार की जानकारी है। ❖ **संवैधानिक अनिवार्यता:** संविधान का **अनुच्छेद 39A** राज्य को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है, इसे सामाजिक न्याय का एक मूलभूत स्तंभ मानता है।
प्रमुख पहलें (Key Initiatives)	❖ **NALSA–DLSA नेटवर्क:** चार-स्तरीय प्रणाली जिसने पिछले तीन वर्षों में 8 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया है। ❖ **टेली-लॉ:** 2017 से शुरू, 1.3 लाख कॉमन सर्विस सेंटरों (CSC) के माध्यम से 45 लाख से अधिक परामर्श प्रदान किए गए हैं। ❖ **न्याय बंधु:** यह मंच कम आय वाले वादियों को 11,000 से अधिक प्रो बोनो (निःशुल्क) अधिवक्ताओं से जोड़ता है। ❖ **मध्यस्थता अधिनियम, 2023:** इसका उद्देश्य लगभग 70% दीवानी और पारिवारिक विवादों को औपचारिक अदालतों से बाहर संरचित मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाना है। ❖ **निर्णय अनुवाद पहल:** 80,000 से अधिक न्यायिक निर्णयों का 18 भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया। ❖ **कानूनी साक्षरता:** NALSA द्वारा 2,500 से अधिक राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता शिविर आयोजित किए गए हैं।
कानूनी सहायता प्रदान करने में चुनौतियाँ	❖ **सेवा गुणवत्ता का निम्न स्तर:** कानूनी सहायता प्रदान करने वाले केवल 20% वकीलों को औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त होता है, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होती है। ❖ **अवसंरचनात्मक कमियाँ:** 40% ज़िला न्यायालयों में आवश्यक कानूनी सहायता क्लीनिक या मध्यस्थता केंद्रों का अभाव है। ❖ **डिजिटल विभाजन:** ग्रामीण क्षेत्रों के 25% हिस्से में इंटरनेट की सीमित पहुँच डिजिटल सहायता (जैसे टेली-लॉ) के विस्तार में बाधा डालती है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	❖ **न्यायिक विलंब:** निचली अदालतों में एक मामले का औसत निपटान समय 6 वर्ष से अधिक है, जिससे बैकलॉग में वृद्धि होती है।
आगे की राह (Way Forward)	❖ **वित्त पोषण एवं अवसंरचना:** NALSA/DLSA के लिए फंडिंग में 25% की वृद्धि करना और ज़िला-स्तरीय क्लीनिकों की संख्या बढ़ाना। ❖ **गुणवत्ता सुनिश्चित करना:** कानूनी सहायता प्रदान करने वाले सभी वकीलों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण और प्रमाणन लागू करना। ❖ **डिजिटल नवाचार:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ई-फाइलिंग और मोबाइल कानूनी हेल्पडेस्क का उपयोग बढ़ाना। ❖ **जागरूकता बढ़ाना:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कानूनी साक्षरता को पाठ्यक्रम में शामिल करना और पंचायत स्तर पर व्यापक अभियान चलाना। ❖ **साझेदारी:** विश्वविद्यालयों, बार काउंसिल और निजी कानूनी फर्मों के साथ सहयोग करके **'प्रो बोनो'** (निःशुल्क) कानूनी समर्थन का दायरा बढ़ाना।
निष्कर्ष	एक प्रभावी कानूनी सहायता प्रणाली न्याय की सुगमता और वास्तविक सामाजिक समानता के लिए आधारशिला है। प्रौद्योगिकी, जागरूकता और संस्थागत सुधारों पर केंद्रित प्रयास यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि भारत में न्याय सभी के लिए एक अधिकार बने, जो विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को सशक्त करेगा।

Topic 5 - अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021

Syllabus	राजनीति | न्यायपालिका
संदर्भ	सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में **ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम, 2021** के प्रमुख प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया है। न्यायालय ने इसे न्यायिक स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन माना और केंद्र सरकार को **राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग (NTC)** स्थापित करने का निर्देश दिया।
अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 का अवलोकन	❖ **प्रवर्तन:** अगस्त 2021 ❖ **उद्देश्य:** मौजूदा ट्रिब्यूनलों का पुनर्गठन, उनके संचालन, नियुक्ति और सेवा शर्तों का मानकीकरण करना। ❖ **लक्ष्य:** ➢ मामलों का बोझ कम करने हेतु उन्हें उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित करना। ➢ सभी ट्रिब्यूनलों में सेवा शर्तों की एकरूपता (Uniformity) सुनिश्चित करना। ➢ प्रशासनिक निगरानी में कार्यपालिका की भूमिका बढ़ाना।
अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ	❖ **उन्मूलन:** बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (IPAB) और फिल्म प्रमाणन अपीलीय ट्रिब्यूनल (FCAT) सहित कई विशेष ट्रिब्यूनल समाप्त कर दिए गए और उनके मामले उच्च न्यायालयों को सौंप दिए गए। ❖ **नियुक्ति:** नियुक्ति **खोज-सह-चयन समिति** (जिसकी अध्यक्षता CJI/नामित व्यक्ति करते हैं) के माध्यम से केंद्रीकृत। ❖ **कार्यकाल:** अध्यक्ष और सदस्यों के लिए निश्चित **4 वर्ष** का कार्यकाल। ❖ **न्यूनतम आयु:** नियुक्ति के लिए **50 वर्ष** की न्यूनतम आयु। ❖ **कार्यपालिका नियंत्रण:** वेतन, भत्ते एवं सेवा-नियम केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (2025)	❖ सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि ये प्रावधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करते हैं, इसलिए कई प्रावधानों को निरस्त कर दिया। ❖ **निरस्त प्रावधान:** ➢ 4 वर्ष का कार्यकाल। ➢ नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष। ➢ प्रत्येक रिक्ति के लिए केवल दो नामों का पैनल भेजने की बाध्यता। ➢ सेवा शर्तों को सिविल सेवकों से जोड़ना।
न्यायालय के निर्णय का आधार	❖ **मूल संरचना:** न्यायालय ने दोहराया कि ट्रिब्यूनलों की स्वतंत्रता संविधान की मूल संरचना का एक अनिवार्य हिस्सा है। ❖ **विधायी अतिक्रमण:** अधिनियम ने उन प्रावधानों को पुनः लागू किया जिन्हें पहले MBA-IV और MBA-V मामलों में कोर्ट ने पहले ही असंवैधानिक ठहराया था। ❖ **हितों का टकराव:** नियुक्ति और सेवा शर्तों पर कार्यपालिका का नियंत्रण चिंताजनक है, खासकर इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार अक्सर ट्रिब्यूनलों में सबसे बड़ी वादी होती है। ❖ **संवैधानिक सुरक्षा:** कार्यकाल, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया को स्थापित संवैधानिक सुरक्षा मानकों का पालन करना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश	❖ **राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग (NTC):** सरकार को चार माह के भीतर एक सशक्त और निष्पक्ष NTC स्थापित करना होगा। ❖ **अंतरिम दिशा-निर्देश:** नई विधि बनने तक MBA IV & V के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए। ❖ **संरक्षण:** अधिनियम लागू होने से पहले की गई नियुक्तियाँ वैध रहेंगी।
अधिनियम के पक्ष में तर्क	❖ ट्रिब्यूनल प्रणाली को सरल एवं सुव्यवस्थित बनाता है। ❖ नियुक्तियों एवं सेवा शर्तों में एकरूपता लाता है। ❖ केंद्रीकृत समन्वय से नियुक्ति प्रक्रिया तेज होती है। ❖ 50 वर्ष से अधिक आयु सीमा अनुभव युक्त सदस्यों को सुनिश्चित करती है। ❖ छोटे कार्यकाल से प्रदर्शन की समीक्षा संभव होती है।
अधिनियम के विरुद्ध तर्क	❖ संक्षिप्त कार्यकाल और कार्यपालिका के प्रभुत्व से न्यायिक स्वतंत्रता कमजोर होती है। ❖ पहले निरस्त प्रावधानों को पुनः लागू कर न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की गई। ❖ 50 वर्ष की आयु सीमा युवा विशेषज्ञों और अधिवक्ताओं की भागीदारी को सीमित करती है। ❖ वेतन एवं सेवा शर्तों पर कार्यपालिका का नियंत्रण ट्रिब्यूनलों की निष्पक्षता को प्रभावित करता है। ❖ ट्रिब्यूनलों को समाप्त करने से उच्च न्यायालयों पर बोझ बढ़ता है और तकनीकी विशेषज्ञता घटती है।
आगे की राह	❖ एक नया कानून तैयार किया जाए जो MBA निर्णयों और संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप हो। ❖ नियुक्ति और निगरानी के लिए एक सशक्त एवं निष्पक्ष राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग स्थापित किया जाए। ❖ ऐसे ट्रिब्यूनलों को बनाए रखना और मजबूत करना जिनमें क्षेत्रीय/डोमेन विशेषज्ञता (Domain Expertise) आवश्यक है। ❖ चयन प्रक्रिया पारदर्शी और योग्यता-आधारित हो। ❖ न्याय वितरण की दक्षता हेतु ढाँचा, स्टाफिंग और डिजिटल प्रणालियों में सुधार किया जाए।
निष्कर्ष	सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय इस संवैधानिक सिद्धांत को मजबूती से स्थापित करता है कि ट्रिब्यूनल कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त होने चाहिए। असंवैधानिक प्रावधानों को निरस्त करके, न्यायालय ने संवैधानिक संतुलन बहाल किया है और एक अधिक सशक्त, निष्पक्ष एवं कुशल ट्रिब्यूनल प्रणाली के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

Topic 6 - भारत का लोकपाल (Lokpal of India)

Syllabus	राजव्यवस्था | संवैधानिक निकाय
संदर्भ	हालिया आँकड़ों में **शिकायतों में तेज़ गिरावट** और कार्यप्रणाली को लेकर विवादों ने **लोकपाल की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता** पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं।
लोकपाल के बारे में	❖ **स्थापना:** लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत (एक **वैधानिक निकाय**) ❖ **उद्देश्य:** प्रधानमंत्री, मंत्रियों, सांसदों और अधिकारियों सहित **लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच** करना ❖ **उद्गम:** 2011 के **"इंडिया अगेंस्ट करप्शन" आंदोलन** से प्रेरित - नेतृत्व: **अन्ना हजारे** ❖ **गठन:** पहला लोकपाल मार्च 2019 में गठित हुआ - यह भारत के **भ्रष्टाचार विरोधी ढाँचे** में एक ऐतिहासिक कदम था। ❖ **नया ध्येय वाक्य (जून 2025): "नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजागरीकरण"** ने "मा गृधः कस्यस्विद्धनम्" को प्रतिस्थापित किया।
संरचना एवं नियुक्ति	❖ **अध्यक्ष (2025):** न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर (पूर्व सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश)। ❖ **सदस्य:** कुल 8 (4 न्यायिक + 4 **गैर-न्यायिक** - SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक/महिला वर्ग से)। ❖ **नियुक्ति प्राधिकारी:** भारत का **राष्ट्रपति**। ❖ **चयन समिति:** प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, CJI, और एक प्रख्यात न्यायविद/विधिवेत्ता। ❖ **कार्यकाल:** 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु - जो भी पहले हो।
शक्तियाँ एवं कार्य	❖ **जाँच एवं अन्वेषण:** भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत **स्वतंत्र जांच**। ❖ **अधिकार क्षेत्र:** ➢ प्रधानमंत्री (विशेष सुरक्षा उपायों के साथ - पूर्ण पीठ के **2/3 बहुमत** की स्वीकृति आवश्यक)। ➢ मंत्रीगण, सांसद, ग्रुप A–B अधिकारी, और सरकारी वित्तपोषित संस्थाएँ। ❖ **CBI का पर्यवेक्षण:** जांच का **निर्देशन और निगरानी** कर सकता है। ❖ **अभियोजन शक्तियाँ:** अभियोजन की स्वीकृति, संपत्ति जब्त करने का आदेश, एवं निलंबन की अनुशंसा। ❖ **दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ:** गवाहों को सम्मन जारी करना, दस्तावेजों की मांग, आदेश जारी करना।
कार्य निष्पादन का अवलोकन	❖ **कुल शिकायतें:** 6,955 - केवल 289 मामलों में जाँच शुरू हुई। ❖ **अभियोजन:** केवल 7 मामलों में मुकदमा चलाया गया। ❖ **हालिया गिरावट:** शिकायतें 2,469 (2022–23) से घटकर 233 (2025 तक)। ❖ **पारदर्शिता में कमी:** 2021–22 के बाद से **कोई वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित नहीं**। ❖ **सुधार पहल: अभियोजन शाखा (2025)** का गठन - जवाबदेही सुधार हेतु।
प्रमुख चुनौतियाँ	❖ **जनता का मोहभंग:** शिकायतों में तीव्र गिरावट विश्वास के क्षरण को दर्शाती है। ❖ **संस्थागत कमजोरी:** रिक्तियाँ और नियुक्तियों में देरी से प्रभावशीलता और विश्वसनीयता प्रभावित होती है। ❖ **अवसंरचना हेतु निर्भरता:** जाँच हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं सीबीआई पर निर्भरता स्वतंत्र कार्यप्रणाली सीमित करती है। ❖ **कठोर प्रक्रियाएँ:** जटिल शिकायत प्रारूप सूचना देने वालों (व्हिसलब्लोअर) को हतोत्साहित करता है। ❖ **अपारदर्शिता:** परिणाम सार्वजनिक न करने से पारदर्शिता में कमी।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	❖ **नैतिक चिंताएँ:** बीएमडब्ल्यू कार खरीद विवाद नैतिक छवि को क्षति पहुँचाता है।
आगे की राह	❖ **डिजिटल पारदर्शिता:** शिकायत ट्रैकिंग हेतु **सार्वजनिक डैशबोर्ड** का शुभारंभ। ❖ **नैतिक अनुशासन:** संस्थागत आचरण में **सादगी और ईमानदारी** को अपनाना। ❖ **संस्थागत सुदृढ़ीकरण: जाँच और अभियोजन शाखाओं** को सशक्त बनाना। ❖ **नागरिक सहभागिता:** प्रक्रियाओं को सरल बनाना और **जन-जागरूकता बढ़ाना**। ❖ **कानूनी सुधार: वार्षिक रिपोर्टिंग और संसदीय समीक्षा** को अनिवार्य बनाना।
निष्कर्ष	**लोकपाल** को **भारतीय लोकतंत्र** का **नैतिक संरक्षक** माना गया था - जो **उच्चतम स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित** करता है। लोकपाल को पुनर्जीवित करने के लिए **पारदर्शिता, नैतिक संयम और सक्रिय नागरिक सहभागिता** आवश्यक है - ताकि यह **वास्तविक स्वच्छ शासन का स्तंभ** बन सके।

Topic 7 - निर्वाचन नामांकन प्रक्रिया में सुधार	
Syllabus	राजनीति एवं शासन | निर्वाचन सुधार
संदर्भ	हाल के वर्षों में सामान्य प्रशासनिक त्रुटियों पर प्रत्याशी अपात्र घोषित किए जाने की बढ़ती घटनाओं ने भारत की नामांकन प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता पर सार्वजनिक विमर्श को पुनर्जीवित कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951** (RP Act, 1951) पर आधारित यह प्रणाली रिटर्निंग अधिकारियों (ROs) को अत्यधिक विवेकाधिकार प्रदान करती है।
विधिक ढांचा (Legal Framework)	❖ नामांकन प्रक्रिया का संचालन **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33–36** और **चुनाव आचरण नियम, 1961** के तहत होता है। ❖ **मुख्य आवश्यकताएं:** उम्मीदवारों को **फॉर्म 2A/2B**, संपत्ति एवं आपराधिक रिकॉर्ड संबंधी शपथ-पत्र (सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार), जमानत राशि तथा प्रस्तावकों का विवरण जमा करना अनिवार्य। ❖ **धारा 36** – रिटर्निंग अधिकारी को "**महत्वपूर्ण प्रकृति की त्रुटियों** (Defects of Substantial Character)" के आधार पर नामांकन अस्वीकृत करने का अधिकार देती है - किंतु इस शब्द की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं। ❖ **अनुच्छेद 329(b)** – चुनाव के दौरान न्यायिक हस्तक्षेप पर रोक लगाता है, जिससे चुनाव पूर्व अस्वीकृतियाँ अपरिवर्तनीय बन जाती हैं, और चुनौती केवल चुनाव याचिका के रूप में चुनावोपरांत संभव है।
भारत की नामांकन प्रक्रिया से संबंधित प्रमुख समस्याएं	❖ **मनमाना विवेकाधिकार:** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 की धारा 36 में "महत्वपूर्ण प्रकृति की त्रुटि" जैसे अस्पष्ट शब्दों का उपयोग रिटर्निंग अधिकारियों को अत्यधिक शक्ति प्रदान करता है, जिससे राजनीतिक पक्षपात की संभावना बढ़ जाती है। ❖ **तकनीकी पहलुओं पर अत्यधिक ध्यान:** मामूली प्रक्रियात्मक त्रुटियों (जैसे हस्ताक्षर की कमी – बिहार RJD मामला, “नो-ड्यूज” प्रमाणपत्र में देरी – बीरभूम मामला, शपथ-पत्र में खाली कॉलम) पर अयोग्यता। जबकि झूठे विवरण पर केवल चुनाव बाद याचिका (में ही कार्रवाई संभव। ❖ **शपथपत्र का बढ़ता बोझ:** सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों (जैसे रिसर्जेंस इंडिया, 2013) के कारण संपत्ति और आपराधिक रिकॉर्ड के विस्तृत शपथपत्र की अनिवार्यता ने अनुपालन की जटिलता को बढ़ाया है, जिससे त्रुटियों की संख्या बढ़ी है। ❖ **प्रक्रियात्मक मुद्दे:** नामांकन अस्वीकृति का आधार अक्सर **वास्तविक पात्रता** के बजाय **प्रशासनिक या नौकरशाही गलतियाँ** (शपथ जाल, कोषागार जाल, प्रमाण पत्र जाल) बन जाती हैं।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	❖ **चुनाव पूर्व अपील का अभाव:** अनुच्छेद 329(b) के तहत चुनाव पूर्व न्यायिक समीक्षा पर रोक है। नामांकन अस्वीकृति को केवल चुनाव के बाद दायर की जाने वाली याचिका के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है, जो एक लंबी, महँगी और समय लेने वाली प्रक्रिया है। ❖ **पहुंच असमानता:** कानूनी और डिजिटल सहायता के अभाव के कारण, यह जटिल प्रक्रिया हाशिए पर स्थित समुदायों, स्वतंत्र प्रत्याशियों और नए उम्मीदवारों को अधिक प्रभावित करती है।
लोकतांत्रिक चिंताएँ	❖ नामांकन प्रक्रिया अब "लोकतांत्रिक अधिकार नहीं, बल्कि नौकरशाही परीक्षा" बन चुकी है। ❖ सामान्य प्रशासनिक त्रुटियों का उपयोग **मतदाता विकल्प सीमित करने और उम्मीदवारों को बाहर करने** हेतु किया जाता है - जो लोकतंत्र-विरोधी प्रवृत्ति है। ❖ यह **लोकतांत्रिक पारदर्शिता और निष्पक्ष पहुँच** को कमजोर करता है।
वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएं	❖ **यूनाइटेड किंगडम**: रिटर्निंग अधिकारी उम्मीदवारों को त्रुटियों को समय सीमा से पहले सुधारने में सहायता करते हैं। ❖ **कनाडा**: त्रुटि जाँच के बाद 48 घंटे का सुधार-समय दिया जाता है। ❖ **जर्मनी**: अधिकारियों को लिखित सूचना देना और सुधार हेतु समय प्रदान करना अनिवार्य। ❖ **ऑस्ट्रेलिया**: समयपूर्व प्रस्तुतियाँ प्रोत्साहित की जाती हैं, साथ ही अपील तंत्र उपलब्ध है। ❖ वैश्विक मॉडल निर्वाचन अधिकारियों को **द्वारपाल/अवरोधक** की बजाय **सहायक** मानते हैं, जो त्रुटि सुधार को प्राथमिकता देते हैं।
आगे की राह	❖ **सुधार अवसर प्रदान करना:** निर्वाचन अधिकारियों को त्रुटियों की लिखित सूचना देना एवं तकनीकी त्रुटियों के लिए **48 घंटे का सुधार समय** अनिवार्य किया जाए। ❖ **त्रुटि वर्गीकरण का संहिताकरण:** स्पष्ट रूप से अंतर करना एवं प्रोटोकॉल की स्थापना: ➢ **तकनीकी/प्रक्रियात्मक त्रुटियाँ:** इन त्रुटियों में सुधार की अनुमति दी जानी चाहिए। ➢ **प्रामाणिकता संबंधी मुद्दे (जैसे प्रस्तावक सत्यापन):** इन मामलों में तुरंत अस्वीकृति के बजाय गहन सत्यापन किया जाना चाहिए। ➢ **वैधानिक अयोग्यता:** कानून के अनुसार स्पष्ट और सीधे तौर पर नामांकन खारिज किया जाना चाहिए। ❖ **कारणयुक्त आदेश की अनिवार्यता:** सभी अस्वीकृतियों के लिए निर्वाचन अधिकारी द्वारा लिखित आदेश जारी करना अनिवार्य होगा, जिसमें अस्वीकृति के कानूनी प्रावधान और समर्थित साक्ष्य का स्पष्ट उल्लेख हो। ❖ **डिजिटल बाय डिफ़ॉल्ट प्रणाली:** ➢ निर्वाचन आयोग (ECI) के एकीकृत पोर्टल पर सभी दस्तावेज (शपथ पत्र, सुरक्षा राशि आदि) ऑनलाइन जमा हों। ➢ एक सार्वजनिक डैशबोर्ड तैयार हो जहाँ वास्तविक समय में नामांकन की स्थिति प्रदर्शित हो, जिससे विवेकाधिकार कम हो।
निष्कर्ष	भारत की निर्वाचन नामांकन प्रक्रिया में सुधार मजबूत लोकतंत्र की बुनियाद है। पारदर्शिता, जवाबदेही और डिजिटल दक्षता की दिशा में बढ़कर भारत ऐसा प्रणालीगत परिवर्तन ला सकता है जो प्रशासनिक कठोरता की बजाय मतदाता की स्वतंत्र पसंद को प्राथमिकता देगा - यही सहभागी लोकतंत्र की वास्तविक आत्मा है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

Topic 8 - आदर्श आचार संहिता (MCC)

Syllabus	राजनीति एवं शासन | चुनावी सुधार
संदर्भ	बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान कल्याणकारी योजनाओं के कथित दुरुपयोग के आरोपों के कारण चुनावी आचार संहिता एक बार फिर सुर्खियों में है। इन आचार संहिता उल्लंघनों ने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने की आवश्यकता को फिर से उजागर किया है।
आदर्श आचार संहिता (MCC) के बारे में	❖ **यह क्या है:** भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा निर्धारित **दिशानिर्देशों का समूह,** जिसका मुख्य उद्देश्य **स्वतंत्र, निष्पक्ष और नैतिक चुनाव** सुनिश्चित करना है। यह चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और सरकारी अधिकारियों के आचरण को नियंत्रित करता है ❖ यह **केंद्र** और **राज्य सरकारों** पर समान रूप से लागू होती है, जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं। ❖ **उद्देश्य:** चुनाव में सभी को **समान अवसर** प्रदान करना और सरकारी मशीनरी के किसी भी प्रकार के **दुरुपयोग को रोकना**। ❖ प्रभावी अवधि: निर्वाचन **तिथि की घोषणा** से लागू होती है और **सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक** प्रभावी रहती है। ❖ **कानूनी स्थिति:** MCC **वैधानिक कानून नहीं** है, इसका अधिकार अनुच्छेद 324 (निर्वाचन आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण की शक्ति) से प्राप्त होता है। ➢ उल्लंघन के मामलों में भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
MCC का विकास	❖ **1960:** केरल विधानसभा चुनावों में स्वैच्छिक संहिता के रूप में उत्पत्ति। ❖ **1962:** लोकसभा चुनावों में राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया। ❖ **1979–1991:** धीरे-धीरे संस्थागत रूप से सुदृढ़ीकरण; 1991 के बाद इससे सख्त प्रवर्तन आरंभ। ❖ **2013: सुब्रमण्यम बालाजी निर्णय** के बाद संशोधन – घोषणा पत्र एवं मुफ्तखोरी (Freebies) पर नियम जोड़े गए।
प्रमुख प्रावधान	❖ **सामान्य आचरण:** घृणास्पद भाषण, जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना, या व्यक्तिगत हमले करना सख्त वर्जित है। ❖ **सत्तारूढ़ दल:** ऐसी नई योजनाओं, अनुदानों, नियुक्तियों या घोषणाओं पर प्रतिबंध है जो मतदाताओं को प्रभावित कर सकती हैं। ➢ **सरकारी मशीनरी का उपयोग:** चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहन, मीडिया, कर्मचारी या अतिथि गृह का उपयोग निषिद्ध है। ❖ **प्रचार और मौन अवधि:** रिश्वतखोरी, डराना-धमकाना, और शराब वितरण पर रोक है। मतदान से 48 घंटे पहले **मौन काल (Silence Period)** अनिवार्य है। ❖ **घोषणा पत्र:** राजनीतिक दलों के लिए घोषणाओं की **आर्थिक व्यवहार्यता** प्रदर्शित करना अनिवार्य है; विकृतिकारक मुफ्त उपहारों (लोकलुभावन वादों) से बचना आवश्यक है। ❖ **बैठक/जुलूस:** व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस से **पूर्व अनुमति** लेना अनिवार्य है।
MCC को मजबूत करने की आवश्यकता क्यों?	❖ **चुनाव की साख की रक्षा**: यह राज्य शक्ति के दुरुपयोग को प्रभावी ढंग से रोकता है। ❖ **पूर्व-चुनाव मुफ्तखोरी पर रोक**: यह सुनिश्चित करता है कि योजनाएं मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नहीं लाई गई हो।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	➢ **उदाहरण:** बिहार की **महिला रोजगार योजना** (2025) को पूर्व-चुनाव नकद हस्तांतरण हेतु आलोचना मिली। ❖ **निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा**: यह शासन के प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करने और राज्य-निधि आधारित प्रलोभनों को रोकने में मदद करता है। ❖ **मतदाता विश्वास निर्माण**: यह चुनाव परिणामों की विश्वसनीयता और लोकतंत्र में जनता के भरोसे को मजबूत करती है।
प्रमुख चुनौतियाँ	❖ **कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं**: ECI की दंडात्मक शक्तियां सीमित। दिनेश गोस्वामी समिति (1990) और विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट ने MCC को वैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। ❖ **योजनाओं का परोक्ष विस्तार**: सरकारें MCC लागू रहने पर भी योजनाओं को नए नामों से पुनः नामकरण (Rebrand) या तेज़ी से लागू करती हैं। ➢ उदाहरण: तेलंगाना सब्सिडी पुनर्नामकरण (2023)। ❖ **न्यायिक प्रक्रिया में विलंब**: MCC उल्लंघनों के मामलों का निपटान चुनाव चक्र पूरे होने के बाद होता है। ❖ **डिजिटल हेरफेर**: AI प्रोपेगैंडा, डीपफेक पारंपरिक निगरानी से बच निकलते हैं। ❖ **राजनीतिक प्रतिरोध**: सत्तारूढ़ दल शासन आवश्यकताओं का हवाला देकर सख्त नियंत्रण का विरोध करते हैं।
आगे की राह	❖ **वैधानिक दर्जा:** MCC को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 से जोड़ा जाए ताकि प्रवर्तन और दंड सुनिश्चित हो। ❖ **त्वरित निपटान तंत्र:** MCC शिकायतों का वास्तविक समय में निपटारा करने हेतु विशेष चुनाव न्यायाधिकरण स्थापित किए जाएँ। ❖ **तकनीक-सक्षम निगरानी:** AI टूल्स, सोशल मीडिया एनालिटिक्स, cVIGIL ऐप और AI-मॉनिटर प्रणाली से डिजिटल उल्लंघनों की निगरानी बढ़ाई जाए। ❖ **पारदर्शिता मानदंड:** शिकायतों का सार्वजनिक प्रकटीकरण + 48 घंटे में चुनाव आयोग द्वारा कार्रवाई। ❖ **नैतिक संस्थानीकरण:** राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं हेतु निर्वाचन नैतिकता (Electoral Integrity) पर प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाए।
निष्कर्ष	भारत की चुनावी अखंडता की रक्षा के लिए एक सशक्त MCC अत्यंत आवश्यक है। वैधानिक शक्ति, डिजिटल निगरानी और नैतिक राजनीतिक आचरण के साथ, MCC वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करती है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

Topic 9 - भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की दो नई केडर योजना

Syllabus	राजनीति एवं शासन | संस्थान
संदर्भ	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग (IA&AD) के अंतर्गत दो विशेषीकृत लेखा परीक्षण केडर - **केंद्रीय राजस्व लेखा परीक्षण** (CRA) तथा **केंद्रीय व्यय लेखा परीक्षण** (CEA) की स्थापना को मंज़ूरी दी है। इन दोनों नई इकाइयों की स्थापना जनवरी 2026 से की जाएगी, जिसका उद्देश्य केंद्रीकृत लेखा परीक्षा प्रणाली को सशक्त बनाना, विषयगत विशेषज्ञता बढ़ाना और राजकोषीय जवाबदेही में सुधार करना है।
घोषित नए कैडर	❖ **केंद्रीय राजस्व लेखा परीक्षण (CRA):** ➢ केंद्र सरकार की **प्राप्तियों और राजस्व** (tax, customs, revenue collection) का ऑडिट। ➢ कर प्रशासन, सीमा शुल्क, राजस्व संग्रह, अप्रत्यक्ष/प्रत्यक्ष कराधान आदि में विशेषज्ञता बढ़ेगी। ❖ **केंद्रीय व्यय लेखा परीक्षण (CEA):** ➢ केंद्र सरकार के व्यय, मंत्रालयों और विभागों की लेखा परीक्षा। ➢ बजट नियंत्रण, वित्तीय प्रबंधन तथा कार्यक्रम निष्पादन पर फोकस। ❖ **कैडर आकार:** इन दोनों केडरों में सम्मिलित रूप से लगभग 4,000+ लेखा परीक्षण पेशेवर होंगे। यह केडर अखिल भारतीय स्थानांतरण दायित्व के अंतर्गत कार्य करेगा। ❖ **कारण:** विभिन्न राज्य सिविल ऑडिट कार्यालयों से उत्पन्न विखंडन को कम करना।
सुधार की आवश्यकता क्यों है?	❖ **समरूपता का अभाव:** मौजूदा ऑडिट ढाँचा राज्यों के अनुसार विभाजित है, जिसके कारण इसमें एकरूपता की कमी है। ❖ **विशेषज्ञता की कमी:** राजस्व और व्यय ऑडिट के लिए आवश्यक विशिष्ट (क्षेत्रीय) ज्ञान और विशेषज्ञता का अभाव है। ❖ **मानकीकृत प्रणाली की आवश्यकता:** पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रीकृत और मानकीकृत ऑडिट प्रणाली स्थापित करना आवश्यक है। ❖ **जवाबदेही को मजबूत करना:** केंद्र और राज्यों दोनों स्तरों पर सार्वजनिक वित्त के पर्यवेक्षण और जवाबदेही को मजबूत करने की आवश्यकता है।
भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	❖ **संवैधानिक प्राधिकरण:** अनुच्छेद 148–151। ❖ **भूमिका:** "लोक कोष का संरक्षक (Guardian of the Public Purse)" के रूप में कार्य करता है। संघ, राज्य एवं सरकारी वित्तपोषित निकायों के राजस्व और व्यय का ऑडिट करता है। ❖ **नियुक्ति:** राष्ट्रपति द्वारा; कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक (जो पहले हो)। ❖ **हटाना:** सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान आधार प्रक्रिया - संसद में विशेष बहुमत द्वारा। **संवैधानिक प्रावधान** ❖ **अनुच्छेद 148:** CAG की स्थापना। ❖ **अनुच्छेद 149:** लेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। ❖ **अनुच्छेद 150:** सरकारी खातों का स्वरूप। ❖ **अनुच्छेद 151:** लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	CAG के प्रमुख कार्य ❖ संघ एवं राज्य सरकारों के सभी प्राप्तियों एवं व्यय का ऑडिट, जिसमें संचित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा निधि शामिल है। ❖ सरकारी कंपनियों/निगमों की लेखा परीक्षा। ❖ रिपोर्ट राष्ट्रपति/राज्यपाल को प्रस्तुत करता है → लोक लेखा समिति (PAC) द्वारा परीक्षण। ❖ विधायी समितियों के सलाहकार के रूप में कार्य। **CAG द्वारा प्रस्तुत प्रमुख रिपोर्टें** ❖ **विनियोग लेखा रिपोर्ट** – व्यय बनाम स्वीकृत राशि। ❖ **वित्त लेखा रिपोर्ट** – वार्षिक प्राप्तियां एवं संवितरण। ❖ **सार्वजनिक उपक्रम रिपोर्ट** – सरकारी कंपनियों का प्रदर्शन।

Topic 10 - व्हाइट-कॉलर आतंकवाद का खतरा: उग्रवाद का नया स्वरूप	
Syllabus	सुरक्षा | आतंकवाद
संदर्भ	**फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल** के खुलासे ने भारत में '**सफेदपोश आतंकवाद**' (White-Collar Terrorism) के गंभीर स्वरूप को उजागर किया है। यह आतंकवाद का वह रूप है जहाँ उच्च शिक्षित पेशेवर (जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक) अपनी तकनीकी विशेषज्ञता और सामाजिक प्रतिष्ठा का उपयोग कर परिष्कृत चरमपंथी गतिविधियों को अंजाम देते हैं।
व्हाइट-कॉलर आतंकवाद की परिभाषा	यह आतंकवाद का एक विशिष्ट रूप है, जो निम्नलिखित विशेषताओं द्वारा परिभाषित है: ❖ **शिक्षित उग्रवाद:** आतंकी गतिविधियों की योजना और क्रियान्वयन उच्च शिक्षित पेशेवरों (जैसे - डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वैज्ञानिक) द्वारा किया जाता है। ❖ **वैचारिक प्रेरणा:** गरीबी या सामाजिक अभाव के बजाय, गहरी **वैचारिक प्रतिबद्धता** या 'नैतिक आक्रोश' कट्टरपंथ का मुख्य आधार होता है। ❖ **रणनीतिक लाभ:** उग्रवादी अपनी तकनीकी विशेषज्ञता और सम्मानित सामाजिक स्थिति का लाभ उठाकर छिपकर काम करते हैं।
विशेषताएँ	❖ **सामाजिक छद्मावरण:** यह वर्ग जनसामान्य में घुल-मिल जाता है और सम्मानित पेशेवर और शहरी परिवेश में सहज उपस्थिति बनाए रखते हैं। ❖ **नैतिक औचित्य:** हिंसा को अक्सर एक नैतिक या आध्यात्मिक कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत कर, नैतिक श्रेष्ठता का भाव पैदा किया जाता है। ❖ **तकनीकी परिष्कार:** हमलों की योजना में उन्नत इंजीनियरिंग, आईटी कौशल और तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग किया जाता है। ❖ **डिजिटल भर्ती:** उग्र विचारधाराओं का प्रसार एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन 'इको-चैंबर्स' के माध्यम से होता है।
मूल समस्या	इस प्रकार के उग्रवाद की ओर बदलाव गंभीर चिंताएँ उत्पन्न करता है: ❖ शहरी, शिक्षित युवाओं का आतंकी नेटवर्क में शामिल होना। ❖ कट्टरता का स्रोत **विचारधारात्मक अलगाव** है, न कि गरीबी या सामाजिक वंचना। ❖ ऑनलाइन इको-चैंबर्स हिंसक विचारधाराओं के सामान्यीकरण को तेज करते हैं और सहानुभूति के पुनरावर्तन

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	को जन्म देता है। ❖ यह प्रवृत्ति धर्म-आधारित, राष्ट्रवाद और अलगाववाद - **सभी प्रकार के चरमपंथों** में दिखाई देती है।
समाज एवं सुरक्षा पर प्रभाव	इस प्रवृत्ति के दूरगामी परिणाम हैं: ❖ **विश्वास का ह्रास:** प्रतिष्ठित पेशों (डॉक्टर, इंजीनियर) में सार्वजनिक विश्वास कमजोर होता है। ❖ आतंकी अभियानों की तकनीकी क्षमता में वृद्धि। ❖ स्वच्छ पृष्ठभूमि के कारण **पहचानना अत्यंत कठिन**। ❖ वैश्विक संपर्क और गतिशीलता → अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क को बल। ❖ **नैतिक ध्रुवीकरण:** हिंसा का महिमामंडन समाज को विभाजित करता है।
व्हाइट-कॉलर आतंकवाद से निपटने की रणनीतियाँ	इन उग्रवादियों की मंशा और क्षमता दोनों को संबोधित करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है: ❖ **निवारक शिक्षा:** नैतिकता-आधारित शिक्षा के माध्यम से नागरिक सहानुभूति को बढ़ावा देना। ❖ **सामुदायिक सतर्कता:** उग्रवाद के प्रारंभिक संकेतों की पहचान के लिए सामुदायिक जागरूकता बढ़ाना। ❖ **डी-रेडिकलाइजेशन:** कट्टरपंथियों के समाज में पुनः समावेश हेतु मनोवैज्ञानिक चिकित्सा और परामर्श योजनाएँ। ❖ **डिजिटल निगरानी:** सख्त गोपनीयता सुरक्षा के साथ AI-आधारित डिजिटल निगरानी उपकरणों का उपयोग। ❖ **पेशेवर निगरानी:** उच्च विश्वास वाले पेशों में उच्च नैतिक संहिता और जवाबदेही प्रणाली लागू करना। ❖ **नागरिक सहभागिता:** वैचारिक अलगाव और अलगाववाद से निपटने हेतु नागरिक संवाद मंचों की स्थापना।
निष्कर्ष	व्हाइट-कॉलर आतंकवाद की विशेषता है गहरी वैचारिक प्रतिबद्धता और उच्च क्षमता। इसे रोकने के लिए नैतिकता, प्रौद्योगिकी तथा समावेशी नागरिक स्थान पर केंद्रित प्रयासों की आवश्यकता है ताकि मंशा और विचारधारा दोनों को समाप्त किया जा सके।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

IR

Topic 1 - भारत-भूटान संबंध	
Syllabus	अंतर्राष्ट्रीय संबंध | भारत और उसके पड़ोसी
संदर्भ	भारत और भूटान के संबंध विश्वास, गहरी सांस्कृतिक निकटता और मज़बूत रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की थिम्फू यात्रा ने इन संबंधों को और सुदृढ़ किया, जो हिमालयी क्षेत्र में सभ्यतागत गहराई और भू-राजनीतिक महत्व को दर्शाते हैं।
संबंधों के मुख्य आधार	❖ **ऐतिहासिक और कूटनीतिक:** ➢ **मैत्री संधि (1949):** संबंधों की आधारशिला रखी गई, जिसे 2007 में अद्यतन किया गया, जिससे भूटान की स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को मान्यता मिली। ➢ **कूटनीतिक स्थिरता:** भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत भूटान सबसे विश्वसनीय पड़ोसी बना हुआ है। ❖ **साझा मूल्य:** मज़बूत सांस्कृतिक, धार्मिक (बौद्ध धर्म) और सभ्यतागत संबंध दोनों देशों को जोड़ते हैं। ❖ **भू-रणनीतिक महत्व:** भूटान भारत के लिए हिमालयी बफ़र के रूप में कार्य करता है, जो भारत की उत्तरी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ❖ **आर्थिक सहयोग:** भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जो भूटान के 90% निर्यात (मुख्यतः जलविद्युत) का ख़रीददार है।
सहयोग के प्रमुख क्षेत्र और उपलब्धियाँ	❖ **जलविद्युत:** चुखा, ताला और मांगदेच्छु जैसी प्रमुख परियोजनाएं (2,100 मेगावॉट+) भूटान की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हैं और भारत को बिजली की आपूर्ति करती हैं। हाल ही में (2025), **पुनात्सांगच्छु-II** (1,020 मेगावॉट) परियोजना का उद्घाटन किया गया। ❖ **सुरक्षा:** मज़बूत रक्षा समन्वय, जिसमें **ऑपरेशन ऑल क्लियर (2003)** के माध्यम से उग्रवादी ठिकानों को सफलतापूर्वक हटाना शामिल है। ❖ **कनेक्टिविटी (संपर्क):** रेलवे लिंक का विकास किया जा रहा है, जिनमें कोकराझार–गेलफू और बानरहाट–सामत्से परियोजनाएं शामिल हैं। ❖ **डिजिटल एकीकरण:** रुपे, भीम यूपीआई और क्यूआर कोड के एकीकरण से निर्बाध सीमा पार भुगतान संभव हुआ। ❖ **अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी:** सहयोग में भारत–भूटान संयुक्त उपग्रह प्रक्षेपण (2022) और संयुक्त ग्राउंड स्टेशन की स्थापना शामिल है। ❖ **युवा एवं विकास:** भारत **ग्यालसंग नेशनल सर्विस पहल** के तहत युवाओं के कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए अनुदान/ऋण प्रदान करता है। ❖ **ऊर्जा भविष्य: नवीकरणीय ऊर्जा गोलमेज 2024** में सौर, हाइड्रोजन और निजी जलविद्युत में सहयोग पर बल दिया गया।
भारत की प्रमुख प्रतिबद्धताएं	❖ भारत ने भूटान की **13वीं पंचवर्षीय योजना** के समर्थन के लिए **₹10,000 करोड़** की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ❖ सांस्कृतिक संबंधों को **बुद्ध अवशेषों के आदान-प्रदान** और **धरोहर पुनर्स्थापन** प्रयासों से मज़बूती मिली है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

आगे का मार्ग (भविष्य की दिशा)	1. **आर्थिक विविधीकरण:** तकनीक, पर्यटन, कृषि और शिक्षा में सहयोग के माध्यम से भूटान की अर्थव्यवस्था का विस्तार करना। 2. **ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर:** सौर, हाइड्रोजन और कार्बन-बाज़ार एकीकरण के लिए संयुक्त अवसंरचना का निर्माण। 3. **तेज़ कनेक्टिविटी:** रेल, फाइबर-ऑप्टिक और पावर-ग्रिड परियोजनाओं को तेज़ी से पूरा करना। 4. **भविष्य-उन्मुख सहयोग:** युवाओं के विकास, शिक्षा, AI और स्टार्ट-अप्स में संबंधों को मज़बूत करना। 5. **क्षेत्रीय स्थिरता:** विशेषकर डोकलाम क्षेत्र में संयुक्त सुरक्षा सतर्कता बनाए रखना।**ity:** Maintaining joint security vigilance, particularly in the **Doklam sector**.
निष्कर्ष	भारत-भूटान साझेदारी विश्वास, पारस्परिक सम्मान और साझा मूल्यों का उत्कृष्ट उदाहरण है। जैसे-जैसे दोनों देश हरित और डिजिटल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, इस संबंध को जलविद्युत-केंद्रित सहयोग से ज्ञान-आधारित साझेदारी की ओर विकसित होना चाहिए, ताकि दीर्घकालिक क्षेत्रीय सामंजस्य सुनिश्चित किया जा सके।

Topic 2 - भारत–स्पेन संबंध

Syllabus	अंतर्राष्ट्रीय संबंध | द्विपक्षीय संबंध
संदर्भ	स्पेन के प्रधानमंत्री **पेद्रो सांचेज़** ने प्रधानमंत्री **नरेंद्र मोदी** के साथ **वडोदरा, गुजरात** में भारतीय वायुसेना के लिए **C295 विमान की फाइनल असेंबली लाइन (Final Assembly Line)** का उद्घाटन किया।
ऐतिहासिक संबंध	❖ **राजनयिक संबंधों की स्थापना:** 1956 में। ❖ **आधार:** साझा **लोकतांत्रिक मूल्य**, **वैश्विक शांति**, और **बहुसांस्कृतिकता।** ❖ **सुदृढ़ीकरण:** उच्च स्तरीय दौरों और **सांस्कृतिक सहयोग** के माध्यम से संबंधों में निरंतर प्रगति।
द्विपक्षीय व्यापार परिदृश्य (2023)	❖ **कुल व्यापार**: USD 8.25 बिलियन (भारत का निर्यात: USD 6.33 बिलियन + आयात: USD 1.92 बिलियन) ❖ **प्रमुख निर्यात**: खनिज ईंधन, मशीनरी, वस्त्र, समुद्री उत्पाद, रासायनिक उत्पाद। ❖ **प्रमुख आयात**: इंजीनियरिंग वस्तुएँ, रक्षा प्रौद्योगिकी, सिरेमिक, नवीकरणीय ऊर्जा घटक।
निवेश संबंध	❖ **स्पेन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):** ➢ USD 3.94 बिलियन (2000–2023) - भारत में **16वाँ** सबसे बड़ा निवेशक ➢ **280+ स्पेनिश कंपनियां** - धातुकर्म, नवीकरणीय ऊर्जा, ऑटोमोबाइल, अवसंरचना क्षेत्रों में। ➢ प्रमुख राज्य: **महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक** ❖ **भारत से स्पेन में FDI:** ➢ **USD 900 मिलियन** - लगभग **80 भारतीय कंपनियाँ** IT, फार्मा, लॉजिस्टिक्स, रसायन आदि क्षेत्रों में सक्रिय। ➢ भारत स्पेन के शीर्ष **30 वैश्विक निवेशकों** में शामिल है। ❖ **संस्थागत तंत्र:** ➢ **आर्थिक सहयोग पर संयुक्त आयोग (JCEC):** 1972 में स्थापित; नवीनतम बैठक – 2023। ➢ **भारत–स्पेन सीईओ मंच:** 2015 में प्रारंभ - कॉर्पोरेट साझेदारी को प्रोत्साहन देता है।
सहयोग के अन्य क्षेत्र	**रणनीतिक एवं रक्षा सहयोग** ❖ **रक्षा क्षेत्र:** स्पेन, आत्मनिर्भर भारत पहल को C295 विमान, पनडुब्बी एवं नौसैनिक प्रौद्योगिकी सहयोग के माध्यम से समर्थन देता है। ❖ **आतंकवाद-रोधी सहयोग:** वैश्विक आतंक नेटवर्कों के विरुद्ध संयुक्त खुफिया साझेदारी।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	❖ **साइबर एवं समुद्री सुरक्षा:** नवोन्मेषी सुरक्षा क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग। **सतत विकास एवं जलवायु साझेदारी** ❖ दोनों देश पेरिस समझौते के प्रति समान रूप से प्रतिबद्ध हैं। ❖ **नवीकरणीय ऊर्जा** में स्पेन की विशेषज्ञता, भारत के **हरित संक्रमण लक्ष्यों** के अनुरूप है। ❖ **अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)** के तहत सक्रिय सहयोग। **बहुपक्षीय सहयोग** ❖ **संयुक्त राष्ट्र (UN):** शांति स्थापना एवं सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) पर साझा कार्य। ❖ **G20:** वैश्विक **आर्थिक स्थिरता** और **जलवायु वित्त** पर सहयोग। ❖ **ISA:** भारत की सौर ऊर्जा पहल के लिए स्पेन का समर्थन।
स्पेन में भारतीय प्रवासी	❖ लगभग **55,000 भारतीय (2023)**, मुख्यतः मैड्रिड और बार्सिलोना में निवासरत। ❖ सक्रिय क्षेत्र: अतिथि सत्कार (Hospitality), IT, स्वास्थ्य सेवा एवं खुदरा व्यापार (Retail)। ❖ ये प्रवासी समुदाय सांस्कृतिक एवं व्यापारिक सेतु के रूप में कार्य करता है।
निष्कर्ष	**भारत–स्पेन संबंध** अब केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि **प्रौद्योगिकी और रक्षा साझेदारी** तक विस्तारित हो चुके हैं - जो **आपसी विश्वास की गहराई** को दर्शाते हैं। **C295 विमान परियोजना** इस **रणनीतिक सहयोग के नए युग** का प्रतीक है - जो **ऊर्जा, नवाचार और वैश्विक शासन** में और गहरी सहभागिता का मार्ग प्रशस्त करता है।

Topic 3 - भारत–अमेरिका 10-वर्षीय रक्षा रूपरेखा

Syllabus	अंतर्राष्ट्रीय संबंध | रक्षा सहयोग
संदर्भ	भारत और अमेरिका ने **"भारत–अमेरिका प्रमुख रक्षा साझेदारी हेतु 10-वर्षीय रूपरेखा"** पर हस्ताक्षर किए हैं - जो **इंडो-पैसिफिक क्षेत्र** पर विशेष ध्यान देते हुए **दीर्घकालिक सैन्य, औद्योगिक एवं रणनीतिक सहयोग** की दिशा में एक निर्णायक कदम है।
भारत–अमेरिका रक्षा संबंधों की पृष्ठभूमि	❖ **विकास क्रम:** साझेदारी की शुरुआत **2005** के **रक्षा फ्रेमवर्क समझौते** से हुई थी, जिसे 2015 में नवीनीकृत किया गया। इसने सैन्य अभ्यास, समुद्री सुरक्षा और रक्षा व्यापार की नींव रखी। ❖ **मूलभूत समझौते:** ➢ **LEMOA (2016)**: पारस्परिक लॉजिस्टिक पहुँच। ➢ **कोमकासा (COMCASA) (2018)**: सुरक्षित संचार व्यवस्था। ➢ **बेका (BECA) (2020)**: भू-स्थानिक खुफिया साझाकरण। ➢ **SOSA (2024)**: आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा सहयोग। ❖ **2025 की रूपरेखा** अगले दशक के लिए सहयोग को संस्थागत रूप देती है - जिसमें संयुक्त अनुसंधान एवं विकास (R&D), सह-विकास (Co-development), रक्षा तकनीक का हस्तांतरण (इंडस-एक्स **(INDUS-X)** एवं रक्षा प्रौद्योगिकी एवं व्यापार पहल **(DTTI)** के अंतर्गत) तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समन्वय शामिल हैं।
10-वर्षीय रूपरेखा की प्रमुख विशेषताएँ	❖ **नीतिगत रोडमैप:** सैन्य, औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में **सतत सहयोग हेतु एकीकृत दिशा** प्रदान करता है ❖ **प्रौद्योगिकी एवं सह-उत्पादन: 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड'** के तहत **उन्नत रक्षा प्रणालियों** के **संयुक्त विकास** को बढ़ावा। ❖ **आसूचना (खुफिया) साझाकरण में वृद्धि:** साइबर, समुद्री और हाइब्रिड खतरों के समन्वय पर विशेष बल।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	❖ **संयुक्त सैन्य अभ्यासों का विस्तार: युद्ध अभ्यास, मालाबार, टाइगर ट्रायम्फ** और **नए त्रिपक्षीय अभ्यास** शामिल। ❖ **क्षेत्रीय सुरक्षा: स्वतंत्र, खुला और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था** हेतु साझा इंडो-पैसिफिक दृष्टिकोण को सुदृढ़ करता है।
रणनीतिक महत्व	❖ **हिन्द प्रशांत केंद्रित दृष्टिकोण: गहन रणनीतिक समन्वय** के माध्यम से **चीन की आक्रामक रणनीति** का मुकाबला। ❖ **रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा: iCET** (क्रिटिकल एवं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पहल) **फ्रेमवर्क** के अंतर्गत अमेरिकी फर्मों को भारत में सह-उत्पादन के लिए प्रोत्साहन। ➢ उन्नत अमेरिकी सैन्य प्रौद्योगिकी तक पहुँच → **आत्मनिर्भर भारत** के तहत **स्वदेशी रक्षा निर्माण** के लिए अत्यंत आवश्यक। ❖ **आपूर्ति श्रृंखला में विविधता:** एकल रक्षा आयात स्रोत पर अत्यधिक निर्भरता (Over-reliance) को घटाता है। ❖ **व्यापारिक मतभेदों के बावजूद दृढ़ संबंध:** रक्षा सहयोग टैरिफ तनावों के बावजूद स्थिर और सुरक्षित बना हुआ है।
हिन्द प्रशांत एवं रणनीतिक अभिसरण	❖ **क्वाड सहयोग** (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) को सशक्त करता है। ❖ **एकीकृत प्रतिरोध (Integrated Deterrence)** और **नेविगेशन की स्वतंत्रता** के सिद्धांतों को आगे बढ़ाता है। ❖ भारत को **नेट सुरक्षा प्रदाता** और **क्षेत्रीय स्थिरता में प्रमुख साझेदार** के रूप में स्थापित करता है।
निष्कर्ष	नई 10-वर्षीय रक्षा रूपरेखा भारत–अमेरिका रक्षा संबंधों को परिपक्व सामरिक साझेदारी के रूप में सुदृढ़ करती है। प्रौद्योगिकी साझेदारी, सह-उत्पादन एवं क्षेत्रीय सुरक्षा समन्वय गहन कर, यह इंडो-पैसिफिक में भारत की भूमिका सुदृढ़ करता है एवं दोनों राष्ट्रों की स्वतंत्र एवं सुरक्षित क्षेत्रीय व्यवस्था बनाए रखने की क्षमता बढ़ाता है।

Topic 4 - प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी (MNNA)

Syllabus	अंतर्राष्ट्रीय संबंध | रक्षा संबंध
संदर्भ	अमेरिका ने हाल ही में सऊदी अरब को प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी (MNNA) का दर्जा प्रदान किया है, जो राष्ट्रपति ट्रम्प और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) की हालिया बैठक के बाद रक्षा सहयोग में महत्वपूर्ण वृद्धि का संकेत है।
MNNA क्या है?	❖ MNNA एक विशेष अमेरिकी रणनीतिक दर्जा है, जिसे 1980 के दशक में स्थापित किया गया था। ❖ इसका उद्देश्य अमेरिका के वैश्विक गठबंधन नेटवर्क को नाटो (NATO) से परे विस्तारित करना है। ❖ **प्रमुख विशेषताएँ:** ➢ यह दर्जा प्राप्तकर्ता देशों को सैन्य, वित्तीय और तकनीकी लाभ प्रदान करता है। ➢ इसमें नाटो संधि के **अनुच्छेद 5** जैसी पारस्परिक सुरक्षा गारंटी **शामिल नहीं** होती है। ❖ **उद्देश्य** ➢ प्रमुख साझेदारों के साथ रक्षा और रणनीतिक समन्वय को गहरा करना, तथा ➢ उन्हें उन्नत अमेरिकी हथियारों, प्रशिक्षण और संयुक्त सुरक्षा ढाँचों तक आसान पहुँच प्रदान करना। ❖ **वर्तमान स्थिति:** वर्तमान में कुल 20 राष्ट्रों को यह दर्जा प्राप्त है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

MNNA दर्जे के प्रमुख लाभ

- ❖ **प्राथमिकता पहुँच:** अमेरिकी सैन्य उपकरणों के अधिशेष (अतिरिक्त रक्षा सामग्री) तक प्राथमिकता के आधार पर पहुँच।
- ❖ **लॉजिस्टिक्स सुविधा:** अमेरिकी **वार रिज़र्व स्टॉकपाइल्स** की मेजबानी करने की क्षमता।
- ❖ **प्रौद्योगिकी सहयोग:** संयुक्त रक्षा अनुसंधान एवं विकास (R&D) और परीक्षण कार्यक्रमों में पात्रता।
- ❖ **प्रशिक्षण एवं अनुबंध:** विशेष प्रशिक्षण समझौतों और अमेरिकी रक्षा विभाग (DoD) के विदेशी अनुबंधों तक पहुँच।
- ❖ **वित्तपोषण:** आतंकवाद-रोधी प्रयासों और उन्नत सुरक्षा तकनीकों के लिए फंडिंग तक पहुँच।

भारत की विशिष्ट स्थिति: मेजर डिफेन्स पार्टनर (MDP)

- ❖ भारत MNNA देश नहीं है।
- ❖ **MDP दर्जा:** भारत को वर्ष 2016 से **मेजर डिफेंस पार्टनर (MDP)** का विशिष्ट दर्जा प्राप्त है।
- ❖ **लाभ:** यह विशेष श्रेणी भारत को उच्च-स्तरीय अमेरिकी रक्षा तकनीकों तक पहुँच और उन्नत रक्षा व्यापार सहयोग सुनिश्चित करती है।
- ❖ **MNNA और MDP की तुलना तथा भारत का तर्क:**

विशेषता	मेजर नॉन-नाटो एलाय (MNNA)	मेजर डिफेन्स पार्टनर (MDP)
प्रकृति	विशिष्ट, विधिक रूप से स्थापित दर्जा, जिसमें पूर्व-निर्धारित लाभ शामिल हैं।	भारत के लिए बनाया गया एक विशेष, अनूठा दर्जा।
फोकस	सैन्य, वित्तीय और तकनीकी लाभ।	तकनीकी सह-विकास और सह-उत्पादन को बढ़ावा देना।
तंत्र	सामान्य समझौते।	**डिफेन्स टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव (DTTI)** और **INDUS-X**।
भारत का दृष्टिकोण	भारत MNNA दर्जे से जुड़ी "गठबंधन की बाधाओं" या संभावित दायित्वों से बचाव के लिए इसे प्राथमिकता नहीं देता।	भारत इस दर्जे को प्राथमिकता देता है, क्योंकि यह सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के साथ-साथ भारत की **रणनीतिक स्वायत्तता** और **गुटनिरपेक्षता** की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

Topic 5 - भारत–आसियान शिखर सम्मेलन 2025

Syllabus	अंतर्राष्ट्रीय संबंध | अंतर्राष्ट्रीय संगठन
संदर्भ	**22वाँ आसियान–भारत शिखर सम्मेलन** वर्चुअल रूप में **कुआला लम्पुर, मलेशिया** (आसियान अध्यक्ष – 2025) से आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने समुद्री सुरक्षा, डिजिटल समावेशन और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं पर सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई तथा **2026** को **"आसियान–भारत समुद्री सहयोग वर्ष"** घोषित किया।
भारत–आसियान संबंधों की पृष्ठभूमि	❖ **औपचारिक संलग्नता:** 1992 में **क्षेत्रीय वार्ता भागीदार** के रूप में प्रारंभ; 1996 में पूर्ण **वार्ता भागीदारी में उन्नयन।** ❖ **एक्ट ईस्ट नीति (2014):** लुक ईस्ट नीति से विकसित - आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों पर केंद्रित। ❖ **समग्र रणनीतिक साझेदारी (2022):** रक्षा, संपर्क (कनेक्टिविटी) और व्यापार में सहयोग को सुदृढ़ किया। ❖ **मुक्त व्यापार समझौते (2009, 2015):** भारत–आसियान वस्तु व्यापार समझौता (AITIGA) एवं सेवा व निवेश समझौता - आर्थिक संबंधों को बढ़ावा। आसियान भारत का **चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार** (वैश्विक व्यापार का ≈11%) है। ❖ **सांस्कृतिक संबंध: बौद्ध धर्म, प्राचीन समुद्री व्यापार और सभ्यतागत आदान–प्रदान** के माध्यम से साझा विरासत।
सहयोग के प्रमुख क्षेत्र	❖ **समुद्री सुरक्षा**: हिंद-प्रशांत में संयुक्त गश्त, डोमेन जागरूकता एवं नौसैनिक अभ्यास। नियम-आधारित हिंद-प्रशांत व्यवस्था (**SAGAR** दृष्टिकोण)। ❖ **आर्थिक एकीकरण**: AITIGA की समीक्षा - व्यापार वृद्धि और गैर-शुल्क बाधाओं को कम करने हेतु। ❖ **डिजिटल एवं हरित अर्थव्यवस्था**: डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI), नवीकरणीय ऊर्जा और एआई-आधारित नवाचार में सहयोग। ❖ **संपर्क परियोजनाएँ**: **भारत–म्यांमार–थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग** (IMT-TH) तथा **कलादान मल्टी-मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना** (KMMTTP) से क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा। ❖ **लोगों के बीच संपर्क**: AINTT एवं ICCR पहलों के माध्यम से शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन आदान-प्रदान। ❖ **रक्षा निर्यात**: रक्षा खरीद के माध्यम से संबंध सुदृढ़ — जैसे **फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल सौदा**।
शिखर सम्मेलन के मुख्य परिणाम और घोषणाएं	❖ **भारत–आसियान कार्य योजना (2026–2030):** व्यापार, खाद्य सुरक्षा, नवाचार एवं क्षमता निर्माण पर केंद्रित। ❖ **भारत–आसियान कोष (₹500 करोड़):** कनेक्टिविटी, कृषि एवं कौशल विकास परियोजनाओं को समर्थन। ❖ **समुद्री फोकस (2026):** "भारत–आसियान समुद्री सहयोग वर्ष" → नीली अर्थव्यवस्था एवं महासागरीय सहयोग को बढ़ावा देना। ❖ **सांस्कृतिक कूटनीति:** भारत **लोथल, गुजरात** में **ईस्ट एशिया समिट समुद्री विरासत महोत्सव** की मेजबानी करेगा - साझा सभ्यतागत संबंधों को प्रदर्शित करने हेतु। ❖ **टिमोर-लेस्ते** का **आसियान के 11वें सदस्य** के रूप में भारत ने स्वागत किया।
भारत के लिए महत्व	❖ **हिंद-प्रशांत:** अमेरिका–चीन प्रतिद्वंद्विता के बीच **लोकतांत्रिक संतुलन** के रूप में कार्य करता है तथा **बहुध्रुवीय एशिया** को बढ़ावा देता है। ❖ **आर्थिक द्वार:** वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं तक पहुँच को सुदृढ़ करता है, **चीन पर निर्भरता कम** करता है → **चीन+1 रणनीति** के तहत विविधीकरण। ❖ **पूर्वोत्तर का विकास:** संपर्क परियोजनाएँ भारत के **पूर्वोत्तर को आसियान बाजारों** से जोड़ती हैं - **आर्थिक गलियारों** का निर्माण।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	❖ **वैश्विक दक्षिण नेतृत्व:** भारत और आसियान को **वैश्विक स्थिरता** और **दक्षिण–दक्षिण सहयोग** के लिए साझेदार के रूप में स्थापित करना।
आगामी चुनौतियाँ	❖ **व्यापार असंतुलन:** आसियान से आयात भारत के निर्यात से अधिक (**2023** में व्यापार घाटा - **US$44 बिलियन)**; मूल्य-संवर्धित व्यापार सीमित। ❖ **AITIGA समीक्षा में देरी:** प्रक्रियात्मक और संरक्षणवादी बाधाएं प्रगति को धीमा करती हैं। ❖ **चीन कारक:** आसियान की चीन पर निर्भरता भारत के रणनीतिक प्रभाव को सीमित करती है। ❖ **संपर्क अंतराल:** IMT राजमार्ग और कलादान परियोजनाओं में धीमी प्रगति - क्षेत्रीय एकीकरण में बाधा उत्पन्न करती है। ❖ **विविध प्राथमिकताएँ:** आसियान की **तटस्थ नीति** बनाम भारत की **क्वाड संरेखण** - रणनीतिक संकोच उत्पन्न करता है।
आगे की राह	❖ **AITIGA समीक्षा में तेजी:** सेवा क्षेत्र और **डिजिटल व्यापार एकीकरण** को सुदृढ़ करें। ❖ **समुद्री सहयोग को बढ़ावा:** नौसैनिक अभ्यास और ब्लू इकोनॉमी परियोजनाओं को क्रियान्वित करें। ❖ **संपर्क सुदृढ़ करें:** पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण–पूर्व एशिया से **मल्टी-मॉडल गलियारों** के माध्यम से जोड़ें। ❖ **संस्थागत संवाद:** रणनीतिक विश्वास हेतु **Track 1.5 और Track 2 संवाद** को बढ़ावा दें। ❖ **संतुलित कूटनीति: आसियान केंद्रीयता** को बनाए रखते हुए **इंडो-पैसिफिक लक्ष्यों** को समावेशिता के साथ संरेखित करें।
निष्कर्ष	भारत–आसियान साझेदारी में संस्कृति और रणनीतिक आधुनिकता का संतुलित संगम दिखता है। साझा इंडो–पैसिफिक दृष्टि हेतु 2026 की 'समुद्री सहयोग वर्ष' पहल एक लचीला, समावेशी और आधुनिक क्षेत्रीय व्यवस्था का आधार बनेगी।
GS/निबंध हेतु उद्धरण	"आसियान भारत के मुक्त, खुले और समावेशी इंडो-पैसिफिक दृष्टिकोण का केंद्र है।" – प्रधानमंत्री मोदी, अक्टूबर 2025

Topic 6 - ब्रिक्स पे (BRICS Pay)

Syllabus	अंतरराष्ट्रीय संबंध | अर्थव्यवस्था
संदर्भ	ब्रिक्स राष्ट्र (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, तथा दक्षिण अफ्रीका) ने एक उन्नत **सीमा-पार भुगतान एवं संदेश प्रणाली 'ब्रिक्स पे'** विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
ब्रिक्स पे के बारे में	❖ **मुख्य कार्य:** सदस्य देशों के बीच उनकी **स्थानीय मुद्राओं** (Local Currencies) में सीमा-पार लेन–देन को सुगम बनाना। ❖ **प्राथमिक उद्देश्य:** सीमा-पार भुगतानों के लिए अमेरिकी प्रभुत्व वाली **स्विफ्ट (SWIFT) प्रणाली का एक व्यवहार्य विकल्प** प्रदान करना, जिससे **अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम** हो सके। यह एक अधिक **बहुध्रुवीय** और **प्रतिबंधों का सामना** करने में सक्षम वैश्विक वित्तीय संरचना को बढ़ावा देने का इरादा रखता है। ❖ **पृष्ठभूमि एवं विकास** ➢ **उत्पत्ति:** इस अवधारणा को 2014 के बाद गति मिली जब रूस पर पश्चिमी प्रतिबंध लगाए गए, जिसने मौजूदा पश्चिमी-प्रधान वित्तीय अवसंरचना पर निर्भर राष्ट्रों की भेद्यता को उजागर किया। ➢ इस पहल को **कज़ान शिखर सम्मेलन 2024** में औपचारिक रूप से संस्थागत रूप दिया गया तथा अक्टूबर 2024 में **मॉस्को** में इसका कार्यशील मॉडल प्रदर्शित किया गया।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	➢ **प्रारंभिक उपलब्धियां:** ■ **फ़ोर्टालेज़ा शिखर सम्मेलन (2014): न्यू डेवलपमेंट बैंक** (NDB) और **कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट** (CRA) की स्थापना - वित्तीय सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ। ■ **2017 के बाद:** सदस्य देशों के बीच **स्थानीय मुद्रा व्यापार** और **मुद्रा स्वैप तंत्र (Currency Swap Mechanisms)** को सक्रिय करने पर विशेष ध्यान दिया गया।
कार्यविधि एवं तकनीकी आधार	❖ **विकासकर्ता:** ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स (BPTF) - सदस्य राष्ट्रों की मौजूदा राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों के बीच **अंतरसंचालनीयता** (Interoperability) सुनिश्चित करने पर केंद्रित। ❖ **मौजूदा प्रणालियाँ:** ➢ **भारत**: यूपीआई (एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस) ➢ **चीन**: CIPS (सीमा पार अंतर-बैंक भुगतान प्रणाली) ➢ **रूस**: SPFS (वित्तीय संदेशों के हस्तांतरण हेतु प्रणाली) ➢ **ब्राज़ील**: पिक्स (Pix) ➢ **दक्षिण अफ्रीका**: SAMOS (दक्षिण अफ़्रीकी बहुविकल्पीय निपटान)। ❖ इन सभी प्रणालियों का सम्मिलित नेटवर्क ब्रिक्स पे का **तकनीकी आधार** बनाता है। ❖ डिजिटल संरचना: **ब्लॉकचेन** एवं **सुरक्षित API** के माध्यम से वास्तविक समय निपटान की सुविधा।
ब्रिक्स पे का महत्व	❖ **डि-डॉलरीकरण** (De-dollarisation): यह वैश्विक व्यापार और वित्त में अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देता है तथा सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं को अमेरिकी मौद्रिक और विनिमय दर अस्थिरता से सुरक्षा प्रदान करता है। ❖ **वित्तीय संप्रभुता एवं प्रतिबंधों से बचाव**: ब्रिक्स राष्ट्रों को पश्चिमी-नियंत्रित प्रणालियों (जैसे स्विफ्ट) को दरकिनार करने की अनुमति देता है तथा सदस्यों (उदा., रूस, ईरान) को एकपक्षीय प्रतिबंधों या भू-राजनीतिक नाकाबंदी से सुरक्षा प्रदान करता है। ❖ **स्थानीय मुद्राओं को प्रोत्साहन**: ब्रिक्स देशों की स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को प्रोत्साहन - विनिमय जोखिम और लेन-देन लागत में कमी। ❖ **ब्रिक्स एकजुटता एवं सहयोग को मजबूती**: सदस्य राष्ट्रों के बीच वित्तीय एकीकरण और आर्थिक सहयोग को गहरा करता है (दक्षिण–दक्षिण सहयोग)। ❖ **वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली**: उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक वैकल्पिक, अधिक समावेशी और बहुध्रुवीय वैश्विक वित्तीय ढाँचा विकसित करता है। ❖ **डिजिटल एकीकरण**: यूपीआई (UPI), एसपीएफएस (SPFS) और सिप्स (CIPS) जैसी राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों के साथ परस्पर संचालनीयता (Interoperability) को बढ़ावा देता है।
भारत के लिए निहितार्थ	❖ **लेनदेन जोखिम में कमी**: प्रतिबंधों का सामना कर रहे देशों (जैसे रूस एवं ईरान) के साथ व्यापार के लिए सुरक्षित मार्ग प्रदान करता है तथा महत्वपूर्ण आयातों (जैसे छूट प्राप्त तेल) की निरंतरता सुनिश्चित करता है। ❖ **रुपये को प्रोत्साहन**: भारतीय रुपये में व्यापार निपटान तथा इसके अंतरराष्ट्रीयकरण को बढ़ावा मिलता है, जिससे तृतीय-पक्ष मुद्राओं पर निर्भरता और विनिमय दर का जोखिम कम होता है। ❖ **डिजिटल नेतृत्व**: भारत का सफल, कम लागत वाला UPI मॉडल वैश्विक वित्तीय प्रौद्योगिकी और फिनटेक शासन में देश की भूमिका को मजबूत करता है। ❖ **भू-राजनीतिक संतुलन**: यह भारत को पश्चिमी वित्तीय प्रणाली के साथ अपनी भागीदारी बनाए रखते हुए रणनीतिक स्वायत्तता और **बहुध्रुवीय आर्थिक समूह** में शामिल होने का अवसर देता है।
चुनौतियाँ	❖ **तकनीकी अंतरसंचालनीयता**: विभिन्न राष्ट्रीय प्रणालियों (जैसे, भारत का UPI, रूस का SIPS, चीन का SPFS) को अलग-अलग मानकों, सुरक्षा प्रोटोकॉल और नियामक ढाँचों के साथ एकीकृत (संरेखित) करना जटिल है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	❖ **भू-राजनीतिक अविश्वास**: राजनीतिक तनाव (जैसे- भारत-चीन सीमा विवाद) एवं किसी एक राष्ट्रीय प्रणाली (जैसे, चीन के CIPS/युआन) के प्रभुत्व को लेकर आशंकाएँ सहयोग की गति को धीमा कर सकती हैं। ❖ **मुद्रा समन्वय का अभाव**: विविध मौद्रिक नीतियाँ और एकीकृत ब्रिक्स मुद्रा की अनुपस्थिति तरलता प्रबंधन एवं विनिमय दर अस्थिरता में जटिलताएं पैदा करती हैं। ❖ **बाह्य दबाव**: प्रणाली को पूर्ण रूप से अपनाने वाले देशों पर पश्चिमी शक्तियों द्वारा द्वितीयक आर्थिक प्रतिबंधों या प्रतिशोधात्मक नीतियों की संभावना।

Topic 7 - भारत और नई परमाणु व्यवस्था

Syllabus	अंतर्राष्ट्रीय संबंध | परमाणु नीति
संदर्भ	वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में, जहाँ एक ओर प्रमुख शक्तियां परमाणु परीक्षणों पर पुनः विचार कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर हथियार नियंत्रण समझौते (Arms Control Regimes) भी कमज़ोर हो रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में, भारत के **स्वैच्छिक परमाणु परीक्षण स्थगन** (Voluntary Nuclear Test Moratorium) की नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता को लेकर एक गंभीर बहस शुरू हो गई है।
बदलती वैश्विक परमाणु व्यवस्था	शीत युद्धोत्तर काल में परमाणु संयम (Nuclear Restraint) के लिए जो वैश्विक सहमति तंत्र स्थापित हुआ था, वह अब खतरे में है। इसके विघटन के कारण वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक हो गया है। ❖ **संयम का क्षरण:** राष्ट्र सक्रिय रूप से अपने परमाणु भंडार का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। ❖ **प्रमुख शक्तियों की गतिविधियाँ:** ➢ **रूस:** प्रमुख शस्त्र नियंत्रण संधियों (उदाहरणार्थ, न्यू स्टार्ट) से पीछे हट गया है और आर्कटिक परीक्षण स्थलों पर गतिविधि बढ़ा रहा है। ➢ **चीन: चीन:** तीव्र गति से अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहा है, जिसके तहत नए मिसाइल साइलो का निर्माण और **लोप नूर** में परीक्षण शामिल है। ➢ **अमेरिका:** सिमुलेटेड परीक्षणों की दीर्घकालिक विश्वसनीयता पर संदेह के कारण, अमेरिका खुले तौर पर नवीनीकृत परमाणु परीक्षणों पर विचार कर रहा है। ❖ **सीटीबीटी (CTBT) की कमजोरी:** व्यापक परमाणु-परीक्षण-प्रतिबंध संधि (CTBT) को अभी तक प्रमुख शक्तियों ने अनुमोदित नहीं किया है, जिससे वैश्विक विश्वास कमजोर हुआ है। ❖ **प्रौद्योगिकीय प्रगति:** हाइपरसोनिक, साइबर खतरों जैसी नई चुनौतियां।
भारत की परमाणु विरासत	भारत ने एक परिभाषित नीति के माध्यम से स्वयं को जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया है: ❖ **1974 – पोखरण-I ("स्माइलिंग बुद्धा"):** पहला परमाणु परीक्षण, जिसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए प्रस्तुत किया गया था। ❖ **1998 – पोखरण-II (ऑपरेशन शक्ति)**: सफल विखंडन (Fission) और संलयन (Fusion) उपकरणों का परीक्षण, जिससे भारत विश्व की प्रमाणित परमाणु शक्तियों में शामिल हुआ। ❖ **1998 के बाद की नीति:** स्वैच्छिक परीक्षण स्थगन और "पहले प्रयोग न करने" (No First Use – NFU) की नीति अपनाई, जो **विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध** (CMD) के सिद्धांत पर आधारित है। ❖ **परिणाम:** भारत को एक उत्तरदायी परमाणु शक्ति के रूप में वैश्विक मान्यता मिली। भारत पर लगे प्रतिबंध समाप्त हुए, नागरिक परमाणु सहयोग समझौते हुए, और देश की वैज्ञानिक तथा राजनयिक विश्वसनीयता में वृद्धि हुई। ❖ भारत परमाणु अप्रसार संधि (NPT) और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) का हस्ताक्षरकर्ता नहीं

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	है।
भारत को परीक्षण नीति पर पुनर्विचार क्यों करना चाहिए?	❖ **संयम का क्षरण:** प्रमुख शक्तियों की गतिविधियों से गैर-परीक्षण मानक कमजोर पड़ रहे हैं। ❖ **प्रौद्योगिकीय अंतराल:** भारत के अंतिम मान्य हथियार डिज़ाइन अब 27 वर्ष पुराने हैं, जिससे सटीकता और विश्वसनीयता पर प्रश्न उठते हैं। ❖ **निवारक विश्वसनीयता:** केवल उप-क्रांतिक और सिमुलेशन परीक्षणों के आधार पर परमाणु हथियारों की प्रभावशीलता को पूरी तरह से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। ❖ **क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताएं:** चीन की तेजी से बढ़ती परमाणु क्षमता और पाकिस्तान का विविधीकरण (जैसे सामरिक परमाणु हथियार) क्षेत्रीय प्रतिरोध स्थिरता को चुनौती देते हैं। ❖ **रणनीतिक संकेत:** एक नियंत्रित परीक्षण भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और निवारक की विश्वसनीयता को पुनः पुष्ट कर सकता है। ❖ **नई प्रणालियों की माँग:** अग्नि-V, एसएलबीएम (पनडुब्बी-प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल), और एमआईआरवी (बहु-स्वतंत्र लक्ष्यीकरण पुनः प्रवेश वाहन) जैसे नए प्लेटफॉर्मों के लिए प्रदर्शन, लघुकरण, और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
परीक्षण पुनः आरंभ करने की चुनौतियाँ	❖ **कूटनीतिक एवं राजनीतिक परिणाम:** वैश्विक प्रतिक्रिया, संभावित आर्थिक प्रतिबंध और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव का जोखिम। ❖ **नैतिक छवि का ह्रास:** जिम्मेदार और संयमित परमाणु शक्ति के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान। ❖ **आर्थिक प्रभाव:** विदेशी निवेश पर नकारात्मक असर और प्रौद्योगिकीय सहयोग में बाधा। ❖ **क्षेत्रीय सुरक्षा और अस्थिरता (हथियारों की दौड़):** चीन और पाकिस्तान की ओर से प्रतिकूल और जवाबी कार्रवाई की आशंका से क्षेत्रीय अस्थिरता में वृद्धि हो सकती है और हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है। ❖ **पर्यावरणीय चिंताएँ:** परीक्षण स्थलों पर विकिरण रिसाव और पारिस्थितिक क्षति की संभावना।
आगे की राह	भारत को इस जटिल परिदृश्य में तैयारी और संयम के बीच संतुलन बनाना चाहिए: ❖ **रणनीतिक समीक्षा:** वर्तमान और भविष्य की प्रतिरोध आवश्यकताओं के व्यापक आकलन हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना। ❖ **उन्नत प्रौद्योगिकी:** उन्नत सिमुलेशन (सुपरकंप्यूटिंग), सामग्री विज्ञान, और गैर-विस्फोटक मान्यता तकनीकों में निवेश बढ़ाना। ❖ **क्षेत्रीय स्थिरता:** चीन और पाकिस्तान के साथ स्थिरता उपायों एवं संवाद को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना। ❖ **कूटनीतिक तैयारी:** यदि परीक्षण आवश्यक हो तो पारदर्शिता बनाए रखना ताकि कूटनीतिक प्रतिक्रिया को कम किया जा सके। ❖ **नैतिक अनुपालन:** भविष्य के किसी भी परीक्षण को NFU और CMD के मूल सिद्धांतों के अनुरूप रखना चाहिए, जो केवल मान्यता के लिए, न कि उकसावे के लिए।
निष्कर्ष	भारत का 1998 के बाद का संयम इसकी परमाणु परिपक्वता का प्रतीक है। परंतु, रणनीतिक आत्मसंतोष (Strategic Complacency) भविष्य में भारत की निवारक क्षमता को कमजोर कर सकता है। बदलती वैश्विक परमाणु व्यवस्था में भारत को अपने नैतिक अधिकार और वैज्ञानिक तत्परता के बीच संतुलन बनाना होगा ताकि उसकी सुरक्षा विश्वसनीयता और रणनीतिक स्वायत्तता दोनों सुरक्षित रहें।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

Topic 8 - प्रथम बिम्सटेक-भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क (BIMReN) सम्मेलन	
Syllabus	अंतर्राष्ट्रीय संबंध | समूह
संदर्भ	कोच्चि में आयोजित **प्रथम BIMReN** (बिमरेंन - बिम्सटेक क्षेत्रीय समुद्री अनुसंधान नेटवर्क) **सम्मेलन** बिम्सटेक ढाँचे के तहत क्षेत्रीय समुद्री अनुसंधान, नीली अर्थव्यवस्था सहयोग और बंगाल की खाड़ी के महासागर शासन को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल थी।
BIMReN क्या है?	❖ यह एक **द्विवार्षिक बिम्सटेक क्षेत्रीय मंच** है जो संयुक्त समुद्री अनुसंधान, सतत मत्स्य पालन और नीली अर्थव्यवस्था में सहयोग को बढ़ावा देता है। ❖ **लक्ष्य:** वैज्ञानिक सहयोग में वृद्धि करना, बंगाल की खाड़ी के संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करना, और भारत की प्रमुख रणनीतियों, जैसे पड़ोसी पहले, एक्ट ईस्ट, हिन्द-प्रशांत तथा महासागर (क्षेत्र में सभी के लिये सक्रिय सुरक्षा और विकास हेतु समुद्री नेतृत्व) के साथ तालमेल स्थापित करना।
मुख्य विशेषताएँ	❖ **उत्पत्ति:** 2022 **कोलंबो बिम्सटेक शिखर सम्मेलन** में इसकी घोषणा हुई थी और इसे **2024** में **भारत के विदेश मंत्रालय** द्वारा आधिकारिक रूप से शुरू किया गया। ❖ **पहला सम्मेलन:** भारत ने **प्रथम सम्मेलन** का आयोजन 4–6 नवम्बर 2025 को **कोच्चि** में किया। ❖ **संस्थागत नेटवर्क:** यह 25 संस्थानों और 50 से अधिक वैज्ञानिकों को अनुदान/फेलोशिप के माध्यम से जोड़कर एक संस्थागत नेटवर्क बनाता है। ❖ **केंद्रित क्षेत्र:** समुद्री स्वास्थ्य, मत्स्य पालन की स्थिरता, महासागर अवलोकन, तकनीकी नवाचार। ❖ **क्षेत्रीय एकीकरण:** डेटा साझाकरण, क्षमता निर्माण और समुद्री शासन को मजबूत करता है।
महत्व	❖ यह पहल भारत की समुद्री विज्ञान कूटनीति में नेतृत्व को बढ़ाता है। ❖ यह सतत महासागर शासन का समर्थन करता है और नीली अर्थव्यवस्था के क्षेत्रीय एकीकरण को प्रोत्साहित करता है। ❖ यह समग्र समुद्री विकास पर आधारित भारत की महासागर (MAHASAGAR) दृष्टि को आगे बढ़ाता है।

Topic 9 - वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) की परिसंपत्ति पुनर्प्राप्ति पर नई वैश्विक गाइडलाइन	
Syllabus	अंतर्राष्ट्रीय संबंध | समूह
संदर्भ	**वित्तीय कार्रवाई कार्यबल** (FATF) ने एक नया वैश्विक दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें परिसंपत्ति पुनर्प्राप्ति (Asset Recovery) को भ्रष्टाचार से आगे बढ़ाकर धोखाधड़ी, साइबर अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे व्यापक वित्तीय अपराधों तक विस्तारित किया गया है। इसका उद्देश्य अपराधियों को उनके अवैध लाभ से वंचित करना प्राथमिक नीति लक्ष्य बनाना है।
एफएटीएफ की "परिसंपत्ति वसूली/पुनर्प्राप्ति मार्गदर्शिका एवं सर्वोत्तम प्रथाएं"	❖ यह 340-पृष्ठीय वैश्विक ढाँचा है जो अपराधियों की सीमा पार परिसंपत्तियों को पहचानने, फ्रीज़ करने, प्रबंधन करने और वापस लौटाने की प्रक्रिया को परिभाषित करता है। ❖ **दायरे में बदलाव:** इसका फोकस अब केवल भ्रष्टाचार तक सीमित न रहकर वित्तीय और साइबर अपराधों के एक व्यापक दायरे को लक्षित करता है। ❖ **नीतिगत प्राथमिकता:** FATF देशों से आग्रह करता है कि वे परिसंपत्ति पुनर्प्राप्ति को मुकदमे के बाद की औपचारिकता के बजाय एक नीतिगत और परिचालनिक प्राथमिकता के रूप में अपनाएं।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

प्रमुख नए प्रावधान	❖ **विस्तृत दायरा:** इसमें धोखाधड़ी, साइबर अपराध, निवेश घोटाले, क्रिप्टो अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराधों को शामिल किया गया है। ❖ **जीवन चक्र दृष्टिकोण:** परिसंपत्ति पुनर्प्राप्ति की प्रत्येक अवस्था को सम्मिलित करता है – पहचान → ट्रेसिंग → फ्रीजिंग → प्रबंधन → जब्ती (Confiscation) → अपराधी परिसंपत्तियों की वापसी (Repatriation)। ❖ **गैर-दोषसिद्धि आधारित जब्ती (NCBC):** देशों को NCBC तंत्र अपनाने की आवश्यकता, जिससे अपराधी के दोषसिद्ध न होने पर भी परिसंपत्ति पुनर्प्राप्ति संभव (जैसे आरोपी के फरार या मृत्यु होने पर)। ❖ **भारत सर्वोत्तम प्रथा के रूप में उद्धृत:** ➢ प्रवर्तन निदेशालय (ED) को अंतर-एजेंसी समन्वय और PMLA, 2002 के अंतर्गत कानूनी नवाचार हेतु मॉडल एजेंसी बताया गया। ➢ **भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018** (FEOA): इसे भगोड़े व्यक्तियों के अधिकार-त्याग हेतु एक आदर्श कानूनी सिद्धांत के रूप में माना गया है। ➢ उदाहरण ■ एग्री गोल्ड मामला: ₹6,000 करोड़ की वसूली। ■ आईआरईओ घोटाला: ₹1,800 करोड़ की कुर्की। ■ बिटकनेक्ट क्रिप्टो धोखाधड़ी: ₹1,646 करोड़ की जब्ती। ❖ **पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण:** इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि पुनर्प्राप्त की गई परिसंपत्तियों का उपयोग पुनर्स्थापन एवं पीड़ित क्षतिपूर्ति के लिए किया जाए। (जैसे रोज़ वैली स्कैम में हुई पुनर्प्राप्ति को "सर्वश्रेष्ठ प्रथा" के रूप में उद्धृत किया गया है)।
वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF)	❖ **एक अंतर-सरकारी निकाय** जो मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के अन्य खतरों से निपटने हेतु वैश्विक मानक तय करता है। ❖ **स्थापना:** 1989 में G7 पहल के तहत पेरिस में स्थापित। ❖ **मुख्यालय:** पेरिस, फ्रांस (यह OECD द्वारा संचालित है)। ❖ **सदस्य (Members):** ➢ 38 देश + 2 क्षेत्रीय संगठन (खाड़ी सहयोग परिषद तथा यूरोपीय आयोग)। ➢ भारत **2010** से सदस्य है। (पाकिस्तान **सदस्य नहीं** है)। ❖ **उद्देश्य** ➢ वैश्विक वित्तीय प्रणालियों को आपराधिक दुरुपयोग से बचाना। ➢ अंतर्राष्ट्रीय वित्त में स्थिरता, पारदर्शिता और अखंडता सुनिश्चित करना। ❖ **मुख्य कार्य** ➢ **वैश्विक मानकों का निर्धारण:** धनशोधन निरोधक (AML) और आतंकवादी वित्तपोषण निरोधक (CFT) अनुपालन के लिए FATF सिफारिशें जारी करना। ➢ **निगरानी और मूल्यांकन:** सदस्य देशों के अनुपालन का पारस्परिक मूल्यांकन करना। ➢ **जोखिम पहचान:** गैर-सहयोगी या उच्च-जोखिम वाले देशों के लिए **ग्रे लिस्ट** और **ब्लैक लिस्ट** का रखरखाव करना। ■ **ब्लैक लिस्ट:** गंभीर वित्तीय कमियों वाले उच्च-जोखिम वाले देश (उदाहरण: उत्तर कोरिया)। ■ **ग्रे लिस्ट:** बढ़ी हुई निगरानी वाले देश (उदाहरण: म्यांमार, 2025 तक)। ➢ **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** सीमा-पार जांच और परिसंपत्ति पुनर्प्राप्ति में सहयोग को बढ़ावा देना। ➢ **उभरते खतरों का सामना:** क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग, साइबर धोखाधड़ी, और आतंकी नेटवर्क जैसी नई चुनौतियों से निपटना। ➢ **वैश्विक समर्थन:** UN और G20 के वैश्विक आतंकवाद-रोधी और आर्थिक स्थिरता प्रयासों के अनुरूप कार्य करना।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

Topic 10 - दोहा राजनीतिक घोषणा पत्र

Syllabus	अंतर्राष्ट्रीय संबंध
संदर्भ	दोहा राजनीतिक घोषणा को **द्वितीय विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन (WSSD 2025)** में अपनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य 2030 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप, गरीबी उन्मूलन, सम्मानजनक कार्य और समावेशी विकास के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता को फिर से मज़बूत करना है।
दोहा राजनीतिक घोषणा पत्र के बारे में	❖ **आयोजन:** यह घोषणा 4–6 नवम्बर 2025 को संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से क़तर के दोहा में आयोजित **द्वितीय विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन** के दौरान अपनाई गई। ❖ **सहभागिता:** इसमें 8,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए, जिनमें राष्ट्राध्यक्ष, मंत्री, नागरिक समाज के प्रतिनिधि और युवा समूह शामिल थे। ❖ **तीन मुख्य स्तंभों की पुनः पुष्टि:** ➢ गरीबी उन्मूलन। ➢ सम्मानजनक कार्य (Decent Work)। ➢ सामाजिक समावेशन तथा इन लक्ष्यों को SDGs के साथ एकीकृत करने पर ज़ोर दिया गया।
प्रमुख विशेषताएँ	❖ **गरीबी उन्मूलन:** इसे केवल विकासात्मक ही नहीं, बल्कि एक नैतिक आवश्यकता भी बताया गया है। ❖ **सम्मानजनक कार्य:** सभी के लिए समावेशी, सुरक्षित और न्यायसंगत रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा देना। ❖ **सामाजिक समावेशन:** यह सुनिश्चित करना कि महिलाएँ, युवा, बुजुर्ग और हाशिए पर रहने वाले सहित कोई भी समूह विकास से पीछे न छूटे। ❖ **SDG एकीकरण:** सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को परस्पर जुड़े हुए स्तंभों के रूप में स्वीकार करना। ❖ **कार्य ढाँचा (Action Framework):** यह घोषणा केवल विश्लेषण तक सीमित न होकर, लागू करने योग्य वैश्विक प्रतिबद्धताओं पर केंद्रित है। ❖ **शांति और विकास:** सतत विकास प्राप्त करने के लिए शांति को एक अनिवार्य शर्त माना गया। ❖ **वैश्विक सहयोग:** मज़बूत बहुपक्षीय साझेदारी और प्रभावी वित्तपोषण का आह्वान किया गया। ❖ **परिवर्तनकारी दृष्टि:** एक न्यायपूर्ण, लचीले और सुरक्षित समाज की स्थापना का लक्ष्य।
पृष्ठभूमि संदर्भ: कोपेनहेगन घोषणा (1995)	❖ यह 1995 के **कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन** के तहत एक ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र घोषणा थी। ❖ यह पहली वैश्विक प्रतिबद्धता थी जिसने **जन-केंद्रित सामाजिक विकास** को नीति निर्माण के केंद्र में स्थापित किया। ❖ **मुख्य सिद्धांत:** ➢ **एकीकृत विकास:** आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संबंध स्थापित करना। ➢ **मानव-केंद्रित दृष्टिकोण:** सभी विकासात्मक प्रयासों के केंद्र में लोगों को रखना। ➢ **शांति एवं अधिकार:** विकास के लिए मानवाधिकारों और शांति को आवश्यक बताया गया। ➢ **लैंगिक समानता:** सामाजिक और आर्थिक जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की पूर्ण और समान भागीदारी का आह्वान किया गया।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

Economy

Topic 1 - बैंकिंग विनियमों का पुनर्निर्धारण	
Syllabus	अर्थव्यवस्था | बैंकिंग क्षेत्र
पृष्ठभूमि	भारत का लक्ष्य 2030-31 तक अपनी अर्थव्यवस्था को $3.7 ट्रिलियन से बढ़ाकर $7 ट्रिलियन करना है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मज़बूत ऋण प्रवाह और पर्याप्त निवेश क्षमता अनिवार्य है। हालांकि, मौजूदा कठोर बैंकिंग विनियमन ऋण वितरण को सीमित कर रहे हैं, जिससे सतत विकास के लिए नियामकीय संतुलन आवश्यक हो जाता है।
बढ़ती निवेश आवश्यकताएँ और वित्तीय अंतराल	❖ **निवेश आवश्यकता:** $7 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगभग **$2.5 ट्रिलियन** (34% निवेश-से-जीडीपी अनुपात) निवेश की जरूरत होगी। ❖ **चालक:** राजकोषीय सीमाओं को देखते हुए, इस निवेश आवश्यकता को पूरा करने में निजी क्षेत्र और परिवारों को पूँजी निर्माण के प्रमुख चालक के रूप में कार्य करना होगा। ❖ **चिंता:** निजी निवेश का अनुपात 2008-09 के 114% से घटकर 2023-24 में 56% हो गया है।
वित्तीय मध्यस्थता में प्रमुख चुनौतियाँ	❖ **बैंकों की सीमित भूमिका:** ➢ परिवारों की बैंक में बचत 50% से घटकर 40% हो गई है। ➢ कठोर नियामक नियम बैंकों की परिचालन स्वतंत्रता को कम करते हैं, जिससे ऋण की लागत बढ़ती है और ऋण वितरण घटता है। ❖ **अनिवार्य भंडार का बोझ ('लॉक-इन' प्रभाव):** ➢ बैंक जमा का लगभग **30%** गैर-ऋण, कम-लाभकारी साधनों में फँसा हुआ है। ➢ बैंक अनिवार्य 18% के मुकाबले वर्तमान में 26% SLR बनाए रखते हैं, मुख्य रूप से LCR आवश्यकताओं के कारण। ➢ **नकद आरक्षित अनुपात (CRR):** 4% CRR शून्य लाभ देता है और बैंक तरलता पर दबाव डालता है। ➢ डिजिटल जमा के लिए नए LCR मानक से अतिरिक्त 2–2.5% जमा लॉक होने का अनुमान है। ❖ **अंतर्राष्ट्रीय मानकों से भिन्नता:** ➢ **SLR और LCR का दोहराव:** भारत में **वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)** और **तरलता कवरेज अनुपात (LCR)** दोनों लागू हैं, जबकि वैश्विक स्तर पर केवल LCR का उपयोग होता है, जिससे अतिरिक्त कम-लाभकारी निवेश होता है। ➢ अन्य अर्थव्यवस्थाएँ CRR को उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों (HQLA) में गिनकर लाभप्रदता बढ़ाती हैं, जबकि भारत ऐसा नहीं करता। ➢ बेसल III जोखिम के स्व-मूल्यांकन की अनुमति देता है, लेकिन RBI के मानदंड कठोर बने हुए हैं। ❖ **तरलता अवरोध और MSME ऋण की कमी:** ➢ बड़ी कंपनियाँ इक्विटी और बॉन्ड बाज़ार का उपयोग करती हैं, जबकि **MSMEs** केवल बैंकों पर निर्भर रहते हैं। ➢ कठोर तरलता के कारण MSMEs के लिए ऋण की कमी बनी रहती है। ➢ **प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) का दबाव:** कुछ बैंकों में यह 60% से अधिक है, जिससे जोखिम का गलत मूल्यांकन और अक्षमताएँ उत्पन्न होती हैं। PSL को नई आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप अद्यतन किया जाना चाहिए।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	❖ **ऋण वृद्धि और बाहरी कारक:** ➢ **क्रेडिट-जीडीपी असमानता:** ऋण वृद्धि नाममात्र जीडीपी वृद्धि से पीछे है, जो पूंजी निर्माण को बाधित करती है। ➢ **CD अनुपात:** क्रेडिट-डिपॉज़िट (CD) अनुपात में वित्तीय मध्यस्थता में संतुलन के लिए संशोधन आवश्यक है। ➢ **विनिमय दर:** रुपये की रक्षा के लिए RBI की कार्रवाइयाँ अक्सर घरेलू तरलता को कम करती हैं, जबकि मुद्रा का अधिमूल्यन निर्यात प्रतिस्पर्धा को बाधित करता है।
आगे का मार्ग (सुधार के लिए सुझाव)	❖ **नियामकीय शिथिलता:** SLR–LCR ओवरलैप को कम करके प्रणाली में तरलता बढ़ाना और ऋण दरों को कम करना। ❖ **नीतिगत स्थिरता:** विश्वास बढ़ाने और निजी निवेश को मज़बूत करने के लिए पूर्वानुमानित, दीर्घकालिक नीतियाँ लागू करना। ❖ **PSL का आधुनिकीकरण:** समकालीन विकास क्षेत्रों को लक्षित करने और समर्थन देने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण आवश्यकताओं को अद्यतन करना। ❖ **संतुलित विकास:** ऋण विस्तार को नाममात्र जीडीपी वृद्धि के साथ संरेखित करना। ❖ **विविधीकरण:** बॉन्ड बाज़ार को गहरा करना और वित्तपोषण के स्रोतों में विविधता लाना। ❖ **वैश्विक प्रतिस्पर्धा:** डिजिटल बैंकिंग शुल्कों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना।
निष्कर्ष	भारत के $7 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करना **सतर्क विनियमन, पर्याप्त तरलता और मज़बूत ऋण प्रवाह** के बीच संतुलन पर निर्भर करता है। इस दीर्घकालिक विकास उद्देश्य को पूरा करने के लिए वित्तीय मध्यस्थता में रणनीतिक सुधार अपरिहार्य हैं।

Topic 2 -भारत का विनिर्माण: भविष्य की पुनर्कल्पना (2026–2035 रोडमैप)

Syllabus	अर्थव्यवस्था | अवसंरचना
संदर्भ	**नीति आयोग** (NITI Aayog) के फ्रंटियर टेक हब ने भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और डेलॉइट के साथ मिलकर **"रीइमेजिनिंग मैन्युफैक्चरिंग"** शीर्षक से एक **10-वर्षीय रोडमैप (2026–2035)** जारी किया है। इस रोडमैप का मुख्य लक्ष्य भारत को वैश्विक स्तर पर **शीर्ष 3 विनिर्माण हब** में शामिल करना है।

रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएँ

विशेषता	विवरण
प्रकाशन	नीति आयोग का फ्रंटियर टेक हब (भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) एवं डेलॉइट के सहयोग से)।
उद्देश्य	**सीमांत प्रौद्योगिकियों** (Frontier Technologies) को अपनाकर, संस्थागत सुधार (Institutional Reforms) और कौशल संवर्धन (Skill Enhancement) के माध्यम से भारत के विनिर्माण क्षेत्र की तीव्र वृद्धि सुनिश्चित करना।
दायरा	वर्ष **2035** तक की रणनीतिक रोडमैप, जिसमें **13** उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों को **5 क्लस्टरों** में विभाजित किया गया है।
मुख्य क्षेत्र	ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, नवीकरणीय ऊर्जा।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

वर्तमान स्थिति एवं 2035 की महत्वाकांक्षाएँ

संकेतक	वर्तमान स्थिति	2035 लक्ष्य
GDP में विनिर्माण का हिस्सा	**जीडीपी का 15–17%** (चीन के 25% एवं दक्षिण कोरिया के 27% से कम)	**25%**
कुशल नौकरियाँ	-	10 करोड़ (100 मिलियन+)
वैश्विक निर्यात हिस्सेदारी	2%	**6.5%**

क्षमता और अवसर	❖ **वैश्विक हब दृष्टि**: फ्रंटियर टेक्नोलॉजी भारत को 2035 तक **शीर्ष 3 वैश्विक विनिर्माण केंद्रों** में ला सकती है। ❖ **आर्थिक योगदान**: 2035 तक GDP में **$270 बिलियन** की वृद्धि; 2047 तक **$1 ट्रिलियन विनिर्माण अर्थव्यवस्था** का लक्ष्य। ❖ **रोजगार सृजन:** 10 करोड़ से अधिक कुशल नौकरियाँ पैदा होने की संभावना। ❖ **निर्यात वृद्धि:** वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2% से बढ़कर 6.5% तक पहुँच सकती है। ❖ **नवाचार द्वारा मजबूती:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रोबोटिक्स और स्मार्ट मटेरियल्स के उपयोग से उत्पादन में सटीकता, लचीलापन और स्थायित्व बढ़ेगा।
प्रमुख चुनौतियाँ	❖ **निम्न अनुसंधान एवं विकास (R&D) व्यय** (<1% जीडीपी) नवाचार को सीमित करता है। ❖ **विखंडित एमएसएमई आपूर्ति श्रृंखलाएं** वैश्विक एकीकरण में बाधक। ❖ **कौशल अंतराल**: ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे महत्वपूर्ण तकनीकी क्षेत्रों में आवश्यक विशेषज्ञता का अभाव। ❖ **अवसंरचना अंतराल**: 5G कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स और स्मार्ट औद्योगिक पार्कों के संदर्भ में पर्याप्त अवसंरचना की कमी। ❖ **विनियामक बाधाएं**: एकीकृत डेटा एवं प्रौद्योगिकी मानकों की अनुपस्थिति।
वर्तमान प्रमुख सरकारी पहलें एवं योजनाएं	❖ **प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान**: राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन (NMM), मेक इन इंडिया, और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। ❖ **प्रोत्साहन योजनाएं**: उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (PLI Schemes), उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों हेतु योजना। ❖ **अवसंरचना एवं प्रतिस्पर्धा**: गति शक्ति योजना और वस्त्र उद्योग के लिए पीएम मित्र (PM MITRA) योजना। ❖ **कौशल विकास**: स्किल इंडिया एवं AICTE कार्यक्रम - इंडस्ट्री 4.0 तैयारी हेतु।
प्रमुख सिफारिशें	❖ **राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना:** ➢ **वैश्विक सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान (GFTI):** अनुसंधान एवं विकास (R&D), परीक्षण और प्रमाणन के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना। ❖ **बुनियादी ढाँचा और प्रौद्योगिकी पहुँच:** ➢ **प्लग-एंड-प्ले टेक पार्क:** 5G कनेक्टिविटी और डिजिटल ट्विन (Digital Twin) सिमुलेशन सुविधाओं से लैस 20 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास। ➢ **टेक एक्सेस प्लेटफॉर्म:** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को साझा उपयोग हेतु AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और रोबोटिक्स उपकरण सुलभ कराना।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	➢ **राष्ट्रीय डिजिटल बैकबोन:** वास्तविक समय (Real-time) औद्योगिक IoT (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) नेटवर्क का निर्माण। ❖ **नवाचार और सहयोग मॉडल:** ➢ **चैंपियन-आधारित मॉडल:** बड़ी कंपनियों द्वारा MSME नवाचार क्लस्टरों को प्रोत्साहन और मार्गदर्शन प्रदान करना। ➢ **विनिर्माण का सेवाकरण (Servicification of Manufacturing):** AI और IoT को एकीकृत करके उच्च मूल्य की सेवाएँ प्रदान करना। ❖ **कौशल विकास:** ➢ **राज्य स्तरीय टेक मिशन:** संबंधित क्षेत्रों की विशेषज्ञता के अनुरूप कौशल विकास पर ज़ोर, जैसे: ■ तमिलनाडु: रोबोटिक्स ■ महाराष्ट्र: ग्रीन मोबिलिटी।
निष्कर्ष	भारत का विनिर्माण क्षेत्र "मेक इन इंडिया" से आगे बढ़कर अब "इनोवेट इन इंडिया" की ओर बढ़ रहा है। यदि भारत सीमांत प्रौद्योगिकियों (frontier technologies) को सुव्यवस्थित तरीके से अपनाता है, तो यह न केवल उच्च मूल्य वाले और सतत औद्योगिक नेतृत्व की स्थापना कर सकेगा, बल्कि 2047 तक वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति बनने के अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेगा।

Topic 3 - वित्तीय क्षेत्र (Financial Sector)

Syllabus	अर्थव्यवस्था | बैंकिंग एवं निवेश
संदर्भ	भारत के वित्तीय क्षेत्र में विदेशी निवेश में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा रही है, क्योंकि ब्लैकस्टोन, बेन कैपिटल, एमिरेट्स एनबीडी, ज्यूरिख इंश्योरेंस जैसे प्रमुख निवेशक भारतीय बैंकों, बीमा कंपनियों और एवं एनबीएफसी में हिस्सेदारी अधिग्रहण कर रहे हैं।
भारत के वित्तीय क्षेत्र का विकास	❖ **संरक्षणवाद से उदारीकरण तक:** ➢ पहले विदेशी भागीदारी (विदेशी निवेश) पर कड़े प्रतिबंध थे। ➢ अब **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और सरकार के सुधारों** के तहत: ■ **बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)** की अनुमति (74% → 100%, बजट 2025–26)। ■ **निजी बैंकों में 74% तक FDI** (अनुमोदन के साथ)। ■ सरकार का प्रस्ताव: **सार्वजनिक क्षेत्र** के **बैंकों** में FDI सीमा **20%** से बढ़ाकर **49%**, लेकिन **51% स्वामित्व** बनाए रखना। ➢ उदाहरण: फेयरफैक्स को सीएसबी बैंक में **>40% हिस्सेदारी** दी गई - रणनीतिक पुनरुद्धार हेतु। ➢ **(विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक)** की हिस्सेदारी: **HDFC बैंक में 48.39%** - भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऋणदाता।
हालिया बड़े निवेश	❖ ब्लैकस्टोन – फेडरल बैंक में 9.99% (₹6,196 करोड़)। ❖ बेन कैपिटल – मणप्पुरम फाइनेंस में 18% (₹4,385 करोड़)। ❖ एमिरेट्स एनबीडी – आरबीएल बैंक में 60% ($3 बिलियन)। ❖ एसएमबीसी (जापान) – यस बैंक में 25% ($1.6 बिलियन)। ❖ ज्यूरिख इंश्योरेंस – कोटक जनरल इंश्योरेंस में 70% ($670 मिलियन)। ❖ अबू धाबी का IHC – सम्मान कैपिटल (इंडियाबुल्स हाउसिंग) में ~$1 बिलियन। ❖ यह भारत के वित्तीय इतिहास में सबसे बड़ा विदेशी अधिग्रहण प्रयास माना जा रहा है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

वैश्विक निवेशकों की रुचि के कारण	➢ **मजबूत आर्थिक आधार:** ➢ भारत की जीडीपी वृद्धि दर: 6.8% (RBI अनुमान)। ➢ बैंकिंग क्षेत्र का लाभ: $46 बिलियन (2024), वार्षिक वृद्धि 31%। ➢ खुदरा, आवासीय ऋण और एमएसएमई (MSMEs) द्वारा प्रेरित ऋण विस्तार। ❖ **संरचनात्मक मजबूती:** ➢ निम्न कॉर्पोरेट ऋण अनुपात (Corporate Leverage), सुरक्षित खुदरा ऋण प्रणाली। ➢ 40 करोड़ से अधिक नागरिक द्वारा बैंकिंग सेवाओं का पूर्ण उपयोग नहीं (Underbanked) – विशाल संभावनाएं। ➢ डिजिटल आधारभूत संरचना: UPI, आधार, जनधन योजना। ❖ **वैश्विक पुनर्संतुलन:** ➢ पश्चिमी बाजारों में मंदी, चीन में नियामकीय सख्ती। ➢ भारत को स्थिर, स्केलेबल, और राजनीतिक रूप से भरोसेमंद माना जाता है।
नियामकीय दृष्टिकोण एवं बाजार मूल्यांकन	❖ RBI का "सकारात्मक लेकिन सतर्क" दृष्टिकोण; यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी स्वामी “फिट-एंड-प्रॉपर (Fit-and-Proper)” हों। ❖ भारतीय बैंक मजबूत बैलेंस शीट के बावजूद अवमूल्यित (Undervalued) बने हुए हैं। ❖ नीति उद्देश्य: पूंजी प्रवाह और नियामकीय संप्रभुता के बीच संतुलन।
संकट के बाद क्षेत्रीय सुधार	❖ **पहले की वित्तीय समस्याएं:** IL&FS, DHFL पतन, यस बैंक बचाव, NBFC तरलता संकट। ❖ **सुधार:** ➢ **दिवालियापन एवं ऋण शोधन संहिता (IBC)** का कार्यान्वयन। ➢ RBI की **सख्त निगरानी** और बैड लोन (Bad loan) समाधान प्रणाली। ❖ **परिणाम:** मध्यम आकार के बैंक और एनबीएफसी अब स्थिर और निवेश योग्य परिसंपत्तियाँ (Investable Assets) बन गए हैं।
अवसर एवं रणनीतिक लाभ	❖ **वैश्विक निवेशकों हेतु:** लाइसेंस, शाखा नेटवर्क, ग्राहक आधार तक त्वरित पहुँच। ❖ **भारत के लिए:** ➢ **विदेशी पूंजी, तकनीक, वैश्विक जोखिम मानदंडों** का प्रवाह। ➢ भारत को **$7 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था (2030 तक)** बनने की दिशा में मजबूती।
जोखिम एवं चिंताएँ	❖ **वित्तीय संप्रभुता (Financial Sovereignty):** अत्यधिक विदेशी नियंत्रण से रणनीतिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। ❖ **वैश्विक झटकों का जोखिम:** ब्याज दरों में वृद्धि के बीच **पूंजी पलायन** का खतरा (जैसे: 2008 संकट के बाद)। ❖ **प्रतिस्पर्धात्मक असंतुलन:** विदेशी कंपनियां **सस्ते वैश्विक फंड्स** तक पहुँच रखती हैं - **स्थानीय कंपनियां पिछड़** सकती हैं। ❖ **नियामकीय अस्पष्टता: विदेशी नियंत्रण सीमा** और **मतदान अधिकार** पर स्पष्टता की आवश्यकता।
आगे की राह	❖ संतुलित उदारीकरण बनाए रखना - खुलेपन के साथ **सुरक्षा उपाय**। ❖ वित्तीय स्वामित्व के लिए व्यापक FDI रूपरेखा तैयार करना। ❖ बाहरी जोखिमों को कम करने हेतु मैक्रोप्रूडेंशियल निगरानी को मजबूत करना। ❖ घरेलू पूंजी भागीदारी और वित्तीय समावेशन प्रोत्साहित करना।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

निष्कर्ष	भारत का वित्तीय क्षेत्र **संरक्षणवाद से वैश्विक एकीकरण** की ओर **एक निर्णायक मोड़** पर है। **वैश्विक पूंजी का प्रवाह** भारत की **आर्थिक दृढ़ता** में विश्वास दर्शाता है, परंतु **स्थायी वृद्धि** के लिए **खुलेपन और वित्तीय संप्रभुता** के बीच **संतुलन आवश्यक** है।

Topic 4 - सीपीआई आवास सूचकांक (CPI Housing Index)	
Syllabus	अर्थव्यवस्था | मुद्रास्फीति
संदर्भ	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने **सीपीआई आवास सूचकांक** में प्रमुख सुधार प्रस्तावित किए हैं, जिसमें पहली बार ग्रामीण आवास डेटा शामिल किया जाएगा।
पृष्ठभूमि – सीपीआई एवं आवास सूचकांक	❖ सीपीआई: भारत का मुख्य खुदरा मुद्रास्फीति सूचकांक, वर्तमान में **2012 श्रृंखला** पर आधारित। ❖ आधार वर्ष अद्यतन: आधार वर्ष **2024** किया जाएगा, **2023–24 घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES)** के डेटा पर आधारित। ❖ वर्तमान सीमाएँ: ➢ वर्तमान में, आवास डेटा केवल शहरी क्षेत्रों से एकत्र किया जाता है और वह भी वर्ष में दो बार एकत्रित होता है। ➢ आवास का भार: **21.67% (सीपीआई - शहरी), 10.07% (सीपीआई - संयुक्त/अखिल भारतीय)।** ➢ **आलोचना:** नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए आवास (Employer-provided dwellings) और एचआरए (HRA) आधारित किराया अनुमान वास्तविक बाजार मूल्यों को विकृत करते हैं।
प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तन	❖ **मासिक किराया डेटा संग्रहण:** ➢ डेटा संग्रहण अब वर्तमान अर्धवार्षिक (biannual) के बजाए मासिक (monthly) रूप से किया जाएगा। ➢ कवरेज: **ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों** को शामिल किया गया। ❖ **नमूना (सैंपल) आकार का विस्तार:** ➢ अब प्रत्येक चयनित आवासीय इकाई से **हर महीने** किराया डेटा लिया जाएगा (पहले कुल नमूने का केवल 1/6 भाग लिया जाता था)। ➢ यह सुधार **आईएमएफ (IMF) की तकनीकी सलाह** पर आधारित है ताकि प्रतिनिधित्व बेहतर हो सके। ❖ **नियोक्ता-प्रदत्त आवास को हटाना: गैर-बाजार आवास** (जैसे: सरकारी क्वार्टर) को हटाया जाएगा, ताकि किराया डेटा अधिक सटीक हो। ❖ **परिष्कृत गणना सूत्र:** गणना सूत्र में सुधार कर "लाइक-फॉर-लाइक" (समरूप-से-समरूप) तुलना सुनिश्चित करना। **किराया सूचकांक** में **नीचे की ओर झुकाव (downward bias)** को हटाया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्र का समावेश	❖ **HCES 2023–24** में पहली बार **ग्रामीण क्षेत्र** के **किराये** और स्वामित्व वाले घरों के **अनुमानित किराये (imputed rent)** को दर्ज किया गया है। ❖ इससे **ग्रामीण हाउसिंग सूचकांक** का निर्माण संभव होगा - जो **2011–12 श्रृंखला में अनुपस्थित** था। ❖ नया सूचकांक **राष्ट्रीय आवासीय रुझानों** को समग्र रूप से प्रतिबिंबित करेगा।
महत्व	❖ यह भारत के CPI मापन पद्धति को विश्वस्तरीय मानकों के अनुरूप बनाता है। ❖ ग्रामीण-शहरी डेटा की निरंतरता मुद्रास्फीति विश्लेषण को मजबूत करती है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	❖ मुफ्त या नियोक्ता प्रदत्त आवास जैसे विकृतिकारक तत्वों के हटने से वास्तविक किराया दबाव (Rental Pressure) का सही आकलन संभव होगा। ❖ **RBI, नीति-निर्माताओं** और **परिवारों** को **वास्तविक मुद्रास्फीति और आय प्रभाव** को अधिक सटीकता से समझने में मदद मिलेगी।
निष्कर्ष	ग्रामीण डेटा शामिल कर, मासिक अपडेट सुनिश्चित कर, और विकृतियों को हटाकर, MoSPI एक विश्वसनीय, डेटा-आधारित और नीति-प्रासंगिक महंगाई सूचकांक प्रदान करना चाहता है जो भारत की विकसित होती अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त हो।

Topic 5 - घरेलू आय सर्वेक्षण 2026

Syllabus	अर्थव्यवस्था | डेटा
संदर्भ	भारत **2026 में पहली बार घरेलू आय सर्वेक्षण (HIS)** आयोजित करेगा, जिसके माध्यम से पहली बार देश में **वास्तविक पारिवारिक आय** (Real Household Income) का प्रत्यक्ष मापन किया जाएगा।
भारत को विश्वसनीय आय डेटा की आवश्यकता क्यों है?	❖ **वर्तमान सीमाएँ**: भारत में अभी तक प्रत्यक्ष और सटीक आय डेटा की अनुपलब्धता के कारण असमानता और जीवन स्तर का वास्तविक मूल्यांकन करना कठिन है। वर्तमान में उपयोग की जाने वाली विधियों की सीमाएँ इस प्रकार हैं: ➢ **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS):** यह सर्वेक्षण केवल रोज़गार और वेतन पर ध्यान केंद्रित करता है, कुल आय का आकलन नहीं करता। ➢ **घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES):** यह व्यय पैटर्न के आधार पर आय का अप्रत्यक्ष अनुमान लगाता है, जो केवल एक आकलन है। ➢ **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण:** यह केवल आय की धारणा को मापता है, सत्यापित आँकड़े प्रदान नहीं करता। ❖ **महत्त्व**: HIS 2026 पहली बार आय, व्यय और कल्याण को सीधे जोड़कर असमानता और जीवन स्तर की वास्तविक तस्वीर प्रदान करेगा।
घरेलू आय सर्वेक्षण (HIS) 2026 की संरचना एवं दाय	❖ **संचालन निकाय:** सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)।** ❖ **व्यापक डेटा संग्रहण:** ➢ **घरेलू सामाजिक-आर्थिक प्रोफ़ाइल:** ■ धर्म और सामाजिक समूह। ■ प्रमुख व्यवसाय एवं रोजगार स्थिति (कृषि बनाम गैर-कृषि)। ➢ **परिसंपत्तियां और देयताएँ:** ■ भूमि स्वामित्व विवरण। ■ आवासीय संपत्ति का प्रकार एवं मूल्य। ■ लंबित ऋण और देनदारी। ➢ **विस्तृत आय घटक:** ■ **नियोजित कर्मचारी**: वेतन, बोनस, ओवरटाइम, स्टॉक विकल्प से आय। ■ **अनियमित श्रमिक**: दैनिक मजदूरी और कुल कार्यदिवस। ■ **स्व-नियोजित वर्ग**: फसल या व्यापारिक आय, सकल प्राप्ति और इनपुट लागत।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	❖ **समेकित डेटा दृष्टिकोण:** आय, संपत्ति, ऋण और व्यय को जोड़कर घरेलू आय का सटीक एवं समग्र मानचित्रण।
आय-व्यय-कल्याण संबंध	❖ HCES के कुछ तत्व उधार लिए गए हैं ताकि संतुलित विश्लेषण किया जा सके। ❖ कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्रों की इनपुट लागत को शामिल कर वास्तविक लाभ (Real Profits) की गणना की जाएगी। ❖ पेंशन, प्रेषण, और कल्याण हस्तांतरण (जैसे राज्य योजनाएं - कलाईग्नार मगलिर उरिमाई थिट्टम और केंद्र सरकार की योजनाएं) जैसे विभिन्न आय स्रोतों का समावेश। ❖ यह गरीब एवं हाशिए पर मौजूद परिवारों पर कल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव को मापने में सहायक होगा।
प्रमुख चुनौतियाँ (पायलट सर्वेक्षण 2025 के निष्कर्ष)	❖ **आय साझा करने में अनिच्छा:** ➢ **95% उत्तरदाताओं** ने आय संबंधी प्रश्नों को **संवेदनशील** माना। ➢ **गोपनीयता उल्लंघन या कर दुरुपयोग** का भय। ❖ **स्मृति त्रुटियाँ:** व्यय को बढ़ा-चढ़ाकर बताना या आय की गलत गणना, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में। ❖ **शहरी बनाम ग्रामीण सहयोग:** ग्रामीण परिवार अपेक्षाकृत सहयोग करते हैं जबकि शहरी संपन्न वर्ग उत्तर देने में हिचकिचाते हैं। ❖ **प्रस्तावित समाधान:** उच्च-आय समूहों के लिए "स्व-प्रविष्टि विकल्प" - गोपनीयता सुनिश्चित करने हेतु।
नीति निर्माण के लिए महत्व	❖ यह भारत का पहला प्रामाणिक राष्ट्रीय आय डेटाबेस होगा → उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार वर्ष को अद्यतन करने हेतु आवश्यक आय डेटा उपलब्ध कराएगा। ❖ यह डेटाबेस निम्नलिखित कार्यों को संभव बनाएगा: ➢ विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूहों के बीच आय असमानता का मानचित्रण। ➢ व्यक्तिगत और परिवार-आधारित आय की तुलना। ➢ कल्याणकारी योजनाओं और कृषि नीति के प्रभाव का मूल्यांकन। ➢ कराधान, गरीबी उन्मूलन और रोज़गार नीति जैसे क्षेत्रों में साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण को बढ़ावा। ❖ यह डेटा विश्वसनीयता में वृद्धि करके समावेशी और साक्ष्य-आधारित विकास के लक्ष्य को सशक्त करेगा।
निष्कर्ष	घरेलू आय सर्वेक्षण 2026 भारत की सांख्यिकीय संरचना में एक परिवर्तनकारी पहल है। यह सभी वर्गों से वास्तविक आय डेटा संकलित कर नीति निर्माताओं को समानता, कल्याण एवं सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करने हेतु ठोस आधार प्रदान करेगा।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

Topic 6 - अत्यधिक (चरम) गरीबी (Extreme Poverty)	
Syllabus	अर्थव्यवस्था | गरीबी
संदर्भ	**केरल पिरवी दिवस** (1 नवंबर 2025) पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने घोषणा की कि केरल ने अत्यधिक (चरम) गरीबी का उन्मूलन कर दिया है। यह उपलब्धि पाने वाला **भारत का पहला राज्य** बन गया है, जिसने चार वर्ष के लक्षित अभियान – **"अत्यधिक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम** (Extreme Poverty Eradication Programme - EPEP)" के तहत यह सफलता प्राप्त की है। यह उपलब्धि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 1: कोई गरीबी नहीं (No Poverty) के अनुरूप है।
अत्यधिक गरीबी की समझ	❖ **परिभाषा (संयुक्त राष्ट्र):** अत्यधिक गरीबी वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति के पास जीवित रहने हेतु **मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं** (भोजन, आवास, स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षा) एवं **गरिमा** - को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते। ❖ **वैश्विक मानक (विश्व बैंक, 2025):** ➢ **अत्यधिक गरीबी:** <$3/दिन (2021 पीपीपी के अनुसार) → वैश्विक जनसंख्या का ~9.9% (2025)। ➢ **निम्न-मध्यम आय रेखा:** $4.20/दिन ➢ **उच्च-मध्यम आय रेखा:** $8.30/दिन ❖ **भारत की प्रगति:** ➢ **2011–12 में 16.2%** से घटकर **2022–23 में 2.3%।** ➢ **171 मिलियन** लोग अत्यंत गरीबी से बाहर निकाले गए। ➢ मुख्य कारण: **रोजगार में वृद्धि और शहरीकरण।**
भारत में गरीबी का मापन	❖ **नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI):** ➢ **एल्कायर-फॉस्टर पद्धति** पर आधारित, जिसके अंतर्गत 12 संकेतक शामिल है: ■ **स्वास्थ्य**: पोषण, शिशु मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य। ■ **शिक्षा**: स्कूली शिक्षा के वर्ष, उपस्थिति। ■ **जीवन स्तर**: आवास, स्वच्छता, खाना पकाने का ईंधन, परिसंपत्तियां। ❖ **केरल का MPI (2021): 0.7%** - भारत में सबसे कम। ❖ गरीबी **1970 के दशक में 59.8%** से घटकर **लगभग शून्य।** ➢ **कारण**: शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा में मजबूत सार्वजनिक कल्याण।
केरल का मॉडल – अत्यंत/चरम गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (EPEP)	❖ प्रारंभ (2021): **स्थानीय स्वशासन विभाग** (LSGD) द्वारा नेतृत्व; **4 लाख कार्मिकों को प्रशिक्षण** प्रदान किया गया। ❖ **पहचान प्रक्रिया:** ➢ प्रारंभिक परिवार: **1.18 लाख** → सत्यापित: **59,000 परिवार।** ➢ **आधार**: आय, आवास, भोजन, स्वास्थ्य जोखिम। ❖ **प्रमुख हस्तक्षेप:** ➢ **आवास: 4,677 बेघर → 4,005 को घर प्रदान** किया गया (लाइफ मिशन)। ➢ **खाद्य सुरक्षा: 20,648 परिवारों को प्रतिदिन भोजन** उपलब्ध कराया गया। ➢ **दस्तावेज़ीकरण: अवकाशम अति वेगम अभियान** के तहत - आधार, मतदाता पहचान पत्र, बैंक खाता, एलपीजी, पेंशन, मनरेगा (MGNREGS) कार्ड सुनिश्चित किए गए। ❖ **सहयोगात्मक शासन: दलीय समर्थन, स्थानीय भागीदारी**, और **मजबूत डेटा सत्यापन**।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

उपलब्धि का महत्व	❖ भारत का **पहला राज्य** जिसने **शून्य अत्यंत गरीबी** का दावा किया। ❖ **सूक्ष्म स्तर की योजना, डेटा-आधारित लक्ष्य निर्धारण**, और **कल्याण समन्वय** को दर्शाता है। ❖ **मानव विकास और सामाजिक न्याय** में केरल की विरासत को सुदृढ़ करता है।
निष्कर्ष	केरल की अत्यंत गरीबी उन्मूलन में सफलता भारत की कल्याणकारी यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। विकेन्द्रीकृत योजना, लक्षित हस्तक्षेप और समावेशी शासन के माध्यम से, केरल ने **कल्याण** को **गरिमा और सशक्तिकरण** के साथ जोड़कर सतत गरीबी उन्मूलन का एक अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत किया है।

Topic 7 - दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता	
Syllabus	भारतीय अर्थव्यवस्था | बैंकिंग एवं वित्त
संदर्भ	वर्ष 2016 में लागू की गई **IBC** का उद्देश्य भारत की बढ़ती **गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs)** को **समयबद्ध और ऋणदाता-प्रेरित प्रक्रिया** के माध्यम से सुलझाना था। आठ वर्षों में इसने **क्रेडिट संस्कृति** में बदलाव लाया, परंतु न्यायिक देरी और प्रक्रियागत अड़चनों से जूझता है।
IBC से पूर्व भारत का दिवालियापन परिदृश्य	❖ विखंडित तंत्र जैसे सारफेसी (SARFAESI) अधिनियम, ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) एवं कंपनी विधि बोर्ड के कारण लंबी मुकदमेबाजी एवं निम्न वसूली। ❖ IBC ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) के माध्यम से दिवाला समाधान को केंद्रीकृत किया, 330 दिनों के भीतर समाधान; असफल होने पर लिक्विडेशन (liquidation) की प्रक्रिया आरंभ होती है।
कार्य निष्पादन स्नैपशॉट (2016–2025)	❖ **समाधान की गई कंपनियों की संख्या:** 1,194 ❖ **कुल वसूली:** ₹3.89 लाख करोड़ (वसूली दर: 32.8%) ❖ **बैंक वसूली में योगदान (FY 2023–24): IBC – 48%**, SARFAESI – 32%, DRT – 17%, लोक अदालत – 3%। ❖ **पूर्व-स्वीकृति समाधान:** ₹13.78 लाख करोड़ मूल्य के 30,310 मामले - **औपचारिक प्रक्रिया से पहले ही निपटान** ❖ **प्रभाव:** NPA दर 11.2% (2018) से घटकर 2.8% (2024) - **क्रेडिट अनुशासन** में सुधार दर्शाता है।
IBC की संरचनात्मक विशेषताएं	❖ **समाधान पर बल, परिसमापन पर नहीं:** संकटग्रस्त फर्मों के पुनरुद्धार पर ध्यान, जिससे रोजगार और परिसंपत्ति मूल्य मूल्य की रक्षा होती है। ❖ **ऋणदाता-केंद्रित संरचना: ऋणदाताओं की समिति (CoC)** द्वारा नियंत्रण - **वाणिज्यिक स्वतंत्रता सुनिश्चित**। ❖ **व्यावहारिक परिवर्तन:** दिवालियापन की आशंका से **प्रारंभिक निपटान और उधारकर्ता अनुशासन** को बढ़ावा।
प्रमुख चुनौतियाँ	❖ **न्यायिक विलंब:** 78% **कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (CIRP)** 270 दिन से अधिक समय लेती है - NCLT में लंबित मामलों के कारण समाधान क्षमता घटती है। ❖ **विधिक अनिश्चितता:** भूषण पावर एंड स्टील जैसे मामलों का पुनः खुलना - **न्यायिक अंतिमता (finality) और निवेशक विश्वास** को प्रभावित करता है। ❖ **उच्च हेयरकट:** औसतन 67% तक की कटौती, जिससे मूल्यांकन पद्धतियों, बिड डिज़ाइन और प्रतिस्पर्धा पर प्रश्न। ❖ **विकसित होते व्यापार मॉडल:** टेक स्टार्टअप्स, बौद्धिक संपदा (IP) आधारित परिसंपत्तियों और कर्मचारी देयताओं के लिए स्पष्ट दिशानिर्देशों का अभाव।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

आगे की राह	❖ **संस्थागत सुदृढ़ीकरण:** NCLT पीठों का विस्तार, डिजिटल कार्यप्रवाह को अपनाना, और समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करना। ❖ **न्यायिक संयम:** ऋणदाताओं की समिति (CoC) के वाणिज्यिक विवेक को अत्यधिक न्यायिक हस्तक्षेप से बचाना। ❖ **प्री-पैक तंत्र:** MSMEs और स्टार्टअप्स के लिए तेज़, लागत-प्रभावी समाधान को बढ़ावा देना। ❖ **क्षेत्र-विशिष्ट अनुकूलन:** टेक्नोलॉजी, सेवा और IP आधारित उद्योगों के लिए विशेष प्रावधानों का संहिताकरण; कर्मचारी दावों को प्राथमिकता देना।

Topic 8 - भारत का आईटी स्वप्न: एक मोड़ पर

Syllabus	अर्थव्यवस्था | सेवा क्षेत्र
संदर्भ	कभी वैश्विक वर्चस्व रखने वाला भारत का आईटी आउटसोर्सिंग उद्योग इस समय एक महत्वपूर्ण संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। एआई स्वचालन, बड़े पैमाने पर छंटनी और तेजी से बदलती कौशल आवश्यकताओं ने इस उद्योग की संरचना को चुनौती दी है। अब प्रमुख चुनौती यह है कि भारत को **"आउटसोर्सिंग मैनपावर** (Outsourcing Manpower)" आधारित मॉडल से **"माइंडपावर** (Mindpower)" आधारित नवाचार-अर्थव्यवस्था की ओर रूपांतरण करना होगा।
भारतीय आईटी क्षेत्र: प्रमुख प्रवृत्तियाँ एवं रणनीतिक परिवर्तन	❖ **आर्थिक प्रभाव:** भारतीय आईटी क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है। यह देश के **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 7%** का योगदान देता है, **60 लाख** लोगों को **रोजगार** प्रदान करता है, और प्रतिवर्ष **280 अरब डॉलर** का राजस्व उत्पन्न करता है। हालाँकि, यह उद्योग एक महत्वपूर्ण **परिवर्तन** के दौर से गुज़र रहा है: ➢ **मॉडल विघटन:** पारंपरिक व्यावसायिक मॉडल, जो बड़े पैमाने पर कोडिंग और तकनीकी सहायता सेवाओं पर आधारित था, अब **एआई-संचालित उच्च-मूल्य सेवाओं** की ओर स्थानांतरित हो रहा है। ➢ **रणनीतिक मोड़:** परिणामस्वरूप, आईटी कंपनियाँ अब **क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स, और स्वचालन-केंद्रित परामर्श** जैसी सेवाओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही हैं।
इस संकट के कारण	❖ **एआई और स्वचालन:** एजेंटिक एआई टूल तेजी से कोडिंग, परीक्षण और रखरखाव जैसे मुख्य कार्यों का स्वचालन कर रहे हैं, जिससे मानव श्रम की आवश्यकता कम हो रही है। ❖ **कौशल अप्रासंगिकता:** पुरानी तकनीकें (जैसे – जावा, एसएपी, मेनफ्रेम) अप्रासंगिक हो रही हैं, जबकि एआई, क्लाउड और साइबर सुरक्षा में विशेषज्ञता की माँग बढ़ रही है। ❖ **वैश्विक आर्थिक मंदी:** अमेरिका और यूरोप में आर्थिक मंदी से उत्पन्न बजट कटौती के कारण आउटसोर्सिंग अनुबंधों में कमी आई है। ❖ **ग्राहक माँग में बदलाव:** ग्राहक अब बड़े मैनपावर अनुबंधों के बजाय लक्षित समाधान हेतु विशेषीकृत, चुस्त/लचीली टीमों को प्राथमिकता देते हैं। ❖ **वैश्विक नीतिगत बाधाएं:** उच्च H-1B वीज़ा शुल्क और स्थानीयकरण की बढ़ती माँग से विदेशी परिचालन की लागत बढ़ी है।
भारत के लिए अवसर	❖ **विशाल एआई अपस्किलिंग:** TCS जैसी कंपनियां 5 लाख से अधिक कर्मचारियों को पुनः प्रशिक्षित कर रही हैं, जिससे विश्व का सबसे बड़ा एआई-तैयार प्रतिभा समूह तैयार हो रहा है। ❖ **डीप-टेक नवाचार:** 1000+ एआई और SaaS स्टार्टअप्स का जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र पारंपरिक आईटी सेवाओं से परे नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। ❖ **शैक्षिक सुधार:** इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों का आधुनिकीकरण कर उनमें मशीन लर्निंग, एआई नैतिकता और उत्पाद डिजाइन को शामिल करना। ❖ **वैश्विक डिजिटल संबंध:** डेटा गवर्नेंस और डिजिटल व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	❖ **बाज़ार विविधीकरण:** साइबर सुरक्षा, क्लाउड आर्किटेक्चर और एआई परामर्श जैसे उच्च-विकास क्षेत्रों में विस्तार।
प्रमुख चुनौतियाँ	❖ **रोजगार विस्थापन और कर्मचारी तनाव:** मध्य-स्तरीय पेशेवरों के लिए पर्याप्त सुरक्षा जाल की कमी के कारण वे छंटनी (रिडंडेंसी) और नौकरी की अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। यह कार्यबल पर गंभीर आर्थिक और मानसिक दबाव बना रहा है। ❖ **कम R&D निवेश:** GDP का 1% से कम अनुसंधान पर खर्च नवाचार की क्षमता को गंभीर रूप से सीमित करता है। ❖ **डिजिटल विभाजन:** आवश्यक एआई उपकरणों और अधिगम अवसंरचना तक असमान पहुँच बनी हुई है। ❖ **पुरानी शिक्षा प्रणाली:** कई शिक्षण संस्थान अभी भी अप्रासंगिक प्रोग्रामिंग भाषाओं को अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर रहे हैं।
आगे की राह	❖ **राष्ट्रीय एआई स्किलिंग मिशन:** बड़े पैमाने पर पुनः कौशल विकास के लिए शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग और सरकार को एकीकृत करने वाला एक मिशन स्थापित करना। ❖ **मुख्य पाठ्यक्रम सुधार:** इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में एआई और डेटा साइंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करना। ❖ **नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा:** समर्पित एआई अनुसंधान पार्क और डीप-टेक इन्क्यूबेटरों की स्थापना करना। ❖ **कर्मचारी सुरक्षा और पुनः प्रशिक्षण:** 6–9 माह का सेवरेंस (सेवानिवृत्ति लाभ) और समर्पित पुनः प्रशिक्षण के लिए निधि सुनिश्चित करने वाली नीतियों को लागू करना। ❖ **नीतिगत आधुनिकीकरण:** डेटा संप्रभुता को प्राथमिकता देना, निर्यात को प्रोत्साहन देना और वैश्विक प्रौद्योगिकी गठबंधनों को बढ़ावा देना।
निष्कर्ष	भारत की आईटी क्रांति समाप्त नहीं हो रही, बल्कि यह एआई-संचालित एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही है। साहसिक नीतियों, कौशल-उन्नयन और नवाचार को बढ़ावा देकर भारत इस व्यवधान को एक अवसर में बदल सकता है और वैश्विक डिजिटल नेतृत्व व प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा सकता है।

Topic 9 - कृषि पुनर्कल्पना पर रिपोर्ट

Syllabus	कृषि एवं प्रौद्योगिकी
संदर्भ	नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने गांधीनगर में "रीइमैजिनिंग एग्रीकल्चर: ए रोडमैप फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी-लेड ट्रांसफॉर्मेशन" रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट वर्ष 2047 तक तकनीकी-संचालित, सतत एवं समावेशी कृषि क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत करती है।
दृष्टि एवं रूपरेखा	❖ **दृष्टि:** भारतीय कृषि को **इनपुट-आधारित, खंडित मॉडल** से **नवाचार-आधारित, डेटा-संचालित** एवं **सतत प्रणाली** में रूपांतरित करना। ❖ **लक्ष्य:** "फ्रंटियर टेक्नोलॉजी" (AI, IoT, ड्रोन, डिजिटल ट्विन्स, बायो-इनोवेशन) का उपयोग कर उत्पादकता एवं किसान आय में वृद्धि। ❖ **रूपरेखा (Framework):** प्रस्तावित "डिजिटल कृषि मिशन 2.0" के अंतर्गत **3 स्तंभ**: ➢ **संवर्द्धन (Enhance):** आधारभूत प्रणालियों का निर्माण (डेटा इकोसिस्टम, अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी, किसान-केंद्रित डिजिटल सेवाएँ)।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	➢ **पुनर्कल्पना (Reimagine):** कृषि अनुसंधान एवं विकास, कौशल विकास एवं नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना। ➢ **अभिसरण (Converge):** सार्वजनिक-निजी सहयोग एवं नीति–उद्योग अभिसरण के माध्यम से विस्तार सुनिश्चित करना। ❖ **किसान वर्गीकरण (Farmer Categories):** ➢ **उदीयमान किसान (~70–80 %):** छोटे किसान, वर्षा आधारित कृषि, निम्न तकनीक अपनाना → समावेशन पर फोकस। ➢ **संक्रमणकारी किसान (~15–20 %):** मध्यम जोत, उन्नत तकनीक अपनाना प्रारंभ। ❖ **उन्नत किसान (~1–2 %):** बड़े जोत वाले, निर्यात-उन्मुख, उच्च तकनीक का प्रयोग कर कर रहे हैं।
वर्तमान कृषि परिदृश्य	❖ कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो भारत की **45.8% कार्यबल** को **रोजगार** देता है और लगभग **1 अरब टन** वार्षिक **खाद्य उत्पादन** में योगदान करता है। ❖ **चुनौतियाँ:** ➢ **भूमि संबंधी समस्याएँ:** अत्यधिक भूमि विखंडन, 86% किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि। ➢ **संचालनगत अक्षमताएँ:** मशीनीकरण का निम्न स्तर एवं उच्च कटाई-पश्चात हानि (USD 18 अरब)। ➢ **अवसंरचना एवं जलवायु जोखिम:** डिजिटल सेवाओं तक सीमित पहुँच, निरंतर ऋण अंतराल, तथा वर्षा प्रतिरूप, मिट्टी की उर्वरता एवं भूजल ह्रास पर **जलवायु परिवर्तन का प्रभाव**। 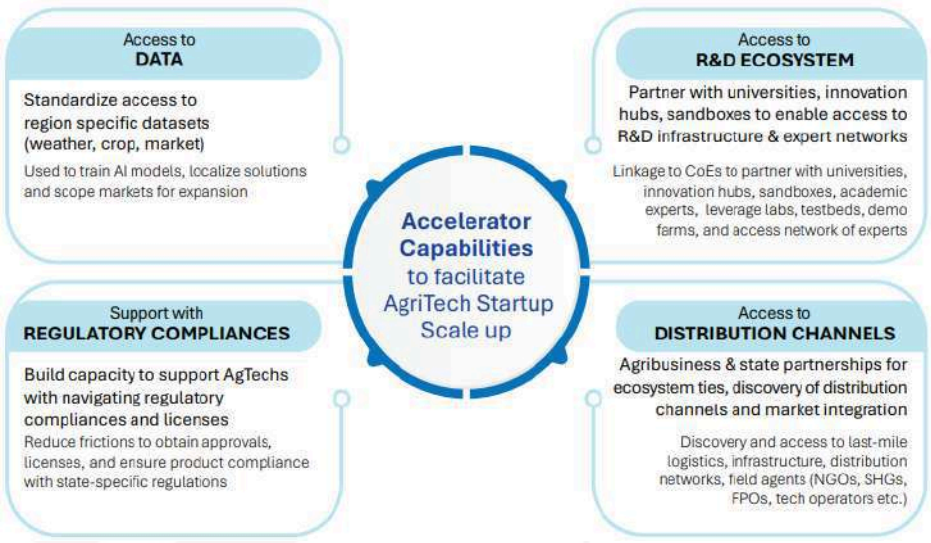
सीमांत प्रौद्योगिकी के लिए अवसर	❖ **AI एवं एनालिटिक्स:** प्रिसिजन फार्मिंग, मौसम एवं कीट परामर्श → तेलंगाना पायलट में 21% उपज वृद्धि। ❖ **जीन संपादन (CRISPR):** जलवायु-प्रतिरोधी एवं पोषक तत्व-समृद्ध फसलों का विकास। ❖ **स्मार्ट मशीनीकरण:** ड्रोन + IoT द्वारा सटीक सिंचाई एवं उर्वरीकरण प्रणाली। ❖ **ब्लॉकचेन:** पारदर्शी फार्म-टू-फोर्क ट्रेसेब्लिटी एवं डेटा संप्रभुता। ❖ **एग्रीटेक स्टार्टअप:** 1000+ स्टार्टअप एआई, फिनटेक एवं रोबोटिक्स के माध्यम से समावेशी पहुँच सक्षम कर रहे हैं।
प्रमुख सरकारी पहल	❖ **डिजिटल कृषि मिशन (2021–25)**: एकीकृत कृषक डेटा पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन। ❖ **राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन**: जलवायु-स्मार्ट कृषि प्रथाओं को प्रोत्साहन। ❖ **किसान ड्रोन योजना**: परिशुद्ध छिड़काव और मानचित्रण सक्षम। ❖ **पीएम-किसान एवं ई-नाम (eNAM)**: आय समर्थन तथा डिजिटल कृषि-बाज़ार तक पहुँच बढ़ाना। ❖ **एग्रीस्टैक एवं एक्सेलरेटर फंड**: डिजिटल बैकबोन और स्टार्टअप समर्थन बनाना।
प्रमुख चुनौतियाँ	❖ डेटा साइलो एवं अंतःसंचालनीयता (interoperability) की कमी। ❖ **विश्वास का संकट:** किसानों में डेटा गोपनीयता और नई तकनीकों की विश्वसनीयता को लेकर संदेह। ❖ **ग्रामीण "फिजिटल" विभाजन:** कमजोर कनेक्टिविटी, परिवहन एवं लॉजिस्टिक समस्याएँ। ❖ **पारिस्थितिकी तंत्र विखंडन:** सरकार, उद्योग, अकादमिक संस्थाओं और नियामकों में समन्वय का अभाव। ❖ **प्रतिभा अंतराल:** स्मार्ट खेती प्रणालियों हेतु अंतर्विषयक AI–कृषि कौशल की कमी। ❖ **वित्तपोषण एवं जोखिम-पूँजी बाधाएँ:** डीप-टेक नवाचार हेतु सीमित निवेश।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

प्रमुख सिफारिशें	❖ **डिजिटल कृषि मिशन 2.0**: एआई-एकीकृत डेटा प्रणालियाँ और नवाचार एक्सेलरेटर विकसित करना। ❖ संक्रमणात्मक अनुसंधान एवं विकास: प्रयोगशाला से खेत तक तकनीक का वास्तविक अपनाव। ❖ कृषि प्रतिभा पारिस्थितिकी तंत्र: किसानों को एआई, आईओटी, और डिजिटल साक्षरता में प्रशिक्षित करना। ❖ संस्थागत समन्वय: उत्कृष्टता केंद्र एवं पूर्वानुमान इकाइयाँ स्थापित करना। ❖ **समावेशी वित्त**: AI-आधारित ऋण एवं बीमा मॉडल अपनाकर छोटे किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।
निष्कर्ष	नीति आयोग का यह रोडमैप भारत में एक “बुद्धिमान कृषि क्रांति” का सूत्रपात करता है, जहाँ **डेटा नई मिट्टी** और **एआई नया हल** बनकर उभरेंगे। यदि नवाचार और समावेशन को साथ लेकर प्रगति की जाए, तो भारत वर्ष 2047 तक एक उत्पादक, सतत और तकनीक-सक्षम कृषि प्रणाली का साकार उदाहरण बन सकता है - जो विकसित भारत की दिशा में निर्णायक कदम सिद्ध होगा।

Topic 10 - सार्वभौमिक बुनियादी आय (Universal Basic Income - UBI)	
Syllabus	अर्थव्यवस्था | आय
संदर्भ	भारत में बढ़ती आय असमानता, रोज़गारविहीन आर्थिक वृद्धि और मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं की कमियों के कारण **सार्वभौमिक बुनियादी आय (UBI)** की अवधारणा पर नए सिरे से चर्चा हो रही है। विशेषज्ञ यह मानते हैं कि भारत के कल्याणकारी ढाँचे को पुनर्गठित करते हुए UBI को इसका मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए।
सार्वभौमिक बुनियादी आय (UBI) क्या है?	❖ UBI एक **आवधिक, निश्चित,** और **बिना शर्त नकद हस्तांतरण** है, जो प्रत्येक नागरिक को उसकी आय, संपत्ति या रोजगार की स्थिति पर विचार किए बिना प्रदान किया जाता है। ❖ **उद्देश्य:** इसका मुख्य लक्ष्य न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, गरीबी को कम करना और कल्याणकारी वितरण प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाना है। ❖ भारत के **आर्थिक सर्वेक्षण 2016–17** में इसे एक संभावित **“क्रांतिकारी सुरक्षा जाल”** के रूप में प्रस्तावित किया गया था।
प्रमुख विशेषताएँ	❖ **सार्वभौमिकता (Universality):** सभी नागरिकों को समान रूप से कवर करता है। ❖ **बिना शर्त (Unconditionality):** किसी कार्य या पात्रता मानदंड की आवश्यकता नहीं। ❖ **आवधिक (Periodic):** निश्चित अंतराल (जैसे मासिक) पर नियमित भुगतान। ❖ **नकद-आधारित (Cash-based):** वस्तु-आधारित हस्तांतरण (खाद्य, सब्सिडी) के बजाय, नकद रूप में सीधे हस्तांतरण (सामान्यतः प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से)। ❖ **अधिकार-आधारित (Rights-Based):** आय सुरक्षा को नागरिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है।
भारत में UBI की आवश्यकता	❖ **उच्च असमानता:** देश की 77% संपत्ति पर शीर्ष 10% लोगों का नियंत्रण; गिनी सूचकांक का उच्च स्तर (75)। ❖ **रोजगार-विहीन वृद्धि:** GDP बढ़ रहा है, परंतु बेरोजगारी और स्वचालन जोखिम भी बढ़ रहे हैं। ❖ **विखंडित कल्याण प्रणाली:** 400+ सरकारी योजनाएं - जिनमें दोहराव और रिसाव की समस्या। ❖ **निम्न जीवन स्तर:** खुशहाली सूचकांक में भारत का निम्न स्थान (137 में से 126वाँ)। ❖ **अवैतनिक देखभाल कार्य:** महिलाओं द्वारा किए गए "अदृश्य देखभाल कार्य" का GDP में अनुमानित 13% योगदान।
UBI के समर्थन में वैश्विक प्रमाण	❖ **भारत (मध्य प्रदेश):** पोषण में सुधार (+25%), विद्यालय उपस्थिति में वृद्धि (+12%), और सूक्ष्म-व्यवसायों में विस्तार (+17%)। ❖ **फिनलैंड:** उच्च कल्याण मानकों और स्थिर रोजगार दर में योगदान। ❖ **केन्या:** खाद्य सुरक्षा में 40% की वृद्धि और स्थानीय उद्यमों का विकास। ❖ **ईरान:** नकद हस्तांतरण के बावजूद मुद्रास्फीति (Inflation) में वृद्धि के बिना गरीबी में कमी।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	❖ **ईरान:** मुद्रास्फीति (Inflation) में वृद्धि के बिना नकद हस्तांतरण से गरीबी में कमी।
UBI के क्रियान्वयन में मुख्य चुनौतियाँ	❖ **राजकोषीय दबाव:** UBI पर अनुमानित व्यय GDP का लगभग 5% हो सकता है, जिसके लिए करों/सब्सिडी का पुनर्गठन आवश्यक है। ❖ **सार्वभौमिकता का द्वंद्व:** सभी को लाभ देने से प्रभावशीलता कम हो सकती है; चरणबद्ध क्रियान्वयन पर विचार आवश्यक। ❖ **मुद्रास्फीति का जोखिम:** बाजार में अचानक मांग बढ़ने से वस्तुओं की कीमतें (मुद्रास्फीति) बढ़ सकती हैं। ❖ **डिजिटल/वित्तीय विभाजन:** कमज़ोर DBT (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) पहुँच के कारण वंचित समूहों के बहिष्करण (Exclusion) का खतरा। ❖ **राजनीतिक बाधाएँ:** सब्सिडी-आधारित मौजूदा राजनीति को एक व्यापक UBI मॉडल में बदलना एक कठिन राजनीतिक चुनौती है।
आगे की राह	❖ **चरणबद्ध दृष्टिकोण:** महिलाओं, बुजुर्गों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से शुरुआत करते हुए धीरे-धीरे विस्तार करना। ❖ **पूरक योजनाओं का संरक्षण:** सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और मनरेगा (MGNREGA) जैसी आवश्यक योजनाओं को बनाए रखना। ❖ **प्रगतिशील वित्तपोषण:** संपत्ति/कार्बन कर जैसे नए करों और अपव्ययी/अनावश्यक सब्सिडी में कटौती के माध्यम से वित्त की व्यवस्था करना। ❖ **DBT को सुदृढ़ बनाना:** JAM (जन-धन, आधार, मोबाइल) के माध्यम से DBT की सटीकता, पहुँच और शिकायत निवारण प्रणाली में सुधार करना। ❖ **संस्थागत निगरानी:** UBI के मूल्यांकन और निगरानी के लिए एक सामाजिक सुरक्षा आयोग की स्थापना करना।
निष्कर्ष	UBI में भारत की कल्याणकारी प्रणाली को एक सरल, समावेशी और अधिकार-आधारित ढाँचे में बदलने की क्षमता है। बढ़ती असमानता और रोजगार अनिश्चितता के युग में, यह न्यूनतम आय सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा देश के नागरिकों के लिए एक स्थिर व गरिमामय भविष्य बनाने हेतु एक आवश्यक कदम हो सकता है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

Topic 11 - राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (NIC) 2025	
Syllabus	अर्थव्यवस्था | राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण संशोधन
संदर्भ	राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (NIC) 2025 भारत की आर्थिक गतिविधियों के वर्गीकरण की प्रणाली में एक महत्वपूर्ण अद्यतन है। इसका उद्देश्य वैश्विक मानकों और उभरते आर्थिक क्षेत्रों के अनुरूप होकर नीति निर्माण और आधिकारिक आँकड़ों की सटीकता में सुधार करना है।
NIC 2025 क्या है?	❖ यह भारत की सभी आर्थिक गतिविधियों को वर्गीकृत करने के लिए एक **मानकीकृत छह-अंकीय प्रणाली** है। ❖ **जारीकर्ता:** सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)। ❖ यह पुरानी पाँच-अंकीय NIC 2008 प्रणाली को प्रतिस्थापित करता है। ❖ यह वर्गीकरण पहली बार 1962 में लागू हुआ था और इसके बाद संशोधन हुए: 1970 → 1987 → 1990 → 1998 → 2004 → 2008 → अब NIC 2025 के अंतर्गत आता है। ❖ **उद्देश्य:** NIC 2025 का मुख्य उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों के लिए एक समान वर्गीकरण ढाँचा प्रदान करना है, जिसका उपयोग निम्नलिखित में किया जाता है: ➢ सांख्यिकीय सर्वेक्षण (जैसे वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण) ➢ जनगणना ➢ राष्ट्रीय खाते (सकल घरेलू उत्पाद/GDP गणना) ➢ नीति निर्माण और आर्थिक शोध।
प्रमुख विशेषताएँ	❖ **अंतर्राष्ट्रीय संरेखण:** यह संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त राष्ट्र **अंतर्राष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण (ISIC) संशोधन 5** के अनुरूप है। ❖ **उभरते क्षेत्रों का समावेश:** डिजिटल अर्थव्यवस्था (जैसे AI, फिनटेक, क्लाउड, ब्लॉकचेन), ई-कॉमर्स और प्लेटफ़ॉर्म आधारित अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन और आयुष जैसे नए और उभरते क्षेत्रों को शामिल किया गया है। ❖ **विस्तारित श्रेणियाँ:** लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट सेवाएँ, खाद्य सेवाएँ, और पर्यावरणीय सुधार के लिए नई विस्तृत श्रेणियाँ जोड़ी गई हैं। ❖ **बेहतर विवरण:** आधुनिक उद्योगों के मापन को बेहतर बनाने के लिए अधिक विस्तृत उप-वर्गीकरण प्रदान किया गया है। ❖ NIC 2025 अब सभी सरकारी सर्वेक्षणों, आँकड़ों के संकलन और नीति निर्माण के लिए आधिकारिक मानक बन गया है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

Govt Schemes

Topic 1 - पीएम-श्री स्कूल (PM-SHRI Schools)	
Syllabus	सरकारी योजनाएं
संदर्भ	केरल ने अपने पूर्व के रुख को पलटते हुए **पीएम-श्री विद्यालय (PM-SHRI Schools) योजना** को लागू करने पर सहमति जताई है।
पीएम-श्री विद्यालय (PM-SHRI Schools) योजना के बारे में	❖ **पूरा नाम:** पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (PM Schools for Rising India – PM-SHRI) ❖ **प्रारंभ:** वर्ष **2022** में **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020)** के अंतर्गत ❖ **उद्देश्य:** मौजूदा **14,500 सरकारी विद्यालयों** को उन्नत कर उन्हें **मॉडल संस्थानों** में परिवर्तित करना, जो **एनईपी 2020 के सिद्धांतों** को प्रदर्शित करें। ❖ **कवरेज:** प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक - केंद्र, राज्य एवं स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालय। ❖ **वित्तीय पैटर्न:** 60:40 अनुपात (केंद्र : राज्य)।
मुख्य उद्देश्य	❖ **क्षमता-आधारित अधिगम** लागू करना, नवाचार, कला/खिलौना-आधारित शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण पर बल। ❖ **आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता (FLN)**, **शून्य ड्रॉपआउट**, और **बेहतर अधिगम परिणाम** सुनिश्चित करना। ❖ **स्किल लैब्स** और **आधुनिक शिक्षण विधियों** की स्थापना। ❖ पाठ्यक्रम को **NCF (राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा)** या **SCF (राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा)** से संरेखित करना। ❖ **स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन रूपरेखा** के माध्यम से मूल्यांकन - प्रदर्शन आधारित वित्त पोषण।
वित्त पोषण एवं संबद्ध योजनाएँ	❖ योजना को **समग्र शिक्षा (Samagra Shiksha)** से जोड़ा गया है (समान **60:40 वित्तीय अनुपात** लागू)। ❖ केंद्र सरकार ने **समग्र शिक्षा के अंतर्गत धनराशि** जारी करने के लिए **पीएम-श्री स्कूलों में भागीदारी** को अनिवार्य कर दिया है। जो निम्न कवर करती है: ➢ **RTE** (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) का क्रियान्वयन ➢ **वर्दी एवं पाठ्यपुस्तकों** की व्यवस्था ➢ **विकलांग बच्चों** के लिए सहायता ➢ **EWS** (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के बच्चों को निजी विद्यालयों में **प्रतिपूर्ति।**

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

Topic 2 - युवा एआई फॉर ऑल पहल

Syllabus	सरकारी योजना
संदर्भ	युवा एआई फॉर ऑल पहल एक **निःशुल्क राष्ट्रीय एआई-साक्षरता कार्यक्रम** है जिसे **इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)** ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बुनियादी, नैतिक और व्यावहारिक समझ प्रदान करना है।
युवा एआई फॉर ऑल क्या है?	❖ **स्वरूप:** 4.5 घंटे का एक निःशुल्क, स्वाध्यायी (self-paced) ऑनलाइन एआई पाठ्यक्रम, जो सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। ❖ इसे इंडिया एआई मिशन (IndiaAI Mission) के तहत MeitY द्वारा शुरू किया गया है। ❖ **विकासकर्ता:** एआई विशेषज्ञ जसप्रीत बिंद्रा द्वारा विकसित। ❖ **उद्देश्य** ➢ **1 करोड़** से अधिक भारतीय नागरिकों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मूल अवधारणाओं में प्रशिक्षित करना। ➢ समाज में उत्तरदायी और नैतिक एआई के उपयोग को बढ़ावा देना।
प्रमुख विशेषताएँ	❖ पूर्णतः **निःशुल्क** + सरकारी मान्यता प्राप्त **प्रमाण-पत्र**। ❖ फ्यूचर स्किल्स प्राइम, iGOT कर्मयोगी तथा अन्य एड-टेक प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध। ❖ **छह मॉड्यूल** का पाठ्यक्रम: एआई की बेसिक्स (आधारभूत बातें), अनुप्रयोग, सुरक्षा एवं गोपनीयता, एआई में नैतिक मूल्य, अवसर एवं संभावनाएं तथा भारत-आधारित उदाहरणों के माध्यम से व्यावहारिक समझ। ❖ छात्रों, पेशेवरों एवं सामान्य शिक्षार्थियों के लिए खुला।
महत्व	❖ **एआई शिक्षा का लोकतंत्रीकरण:** यह पहल बुनियादी एआई शिक्षा को जन-जन तक सुलभ बनाकर एआई साक्षरता का लोकतंत्रीकरण करती है। ❖ **भविष्य की कार्यशक्ति:** यह भारत की कार्यशक्ति को डिजिटल और एआई-चालित अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करके भविष्य की चुनौतियों के लिए सक्षम बनाती है। ❖ **सुरक्षित उपयोग:** यह जिम्मेदार तकनीकी और नैतिक एआई अपनाने को प्रोत्साहित करता है।

Topic 3 - भारत टैक्सी: भारत की पहली सहकारी कैब सेवा

Syllabus	सरकारी योजनाएँ | अर्थव्यवस्था और शासन
संदर्भ	भारत नवंबर 2025 में दिल्ली से अपनी पहली सहकारी कैब सेवा - **'भारत टैक्सी (Bharat Taxi)'** का शुभारंभ करने जा रहा है।
भारत टैक्सी क्या है?	❖ मॉडल: एक सरकार समर्थित **सहकारी राइड-हेलिंग प्लेटफ़ॉर्म** (Cooperative Ride-Hailing Platform), जिसे मौजूदा वैश्विक एग्रीगेटर्स (जैसे ओला एवं उबर) के **नागरिक-केंद्रित विकल्प** के रूप में डिजाइन किया गया है। ❖ **मुख्य अंतर**: कॉर्पोरेट एग्रीगेटर्स के विपरीत, यह मॉडल कैब चालकों को **स्वामित्व** एवं **लाभ-साझेदारी अधिकार** प्रदान करता है। ❖ **उद्देश्य**: चालक कल्याण को प्राथमिकता देना, यात्रियों के लिए वहनीयता सुनिश्चित करना तथा डिजिटल एकीकरण के माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ावा देना।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

क्रियान्वयन	❖ **संबंधित मंत्रालय: केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय** एवं **राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (NeGD)।** ❖ **संचालन संस्था:** सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड (बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत)। ❖ **वित्तीय सहयोग:** अमूल, इफको, नेफेड, क्रिभको, नाबार्ड और एनसीडीसी जैसे प्रमुख सहकारी संस्थानों द्वारा ₹300 करोड़ का वित्तीय सहयोग।
प्रमुख विशेषताएँ	❖ **चालक स्वामित्व मॉडल:** सहकारी स्वामित्व आधारित संरचना → चालक (**सारथी**) सहकारी समिति के **सदस्य** (Members) एवं **शेयरधारक** (Shareholders) होंगे। ❖ **शून्य कमीशन नीति**: चालकों को उनकी आय का 100% प्राप्त होगा; केवल नाममात्र का सदस्यता शुल्क देय होगा। ❖ **डिजिटल एकीकरण:** डिजिलॉकर (DigiLocker), उमंग (UMANG) और एपीआई सेतु (API Setu) से एकीकृत - जिससे पहचान सत्यापन एवं सेवा एकीकरण सुगम बनेगा। ❖ **किराया संरचना:** सरकार-नियंत्रित, निष्पक्ष और पारदर्शी किराया प्रणाली, कोई छिपा कमीशन नहीं → यह मनमानी 'सर्ज प्राइसिंग' (surge pricing) को समाप्त करती है। ❖ **चरणबद्ध विस्तार:** ➢ **प्रारंभ:** नवंबर 2025 में **दिल्ली में 650 चालकों** के साथ सेवा शुरू। ➢ **विस्तार लक्ष्य: 2026** तक **20 शहरों** को कवर करना तथा **2030** तक **1 लाख कैब्स** संचालन का लक्ष्य।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

History

Topic 1 - ज्ञान भारतम् मिशन

Syllabus	सरकारी योजनाएँ
संदर्भ	**संस्कृति मंत्रालय** (Ministry of Culture) द्वारा शुरू किया गया **ज्ञान भारतम् मिशन** (Gyan Bharatam Mission) - भारत की प्राचीन पांडुलिपि धरोहर के संरक्षण, डिजिटलीकरण व प्रचार-प्रसार के लिए एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय परियोजना है, जो आधुनिक प्रौद्योगिकी को सांस्कृतिक संरक्षण से एकीकृत करती है।
पृष्ठभूमि	❖ भारत विश्व की सबसे समृद्ध **पांडुलिपि परंपराओं (Manuscript Traditions)** में से एक का धनी है, जिनमें **संस्कृत, पाली, प्राकृत, तमिल, फ़ारसी, और अरबी** जैसी भाषाओं की पांडुलिपियाँ सम्मिलित हैं। ❖ ये पांडुलिपियाँ **दर्शन, आयुर्वेद, ज्योतिष, विधि, साहित्य** आदि विविध क्षेत्रों को समाहित करती हैं। ❖ अनेक पांडुलिपियाँ **पुस्तकालयों, मठों, एवं निजी संग्रहों** में बिखरी हुई हैं, जो नष्ट होने और उपेक्षा के खतरे का सामना कर रही हैं। ❖ इस अमूल्य ज्ञान परंपरा के संरक्षण हेतु सरकार ने **ज्ञान भारतम् मिशन** को एक **राष्ट्रीय संरक्षण एवं डिजिटलीकरण अभियान** के रूप में आरंभ किया है।
ज्ञान भारतम् मिशन के बारे में	❖ **उद्देश्य:** भारत की पांडुलिपि धरोहर की पहचान, संरक्षण, डिजिटलीकरण एवं प्रसार को एक **प्रौद्योगिकी-आधारित ढाँचे** के माध्यम से सुनिश्चित करना। ❖ मुख्य विशेषता: **राष्ट्रीय डिजिटल भंडार (National Digital Repository)** की स्थापना - एक केंद्रीकृत डिजिटल अभिलेखागार जो वैश्विक स्तर पर सुलभ होगा। ❖ उद्देश्य: प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणालियों को **आधुनिक शैक्षणिक अनुसंधान** से जोड़ना एवं **अंतरविषयक सहयोग** को प्रोत्साहित करना।
संस्थागत सहयोग	❖ संरक्षण एवं डिजिटलीकरण हेतु लगभग **50 संस्थान** संस्कृति मंत्रालय के साथ **समझौता ज्ञापन (MoU)** पर हस्ताक्षर करेंगे। ❖ इन संस्थानों में **राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय अभिलेखागार** सम्मिलित होंगे ताकि **संपूर्ण भारत में समान कवरेज** सुनिश्चित हो सके।
वैश्विक एवं राष्ट्रीय महत्व	❖ यह मिशन भारत के **"ज्ञान विरासत की पुनर्प्राप्ति"** के लक्ष्य तथा **यूनेस्को** के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम के अनुरूप है। ❖ भारत की **सॉफ्ट पावर** और **वैश्विक सांस्कृतिक नेतृत्व** को सुदृढ़ करता है। ❖ **डिजिटल इंडिया** अभियान को समर्थन देते हुए यह परियोजना **विरासत, प्रौद्योगिकी एवं अकादमिक अध्ययन** को एकीकृत करती है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

Topic 2 - विजयनगर काल की स्वर्ण मुद्राएँ

Syllabus	भारतीय इतिहास
संदर्भ	हाल ही में तमिलनाडु में विजयनगर काल की 100 से अधिक स्वर्ण मुद्राएँ प्राप्त हुईं, जो मध्यकालीन दक्षिण भारतीय मंदिर अर्थव्यवस्था और शिल्पकला पर नए दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं।
खोज की प्रमुख बातें	❖ **स्थान:** कोविलुर शिव मंदिर, तिरुवन्नामलाई ज़िला (उत्तर चोल कालीन स्थल)। ❖ **प्राप्त अवशेष:** गर्भगृह के समीप एक मिट्टी के पात्र में विभिन्न आकार और आकृति की 103 स्वर्ण मुद्राएँ मिलीं। ❖ स्थल को भारतीय ट्रेज़र ट्रोव अधिनियम, 1878 के तहत तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग और राजस्व विभाग द्वारा सुरक्षित किया गया। ❖ **विशिष्ट विशेषताएँ:** ➢ मुद्राओं पर **वराह (सूअर)** का चिह्न अंकित है – विजयनगर राजाओं का राजचिह्न। ➢ संभवतः **हरिहर द्वितीय** या **कृष्णदेवराय** (14वीं–16वीं शताब्दी ईस्वी – संगम एवं तुलुव वंश) के शासनकाल में निर्मित। ➢ अनुमानित आकार ~5 मिमी; शुद्ध स्वर्ण से निर्मित; संभवतः मंदिर दान या धार्मिक न्यास (Endowments) हेतु प्रयुक्त।
विजयनगर की मुद्रा प्रणाली	❖ **काल (Period):** 1336–1646 ईस्वी | **हरिहर प्रथम** एवं **बुक्का प्रथम** द्वारा विद्यारण्य के मार्गदर्शन में स्थापना। ❖ **राजधानी (Capital):** हम्पी – दक्षिण भारत का राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक केंद्र। ❖ **मुद्राओं के प्रकार:** ➢ स्वर्ण पैगोडा (गद्यन), रजत तारा, तथा ताम्र जिटल। ➢ स्वर्ण मुद्राएँ धार्मिक एवं राजकीय प्रयोजनों के लिए आरक्षित। ❖ **डिजाइन एवं चित्रांकन:** ➢ विष्णु-लक्ष्मी, उमा-महेश्वर, बालकृष्ण एवं गंडभेरुंड (दो सिर वाला गरुड़) जैसे देवताओं का चित्रण। ➢ कन्नड़, तमिल या देवनागरी में अभिलेख, जैसे "श्री प्रताप कृष्ण राय"। ❖ **प्रतीकात्मकता:** वराह (सूअर) चिह्न – दिव्य राजसत्ता एवं राज्याधिकार का प्रतीक। ❖ **आर्थिक भूमिका:** ये मुद्राएँ मंदिर निधियों (Temple Treasury) एवं व्यापारिक मुद्रा (Trade Currency) दोनों के रूप में प्रयुक्त होती थीं। दक्षिण भारत से लेकर हिंद महासागर व्यापार मार्गों तक इनका प्रचलन था।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

Topic 3 - मेरठ बग़ल (Meerut Bugle)

Syllabus	कला एवं संस्कृति | भौगोलिक संकेत (GI Tag)
संदर्भ	पारंपरिक पीतल सैन्य वाद्य यंत्र **'मेरठ बग़ल'** को भौगोलिक संकेत (GI) टैग मिला है। यह पहचान इसकी ऐतिहासिक शिल्प कौशल और भारत की सैन्य विरासत से इसके गहरे सांस्कृतिक संबंध को दर्शाती है।
मेरठ बग़ल क्या है? 	❖ यह एक **पीतल का वाद्य यंत्र** है, जिसका उपयोग सैन्य अभ्यास, परेड, समारोहों और सांकेतिक ध्वनियों के लिए किया जाता है। ❖ **विशेषता:** इसकी मुख्य पहचान इसकी तेज़, आदेशात्मक ध्वनि और भारतीय रेजिमेंटल इतिहास से इसका गहरा जुड़ाव है। ❖ **उत्पत्ति और विरासत:** इसका इतिहास 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज के दौरान मेरठ से शुरू होता है। समय के साथ, मेरठ हाथ से बनी बग़ल के उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र बन गया।
भौगोलिक संकेत (GI) टैग क्या है?	❖ जीआई टैग एक प्रमाणन है जो यह सुनिश्चित करता है कि कोई उत्पाद किसी विशिष्ट क्षेत्र से उत्पन्न हुआ है और उसमें उस क्षेत्र की विशिष्ट गुणवत्ता या प्रतिष्ठा निहित है। ❖ **प्रशासनिक और कानूनी ढांचा:** ➢ **प्रशासनिक निकाय:** जीआई रजिस्ट्री, चेन्नई (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन)। ➢ **कानून:** जीआई अधिनियम, 1999 के तहत स्थापित और 2003 से प्रभावी। ➢ **वर्तमान स्थिति:** भारत में वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों के 605 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त है।
जीआई टैग प्रणाली के प्रमुख उद्देश्य	❖ **विरासत का संरक्षण:** किसी क्षेत्र से जुड़े उत्पादों और पारंपरिक शिल्पों की रक्षा करना। ❖ **प्रामाणिकता सुनिश्चित करना:** नकली या अनाधिकृत उत्पादों के निर्माण और दुरुपयोग को रोकना। ❖ **आर्थिक सहयोग:** बाज़ार मूल्य बढ़ाना, आजीविका को समर्थन देना और उत्पाद की वैश्विक पहचान को सुदृढ़ करना।
जीआई टैगिंग के प्रमुख लाभ	❖ **विशेषाधिकार:** नामित क्षेत्र के अधिकृत उत्पादकों को विशेष कानूनी अधिकार प्रदान करता है। ❖ **संरक्षण:** प्रामाणिकता की गारंटी देता है और नकली उत्पादन को दंडनीय अपराध बनाता है। ❖ **विकास:** ग्रामीण विकास को बढ़ावा देता है और पारंपरिक कौशल को बनाए रखने में मदद करता है। ❖ **बाज़ार पहुँच:** निर्यात क्षमता को बढ़ाता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच आसान करता है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

Science and Technology

Topic 1 - AI सामग्री लेबलिंग	
Syllabus	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | साइबर सुरक्षा
संदर्भ	भारत सरकार ने **आईटी नियम, 2021** के तहत **एआई-जनित सामग्री (AI-generated content)** की लेबलिंग अनिवार्य करने वाले नए नियम प्रस्तावित किए हैं। इसका उद्देश्य **रचनात्मक स्वतंत्रता** को बाधित किए बिना **डीपफेक**, **भ्रामक जानकारी** को रोकना और **पारदर्शिता सुनिश्चित करना** है।
प्रस्तावित प्रमुख बिंदु	❖ **प्लेटफ़ॉर्म दायित्व:** सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म उपयोगकर्ताओं से यह घोषणा करवाएंगे कि अपलोड की गई सामग्री **एआई-जनित (AI-generated)** है या नहीं। ❖ ऐसी सामग्री की **पहचान** हेतु **स्थायी लेबल या मेटाडेटा** अनिवार्य होगा। ❖ **वीडियो के लिए:** लेबल **स्क्रीन क्षेत्र का 10% भाग** कवर करेगा, **ऑडियो के लिए:** लेबल **प्रारंभिक 10% अवधि** तक सुनाई देगा। ❖ **अनुपालन न करने पर (Non-Compliance):** प्लेटफ़ॉर्म **सेफ हार्बर प्रावधानों** के तहत मिलने वाली **कानूनी प्रतिरक्षा (Legal Immunity)** खो सकते हैं।
मसौदे के अनुसार कृत्रिम सामग्री (सिंथेटिक कंटेंट) की परिभाषा	❖ **"कृत्रिम रूप से उत्पन्न जानकारी (Synthetically generated information)"** वह सामग्री है जो **एल्गोरिदम द्वारा निर्मित, परिवर्तित या संशोधित** की गई हो ताकि वह वास्तविक प्रतीत हो। ❖ इसमें **एआई-संशोधित पाठ, चित्र, ऑडियो और वीडियो** शामिल हैं। ❖ यह उपयोगकर्ताओं को **वास्तविक और एआई-जनित सामग्री** के बीच अंतर करने में मदद करता है - विशेष रूप से समाचार, चुनाव, वित्त और सार्वजनिक व्यक्तित्व (हस्तियों) जैसे **संवेदनशील क्षेत्रों** में।
वैश्विक प्रथाएँ बनाम भारत का प्रस्ताव	❖ **मेटा और गूगल**: पहले से "AI इन्फो" या "सिंथेटिक कंटेंट" टैग का उपयोग करते हैं, लेकिन यह उपयोगकर्ता की स्व-घोषणा पर निर्भर करता है। ❖ **भारत का दृष्टिकोण**: अधिक कठोर - उपयोगकर्ता इनपुट के बिना भी प्लेटफार्म द्वारा खुद तकनीकी तौर पर कंटेंट की पहचान करना और स्वचालित लेबलिंग करना अनिवार्य। ❖ **पार्टनरशिप ऑन AI (PAI) सहयोग**: मेटा, गूगल, ओपनAI, और एडोबी वैश्विक मानकीकरण के लिए अदृश्य AI मार्कर विकसित कर रहे हैं।
वैश्विक डीपफेक विनियमन	❖ **EU AI अधिनियम:** सभी एआई-जनित/संशोधित सामग्री को **मशीन-पठनीय रूप में स्पष्ट लेबलिंग** अनिवार्य करता है। ❖ **चीन:** सभी एआई-जनित मीडिया पर **दृश्य या छिपे हुए मार्कर** अनिवार्य; प्लेटफ़ॉर्म को ऐसे कंटेंट का **पता लगाना** और **उपयोगकर्ताओं को चेतावनी देना** आवश्यक है। ❖ **डेनमार्क: व्यक्तिगत रूप-छवि/व्यक्तिगत समानता (Personal Likeness)** पर कॉपीराइट देने का प्रस्ताव - नागरिक एआई-संशोधित सामग्री को हटाने की मांग कर सकते हैं।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

Topic 2 - भारत के नए एआई शासन दिशा निर्देश

Syllabus	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | शासन
संदर्भ	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने भारत एआई शासन दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा नवाचार-अनुकूल (Innovation-Friendly) ढाँचा तैयार करना है जो हल्के नियामक दृष्टिकोण पर आधारित हो।
पृष्ठभूमि	❖ दिशा-निर्देशों का प्रारूप **प्रो. बालारामन रविंद्रन (IIT मद्रास)** की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार किया गया। ❖ यह दस्तावेज़ जनवरी 2025 के प्रारूप पर आधारित है जिसे पहले प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) अजय के. सूद की देखरेख में तैयार किया गया था। ❖ ये दिशा निर्देश एआई जनित सामग्री के अनिवार्य लेबलिंग संबंधी **आईटी नियम (संशोधन 2021)** से अलग हैं। ❖ दिल्ली **एआई इम्पैक्ट समिट 2026** तथा **ब्लेचले पार्क**, **सियोल**, **पेरिस** जैसे वैश्विक एआई कार्यक्रमों के अनुरूप जारी किए गए।
दिशानिर्देशों की संरचना	यह ढाँचा **चार भागों** में विभाजित है: ❖ सात मार्गदर्शक सूत्र (सिद्धांत) ❖ छह कार्यान्वयन स्तंभ (अनुशंसाएं) ❖ कार्य योजना (समय-सारणी) ❖ व्यावहारिक दिशा निर्देश (उद्योग एवं नियामकों के लिए)।
सात मार्गदर्शक सूत्र (मुख्य सिद्धांत)	ये सिद्धांत भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक और दार्शनिक आधार को परिभाषित करते हैं: ❖ **विश्वास को आधार बनाना:** एआई के व्यापक उपयोग के लिए सार्वजनिक विश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। ❖ **जन-केंद्रित दृष्टिकोण:** यह सुनिश्चित करना कि एआई का डिज़ाइन और निरीक्षण मानव-केंद्रित हो। ❖ **नियंत्रण पर नवाचार को प्राथमिकता:** उत्तरदायी विकास और परिनियोजन (Deployment) को प्रोत्साहन देना। ❖ **न्याय एवं समानता:** समावेशी और गैर-भेदभावपूर्ण एआई प्रणालियों को बढ़ावा देना। ❖ **जवाबदेही:** स्पष्ट जिम्मेदारियां और प्रवर्तन तंत्र स्थापित करना। ❖ **समझने योग्य डिज़ाइन (पारदर्शिता और व्याख्येयता):** एआई प्रणाली में पारदर्शिता और यह समझने की क्षमता (Explainability) सुनिश्चित करना कि वह कैसे काम करती है। ❖ **सुरक्षा, लचीलापन और स्थायित्व:** ऐसी एआई प्रणालियाँ विकसित करना जो सुरक्षित, नैतिक और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हों।
छह कार्यान्वयन स्तंभ (मुख्य अनुशंसाएं)	ये स्तंभ रणनीतिक कार्य क्षेत्रों को रेखांकित करते हैं:

स्तंभ	फोकस क्षेत्र	विशिष्ट कार्य
अवसंरचना	डिजिटल सार्वजनिक वस्तुएँ	डेटा, कम्प्यूट संसाधन, DPI तक पहुंच विस्तार; **AI Kosh** जैसे प्लेटफॉर्म मजबूत करना।
क्षमता निर्माण	कौशल एवं जागरूकता	नागरिकों, सरकारी अधिकारियों और एमएसएमई के लिए प्रशिक्षण; उत्तरदायी एआई साक्षरता को बढ़ावा।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

नीति एवं विनियमन	अनुकूलनीय कानून	उभरते एआई जोखिमों हेतु लचीले कानून; मौजूदा अधिनियमों की समीक्षा/संशोधन।
जोखिम न्यूनीकरण	सुरक्षा उपाय	भारत के लिए विशेष जोखिम ढाँचे विकसित करना, स्वैच्छिक व तकनीकी–कानूनी सुरक्षा उपायों को अपनाना।
जवाबदेही	पारदर्शिता	जोखिम स्तरों के अनुरूप ग्रेडेड दायित्व प्रणाली (Graded Liability System) विकसित करना; एआई मूल्य श्रृंखला में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
संस्था	शासन संस्थाएँ	AI शासन समूह (AIGG), तकनीकी एवं नीति विशेषज्ञ समिति (TPEC) स्थापित करना; AI सुरक्षा संस्थान (AISI) को मजबूत करना।

कार्य योजना (Action Plan – कार्यान्वयन समयसीमा)

a. **अल्पकालिक (1 वर्ष):**
   i. AIGG व TPEC द्वारा जोखिम ढाँचा तैयार करना व जन-जागरूकता अभियान शुरू करना।
   ii. परिणाम → संस्थागत स्थापना एवं विश्वास निर्माण।

b. मध्यमकालिक (2–3 वर्ष):
   i. मानक निर्माण, नियामकीय सैंडबॉक्स का संचालन, और आवश्यक कानूनी संशोधन करना।
   ii. परिणाम → सुरक्षित प्रयोग, बेहतर जवाबदेहिता।

c. दीर्घकालिक (3 वर्ष से अधिक):
   i. निरंतर नीतिगत समीक्षा करना और उभरते जोखिमों के लिए **नए एआई कानून** बनाना।
   ii. परिणाम → भविष्य के लिए तैयार एआई पारिस्थितिकी तंत्र।

व्यावहारिक दिशा निर्देश

a. **उद्योगों के लिए:**
   i. भारतीय कानूनों का अनुपालन करें; नियमित पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करें।
   ii. प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली (Grievance Redressal) स्थापित करें।

b. **नियामकों के लिए:**
   i. कठोर अनुपालन की बजाय निगरानी में नवाचार-प्रथम दृष्टिकोण अपनाएँ।
   ii. पूर्वाग्रह पहचान एवं गोपनीयता संरक्षण जैसे तकनीकी-कानूनी उपकरणों का उपयोग।

विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि

- **रणनीति में बदलाव:** मुख्य ध्यान जोखिम नियंत्रण से हटकर नवाचार को सशक्त बनाने पर केंद्रित है।
- **AI कानून पर रुख:** वर्तमान में कोई तत्काल AI कानून नहीं है; नया कानून केवल भविष्य में संभावित जोखिमों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा।
- सम्पूर्ण-सरकार दृष्टिकोण (Whole-of-Government Model): विभिन्न मंत्रालयों और क्षेत्रों के बीच समन्वय।
- वैश्विक स्थिति: यह ढाँचा भारत को एक जिम्मेदार AI शक्ति के रूप में स्थापित करता है, जो विकास और नैतिकता के बीच संतुलन सुनिश्चित करता है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

Topic 3 - प्रोजेक्ट सनकैचर: अंतरिक्ष-आधारित एआई डेटा केंद्रों के लिए गूगल का विज़न	
Syllabus	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
संदर्भ	**गूगल 'प्रोजेक्ट सनकैचर'** के तहत अपने AI डेटा सेंटर्स को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की योजना बना रहा है। इसका प्राथमिक उद्देश्य निरंतर, अबाधित सौर ऊर्जा का उपयोग करना है। इस दूरगामी पहल का लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी लाना और पृथ्वी से परे एक भविष्य-उन्मुख, विस्तार योग्य वैश्विक कंप्यूटिंग नेटवर्क की स्थापना करना है।
परियोजना का स्वरूप	❖ यह **गूगल** के नेतृत्व में एक **"मूनशॉट" अनुसंधान प्रयास** है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष कक्षा में सौर ऊर्जा से संचालित AI डेटा सेंटर्स का परीक्षण करना है। ❖ **प्रमुख घटक:** इसमें उच्च-प्रदर्शन **टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स (TPUs)** से लैस उपग्रहों को तैनात करना और तीव्र गति के संचार के लिए **ऑप्टिकल डेटा लिंक** का उपयोग करना शामिल है। ❖ **मुख्य उद्देश्य:** ➢ पृथ्वी पर स्थित डेटा सेंटर्स की तुलना में ऊर्जा, जल और कार्बन की खपत को कम करना। ➢ अंतरिक्ष में निरंतर उपलब्ध रहने वाली सौर ऊर्जा का प्रभावी ढंग से उपयोग करना। ➢ परस्पर जुड़े हुए उपग्रहों का एक विस्तार योग्य कंप्यूटिंग नेटवर्क निर्मित करना।
मुख्य विशेषताएँ	❖ **ऊर्जा स्रोत:** उपग्रहों में लगे सौर पैनल पृथ्वी पर आधारित पैनलों की तुलना में **8 गुना अधिक कुशल** होंगे। ❖ **प्रोसेसिंग हार्डवेयर:** अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए, विकिरण-प्रतिरोधी **ऑर्बिटिंग TPUs (Trillium v6e)** का उपयोग किया जाएगा। ❖ **डेटा संचार:** डेटा संचार के लिए उच्च गति वाले **ऑप्टिकल लिंक (फ्री-स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन)** का प्रयोग किया जाएगा, जो उपग्रहों और पृथ्वी के बीच टेराबिट्स प्रति सेकंड की गति से संचार को सक्षम करेगा। ❖ **तैनाती की पद्धति:** उपग्रहों को एक विशेष डिज़ाइन के माध्यम से सघन क्लस्टरिंग में (आपस में कुछ सौ मीटर की दूरी पर) तैनात किया जाएगा। ❖ **संभावित समयरेखा:** ➢ **2027:** हार्डवेयर और संचार प्रणालियों के परीक्षण हेतु प्रोटोटाइप लॉन्च की योजना। ➢ **2030 के मध्य तक:** लॉन्च की गिरती कीमतों (अनुमानित $\sim$200/किलोग्राम) के कारण लागत-व्यवहार्यता प्राप्त होने की उम्मीद।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

Topic 4 - क्वांटम इकोज़ एल्गोरिदम (Quantum Echoes Algorithm)	
Syllabus	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | क्वांटम प्रौद्योगिकी
संदर्भ	गूगल के क्वांटम प्रोसेसर **"विलो (Willow)"** ने **क्वांटम इकोज़ एल्गोरिदम** के माध्यम से **प्रमाणित क्वांटम सर्वोच्चता (Verifiable Quantum Advantage)** प्राप्त की है - जो विश्व के शीर्ष सुपरकंप्यूटरों की तुलना में **13,000 गुना तेज़ प्रदर्शन** करता है।
क्वांटम इकोज़ एल्गोरिदम के बारे में	❖ **विकासकर्ता:** गूगल क्वांटम एआई एवं सहयोगी टीम द्वारा ❖ **मुख्य अवधारणा: आउट-ऑफ-टाइम-ऑर्डर कोरिलेटर्स (OTOC)** पर आधारित - यह अध्ययन करता है कि क्वांटम प्रणालियों में सूचना कैसे फैलती है, उलझती है (scrambles) और समय के साथ पुनर्गठित होती है। ❖ **उद्देश्य:** यह **"समय-व्युत्क्रम प्रयोग (Time-Reversal Experiment)"** की तरह कार्य करता है, जो छिपी हुई क्वांटम अंतःक्रियाओं का पता लगाता है और क्वांटम सर्वोच्चता को प्रमाणित करता है।
कार्यप्रणाली	❖ एक **क्वांटम सिग्नल** को **क्यूबिट्स** के माध्यम से भेजा जाता है → इसे समय के साथ विकसित होने दिया जाता है → फिर **समय को उलटकर** "इको" उत्पन्न किया जाता है। ❖ प्रक्रिया के मध्य में एक **सूक्ष्म व्यवधान (Perturbation)** जोड़ा जाता है ताकि देखा जा सके कि सूचना स्वयं को कैसे पुनर्गठित करती है। ❖ उत्पन्न **इको इंटरफेरेंस (Echo Interference)** यह प्रमाणित करता है कि परिणाम वास्तविक **क्वांटम प्रभावों (Quantum Effects)** के कारण हैं, जिन्हें पारंपरिक कंप्यूटरों द्वारा दोहराया नहीं जा सकता।
अनुप्रयोग	❖ **औषधि खोज:** आणविक प्रतिक्रियाओं और औषधि–लक्ष्य (Drug–Target) व्यवहार का सटीक अनुकरण। ❖ **सामग्री विज्ञान:** सुपरकंडक्टर, क्वांटम चिप्स और स्मार्ट पॉलिमर के डिजाइन में उपयोग। ❖ **रासायनिक संरचना विश्लेषण: NMR तकनीकों** में प्रगति - अति-सटीक आणविक मानचित्रण हेतु। ❖ **मौलिक भौतिकी:** क्वांटम अराजकता (Quantum Chaos), उलझाव (Entanglement) एवं जटिल प्रणालियों में सूचना प्रवाह का अध्ययन।

Topic 5 - क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन (QKD) नेटवर्क	
Syllabus	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | क्वांटम प्रौद्योगिकी
संदर्भ	भारत ने 500 किमी लंबी क्वांटम-सुरक्षित संचार लिंक का सफल प्रदर्शन करके क्वांटम कम्युनिकेशन क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।
QKD क्या है?	❖ क्वांटम की वितरण एक अत्यंत **सुरक्षित संचार तकनीक** है, जो **क्वांटम यांत्रिकी** के सिद्धांतों का उपयोग कर दो पक्षों के बीच एन्क्रिप्शन की (Encryption Key) को सुरक्षित रूप से उत्पन्न व साझा करती है। ❖ यदि कोई तीसरा पक्ष (ईव्सड्रॉपर) फोटॉनों को मापने या उनमें हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है, तो उनकी क्वांटम अवस्था (Quantum State) बदल जाती है। इससे घुसपैठ/निगरानी का तुरंत पता चल जाता है। ❖ **मुख्य सिद्धांत:** QKD की सुरक्षा भौतिकी के मौलिक नियमों पर आधारित है: ➢ **हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत (ऑब्जर्वर प्रभाव):** किसी क्वांटम स्थिति (जैसे फोटॉन की ध्रुवण स्थिति) को मापने की क्रिया उसकी अवस्था को अनिवार्य रूप से बदल देती है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	➢ **नो-क्लोनिंग प्रमेय:** किसी अज्ञात क्वांटम अवस्था की पूर्णत: समान प्रतिलिपि (Perfect Copy) बनाना असंभव है।
QKD कैसे काम करता है?	❖ यादृच्छिक क्वांटम अवस्थाओं वाले फोटॉन ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से क्यूबिट्स के रूप में यात्रा करते हैं। ❖ मापन या छेड़छाड़ इन क्वांटम अवस्थाओं को बदल देती है → घुसपैठ का पता चलता है। ❖ त्रुटि सुधार (Error Correction) और गोपनीयता प्रवर्धन (Privacy Amplification) के बाद दोनों पक्ष एक गुप्त एन्क्रिप्शन कुंजी साझा करते हैं।
QKD प्रोटोकॉल के प्रकार	❖ **तैयारी और मापन (जैसे BB84 प्रोटोकॉल)** ➢ फोटॉन ध्रुवीकरण का उपयोग कर कुंजियाँ उत्पन्न करता है। ➢ क्वांटम व्यवधानों के माध्यम से जासूसी का पता चलता है। ❖ **एंटेंगलमेंट-आधारित QKD** ➢ इसमें संलिप्त फोटॉन युग्म (Entangled Photon Pairs) का उपयोग किया जाता है। ➢ किसी भी व्यवधान का तुरंत पता चलता है। ❖ **DV-QKD (डिस्क्रीट वेरिएबल)**: फोटॉन डिटेक्टरों का उपयोग कर विविक्त अवस्थाओं को पढ़ता है। ❖ **CV-QKD (कंटिन्यूअस वेरिएबल)**: लेजर प्रकाश की आयाम एवं फेज में डेटा एन्कोड करता है।
प्रमुख विशेषताएँ	❖ **नेटवर्क:** 500 किमी लंबी क्वांटम-सुरक्षित लिंक, जिसे मौजूदा ऑप्टिकल फाइबर अवसंरचना पर बनाया गया है। ❖ **विकास:** यह तकनीक **क्यूएनयू लैब्स, बेंगलुरु** (QNu Labs) द्वारा विकसित की गई है और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के समर्थन से पूरी हुई। ❖ **सुरक्षा संरचना:** ➢ एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को सक्षम करने के लिए **विश्वसनीय नोड्स (Trusted Nodes)** का उपयोग। ➢ उन्नत हार्डवेयर साइबर सुरक्षा हेतु **क्वांटम सुरक्षा कवच** का प्रयोग। ➢ अधिकतम क्रिप्टोग्राफिक शक्ति सुनिश्चित करने के लिए **क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर (QSIP)** का एकीकरण। ❖ **रणनीतिक महत्व:** इस परियोजना में नागरिक–सैन्य सहयोग के **"STRIDE मॉडल"** का पालन किया गया है, जो इसे राष्ट्रीय सुरक्षा उपयोगों के लिए सहायक बनाता है। ❖ **वैश्विक स्थिति:** यह उपलब्धि भारत को क्वांटम-सुरक्षित संचार और तत्परता में अग्रणी देशों की श्रेणी में स्थापित करती है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

Topic 6 - क्या भारत को पोषण में रूपान्तरण की आवश्यकता है?

Syllabus	विज्ञान | स्वास्थ्य
संदर्भ	भारत खाद्य सुरक्षा से आगे बढ़कर पोषण सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसका कारण कुपोषण, प्रोटीन की कम खपत और बढ़ती जीवनशैली-जनित बीमारियाँ हैं, जिनके समाधान के लिए जैव-प्रौद्योगिकी आधारित, पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है।
कार्यात्मक खाद्य पदार्थ (Functional Foods)	❖ **अर्थ:** वे खाद्य पदार्थ जो मूल पोषण से अधिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। इनमें **जैव सक्रिय** (बायोएक्टिव) यौगिक (जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोबायोटिक्स, ओमेगा-3) होते हैं या इन्हें विटामिन/खनिजों से सुदृढ़ (फोर्टिफाइड) किया जाता है ताकि रोगों की रोकथाम और विशिष्ट स्वास्थ्य लाभ मिल सकें। ❖ **प्रौद्योगिकियाँ:** न्यूट्रिजेनोमिक्स (पोषण जीन के साथ किस प्रकार अंतःक्रिया करता है, इसका अध्ययन), जैव-सुदृढ़ीकरण (Biofortification), जैव-प्रसंस्करण, 3D फूड प्रिंटिंग। ❖ **भारतीय उदाहरण:** ➢ जिंक-समृद्ध चावल (भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित), ➢ आयरन-समृद्ध बाजरा (अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान - ICRISAT द्वारा विकसित), और ➢ टाटा, आईटीसी, मैरिको जैसे ब्रांडों द्वारा फोर्टिफाइड अनाज।
स्मार्ट प्रोटीन (Smart Proteins)	➢ **अर्थ:** पारंपरिक मांस, दुग्ध और अंडों के टिकाऊ, जैव-प्रौद्योगिकी आधारित विकल्प। ➢ **प्रकार:** ➢ **प्लांट-बेस्ड (पौधों पर आधारित):** सोया, मटर और मूँग जैसे स्रोतों से प्राप्त होते हैं। ➢ **फर्मेंटेशन-आधारित (किण्वन पर आधारित):** प्रिसीजन फर्मेंटेशन की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित प्रोटीन। ➢ **संवर्धित मांस (Cultivated Meat):** इसे प्रयोगशाला में पशु कोशिकाओं से उगाया जाता है। ❖ **भारत का पारिस्थितिकी तंत्र:** ➢ 70 से अधिक स्टार्टअप (गुडडॉट, ब्लू ट्राइब, इवो फ़ूड्स), ➢ वैकल्पिक प्रोटीन के लिए DBT–BIRAC से वित्तीय समर्थन, ➢ CCMB को संवर्धित मांस अनुसंधान हेतु ₹4.5 करोड़ का अनुदान।
पोषण में रूपांतरण क्यों आवश्यक है?	❖ **कुपोषण की उच्च दर:** बच्चों में ठिगनापन (35%) और महिलाओं में एनीमिया (57%)। ❖ **प्रोटीन की कमी:** औसत दैनिक सेवन (47 ग्राम) आवश्यक स्तर (60 ग्राम) से काफी कम है। ❖ **बदलती उपभोक्ता माँग:** कार्यात्मक खाद्य पदार्थों का बाज़ार तेज़ी से बढ़ रहा है। ❖ **पर्यावरणीय चिंताएँ:** पशुपालन वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 5% का योगदान करता है। ❖ **आर्थिक बोझ:** कुपोषण के कारण देश को अनुमानित $12 अरब की वार्षिक आर्थिक हानि।
वैश्विक अनुभव	❖ **सिंगापुर** ने 2020 में संवर्धित चिकन को मंज़ूरी दी; ❖ **यूरोपीय संघ** की फ़ार्म टू फोर्क (Farm to Fork) रणनीति टिकाऊ प्रोटीन का समर्थन करती है।
महत्व	❖ **स्वास्थ्य:** 'छिपी भूख' से लड़कर प्रतिरक्षा प्रणाली को मज़बूत करता है। ❖ **अर्थव्यवस्था:** भारत को $85–240 अरब के वैश्विक वैकल्पिक प्रोटीन बाज़ार में स्थापित करने का अवसर। ❖ **सततता:** प्राकृतिक संसाधनों (उत्सर्जन, भूमि और जल) पर निर्भरता को कम करता है। ❖ **समानता:** ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण पोषण तक पहुँच सुनिश्चित करता है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

आगे की राह (रणनीति)	❖ कार्यात्मक और नवीन खाद्य पदार्थों के लिए **स्पष्ट FSSAI नियामक ढाँचा** स्थापित करना। ❖ स्वास्थ्य, कृषि और जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में **समन्वित नीति-निर्माण** सुनिश्चित करना। ❖ पोषण प्रौद्योगिकी को सुलभ बनाने हेतु **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)** को बढ़ावा देना। ❖ स्मार्ट प्रोटीन के प्रति **जन-जागरूकता और स्वीकार्यता** बढ़ाना। ❖ किसानों को जैव-सुदृढ़ीकरण और वैकल्पिक प्रोटीन मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल होने हेतु **प्रशिक्षित** करना।
निष्कर्ष	भारत को जैव-प्रौद्योगिकी, सुदृढ़ित खाद्य पदार्थों और स्मार्ट प्रोटीन द्वारा संचालित एक **गुणवत्ता-केंद्रित पोषण क्रांति** की आवश्यकता है। एक समावेशी, विज्ञान-आधारित दृष्टिकोण राष्ट्रीय स्तर पर पोषणीय कल्याण सुनिश्चित करेगा और भारत को वैश्विक स्तर पर टिकाऊ खाद्य नवाचार में अग्रणी बनाएगा।

Topic 7 - बिरसा 101 जीन थैरेपी (BIRSA 101 Gene Therapy)

Syllabus	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | जैव-प्रौद्योगिकी
संदर्भ	भारत ने **सिकल सेल रोग** (Sickle Cell Disease – SCD) के लिए अपनी **पहली CRISPR आधारित जीन थेरेपी** - बिरसा 101 (BIRSA 101) - लॉन्च की है। यह पहल सस्ती जीनोमिक चिकित्सा के क्षेत्र में भारत की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
बिरसा 101 क्या है?	❖ भारत की पहली CRISPR जीन-संपादन थैरेपी, जो विशेष रूप से सिकल सेल रोग (SCD) के इलाज के लिए विकसित की गई है। ❖ **विकास और सहयोग:** इसका विकास CSIR–IGIB द्वारा किया गया है, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाएगा। ❖ **नामकरण:** इस थेरेपी का नामकरण बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में किया गया है। ❖ **महत्व:** यह पहल भारत के **सिकल सेल मुक्त 2047 मिशन** में एक महत्वपूर्ण कदम है।
उद्देश्य	❖ वैश्विक SCD थैरेपी (जिसकी लागत ₹20-25 करोड़ है) के मुकाबले एक सस्ता, स्वदेशी विकल्प प्रदान करना। ❖ भारत के अत्यधिक प्रभावित आदिवासी समुदायों तक **सस्ती, उपचारात्मक चिकित्सा** की पहुँच सुनिश्चित करना।
यह कैसे काम करता है?	❖ यह CRISPR जीन-एडिटिंग तकनीक का उपयोग करता है। ❖ यह उस आनुवंशिक उत्परिवर्तन (mutation) को ठीक करता है जिसके कारण लाल रक्त कोशिकाएं (RBCs) सिकल (हंसिया) के आकार की हो जाती हैं। ❖ संपादित स्टेम कोशिकाओं को रोगी के शरीर में वापस प्रविष्ट कराया जाता है, जिससे सामान्य हीमोग्लोबिन का उत्पादन शुरू हो जाता है। ❖ यह उपचार एक बार में, जीवन भर के लिए उपचारात्मक समाधान प्रदान करने की क्षमता रखता है।
महत्व	❖ **आत्मनिर्भरता:** यह पूरी तरह से स्वदेशी enFnCas9 CRISPR प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित है, जो 'आत्मनिर्भर भारत' की भावना को दर्शाता है। ❖ **वैश्विक स्थिति:** इस विकास के साथ, भारत जीन-एडिटिंग थैरेपी के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है। ❖ **लागत-प्रभावशीलता:** यह साबित करता है कि भारत वैश्विक लागत के एक छोटे से हिस्से पर विश्वस्तरीय जीन थैरेपी विकसित करने में सक्षम है। ❖ **सामाजिक प्रभाव:** गोंड, भील, मुंडा और संथाल जैसे आदिवासी समूहों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

Topic 8 - राष्ट्रीय प्रतिजैविक प्रतिरोध पर कार्य योजना 2.0 (NAP-AMR 2.0)

Syllabus	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | जैव प्रौद्योगिकी
संदर्भ	भारत सरकार ने **राष्ट्रीय प्रतिजैविक प्रतिरोध कार्य योजना 2.0** 2025–29 लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य प्रतिजैविक प्रतिरोध (AMR) की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए एकीकृत और समन्वित **"वन हेल्थ"** (One Health) दृष्टिकोण को लागू करना है। यह पहल मानव, पशु, कृषि एवं पर्यावरण क्षेत्रों में सामूहिक प्रयासों को एक मंच पर लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
NAP-AMR 2.0 क्या है?	❖ प्रतिजैविक प्रतिरोध (AMR) से निपटने के लिए यह एक पाँच वर्षीय राष्ट्रीय रणनीति (2025–29) है। ❖ यह पूर्ववर्ती **NAP-AMR 2017–21** का विस्तार है, जिसमें पिछली योजना की कमियों को दूर किया गया है। ❖ इसे **केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय** द्वारा लॉन्च किया गया है। ❖ **उद्देश्य** ➢ AMR के खिलाफ एक समन्वित, बहु-क्षेत्रीय प्रतिक्रिया स्थापित करना। ➢ प्रतिजैविक दवाओं के दुरुपयोग और अत्यधिक उपयोग को प्रभावी ढंग से कम करना। ➢ निगरानी, डायग्नोस्टिक्स, एंटीबायोटिक स्ट्यूवर्डशिप और संक्रमण नियंत्रण प्रणालियों को मज़बूत करना।
प्रमुख विशेषताएँ	❖ **वन हेल्थ दृष्टिकोण का एकीकरण:** मानव, पशु, पर्यावरण और खाद्य क्षेत्रों के बीच आवश्यक समन्वय स्थापित करना। ❖ **बहु-मंत्रालयी भागीदारी:** 20 से अधिक मंत्रालयों के लिए विशिष्ट कार्य योजनाएँ, जिनमें लक्ष्य, बजट और समयसीमा निर्धारित हैं। ❖ **AMR निगरानी को मज़बूत करना:** निगरानी प्रणाली को उन्नत करना और डायग्नोस्टिक तथा प्रयोगशाला नेटवर्क का विस्तार करना। ❖ **एंटीबायोटिक स्ट्यूवर्डशिप:** ➢ दवा के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। ➢ प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट का कार्यान्वयन। ➢ ओवर-द-काउंटर (OTC) एंटीबायोटिक बिक्री पर नियंत्रण। ❖ **जागरूकता और प्रशिक्षण:** जनसामान्य और स्वास्थ्य/पशु चिकित्सा पेशेवरों के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाना तथा उनके प्रशिक्षण को शामिल करना। ❖ **सख्त नियामक उपाय:** प्रतिजैविक दवाओं, कीटनाशकों और औषधीय अपशिष्ट के उपयोग एवं निस्तारण पर कड़े नियामक प्रावधान। ❖ **नवाचार को बढ़ावा:** इंडिया AMR इनोवेशन हब के माध्यम से नए डायग्नोस्टिक्स और तकनीकों के विकास को प्रोत्साहित करना।
महत्व	❖ **भारत में AMR के उच्च बोझ का समाधान:** यह योजना सर्जरी, कैंसर उपचार और सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं जैसी महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रक्रियाओं पर AMR के खतरे को कम करने में सहायक है। ❖ **वैश्विक प्रयासों में भागीदारी:** यह WHO के ग्लोबल एक्शन प्लान के अनुरूप है, जो वैश्विक AMR प्रयासों में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को मज़बूत करता है। ❖ **जवाबदेही मॉडल:** यह योजना प्रभावी समन्वय और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए **'सम्पूर्ण सरकार (Whole-of-government)' और 'सम्पूर्ण समाज (Whole-of-society)'** मॉडल को बढ़ावा देती है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

Topic 9 - अल्टरमैग्नेटिज़्म (Altermagnetism)

Syllabus	भौतिक विज्ञान
संदर्भ	अल्टरमैग्नेटिज़्म को इसकी स्पिन-आधारित इलेक्ट्रॉनिक विशेषताओं और भविष्य की तकनीकी संभावनाओं के कारण वैज्ञानिक समुदाय में अत्यधिक महत्व प्राप्त हो रहा है।
अल्टरमैग्नेटिज़्म के बारे में	❖ अल्टरमैग्नेटिज़्म चुंबकत्व (Magnetic Order) की हाल ही में पुष्टि की गई **तीसरी श्रेणी** है, जो **लौहचुम्बकत्व** (फेरोमैग्नेटिज़्म - मजबूत आंतरिक स्पिन ध्रुवण, स्पिन-विभाजित इलेक्ट्रॉनिक बैंड) और **प्रति लौह चुंबकत्व** (एंटीफेरोमैग्नेटिज़्म - शून्य बाह्य चुंबकीय आघूर्ण) की विशेषताओं को संयोजित करती है। ❖ यह चुंबकीय अवस्था उन परमाणु स्पिनों के वैकल्पिक विन्यास से उत्पन्न होती है, जो क्रिस्टल लैटिस की **घूर्णन** (Rotational) अथवा **प्रतिबिंब सममिति** (Mirror Symmetry) द्वारा नियंत्रित होती है।
प्रमुख विशेषताएँ	❖ **शून्य बाह्य चुंबकीय आघूर्ण:** विपरीत दिशा के स्पिन एक-दूसरे को रद्द कर देते हैं। ❖ **स्पिन-विभाजित इलेक्ट्रॉनिक बैंड्स:** विपरीत स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन अलग-अलग ऊर्जा स्तरों पर स्थित होते हैं। ❖ **सममिति-आधारित स्पिन व्यवस्था:** क्रिस्टल संरचना की सममिति द्वारा स्पिन्स का विन्यास नियंत्रित होता है। ❖ **अति तीव्र गतिकी:** पिको सेकंड स्तर पर स्विचिंग गति संभव है। 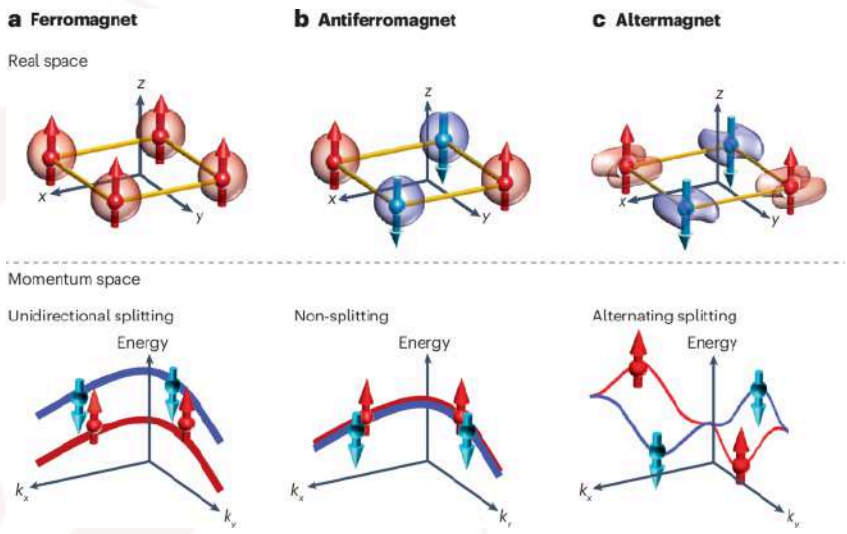 ❖ **सामग्री बहुविधता:** धातु, कुचालक और अर्धचालक सभी में पाया जाता है (उदाहरण: मैंगनीज टेलुराइड (MnTe) और रुथेनियम डाइऑक्साइड (RuO_2))।
अनुप्रयोग	❖ **स्पिन्ट्रॉनिक्स:** तेज़ और अधिक ऊर्जा-कुशल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में सहायक। ❖ **क्वांटम कंप्यूटिंग:** न्यून चुंबकीय शोर वाला वातावरण प्रदान करता है, जिससे क्यूबिट्स अधिक स्थिर होते हैं। ❖ **डेटा भंडारण:** न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ उच्च घनत्व वाले डाटा स्टोरेज सिस्टम का विकास संभव। ❖ **अति तीव्र प्रोसेसर:** टेरा हर्ट्ज-स्तर की स्विचिंग क्षमता का उपयोग अगली पीढ़ी के प्रोसेसरों में किया जा सकता है। ❖ **उन्नत सेंसर:** असामान्य हॉल प्रभाव (Anomalous Hall Effect) के माध्यम से चुंबकीय अवस्था का सटीक पता लगाने में सक्षम।
सीमाएँ	❖ दोष-रहित (Defect-free) अल्टरमैग्नेटिक पदार्थों का निर्माण अत्यंत कठिन। ❖ सामान्य मैग्नेटोमीटर (Magnetometers) इस चुंबकीय अवस्था का पता नहीं लगा सकते। ❖ डोमेन नियंत्रण और एकरूपता के कारण स्केलेबिलिटी की समस्या।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

Topic 10 - भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह	
Syllabus	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी
संदर्भ	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने **LVM3-M5 रॉकेट** के माध्यम से **CMS-03 (GSAT-7R)** - भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह (**4,410 किग्रा**) सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। यह भारत की **भारी उपग्रह प्रक्षेपण क्षमता में आत्मनिर्भरता** की दिशा में प्रमुख मील का पत्थर है।
CMS-03 (GSAT-7R) उपग्रह के बारे में	❖ **प्रकार**: **मल्टी-बैंड** (UHF, S, C, एवं Ku-बैंड) तथा **मल्टी-मिशन** संचार उपग्रह। ❖ **वजन**: **4,410 किलोग्राम** – यह भारत की भूमि से प्रक्षेपित किया गया अब तक का सबसे भारी उपग्रह है। ❖ **कक्षा** (Orbit): जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO) – 29,970 किमी × 170 किमी। ❖ **कवरेज क्षेत्र**: भारतीय उपमहाद्वीप एवं आस-पास का महासागरीय क्षेत्र। ❖ **उद्देश्य:** ➢ उच्च-बैंडविड्थ, सुरक्षित संचार ➢ रक्षा एवं रणनीतिक उपयोग हेतु एन्क्रिप्टेड डेटा रिले। ❖ **महत्व:** ➢ यह भारत से घरेलू रूप से प्रक्षेपित पहला 4,000 किलोग्राम से अधिक वजन वाला उपग्रह है। ➢ यह एरियनस्पेस/स्पेसएक्स जैसे विदेशी प्रक्षेपण वाहनों (जैसे पूर्व में जीसैट-11, जीसैट-20 के लिए प्रयुक्त) पर निर्भरता को समाप्त करता है। ➢ **इन-ऑर्बिट प्रयोग**: क्रायोजेनिक ऊपरी चरण के सफल पुनः प्रज्वलन (Re-ignition) के माध्यम से कक्षीय सटीकता प्राप्त की गई, जो भविष्य के गहन अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षमता है।
एलवीएम 3 (जीएसएलवी एमके III)-M5 – भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट (बाहुबली रॉकेट)	❖ भारत का **चौथी पीढ़ी** का प्रक्षेपण यान। ❖ **पेलोड क्षमता**: भूतुल्यकारी स्थानांतरित कक्षा (GTO): 4,000 किग्रा, निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO): 8000-10000 किग्रा ❖ चरण डिज़ाइन: **3 चरण** ➢ **S200 (ठोस बूस्टर):** प्रारंभिक प्रक्षेपण हेतु प्रथम थ्रस्ट प्रदान करता है। ➢ **L110 (तरल कोर चरण):** इसमें ट्विन विकास इंजन लगे हैं। ➢ **C25 (क्रायोजेनिक चरण):** यह सीई-20 इंजन द्वारा संचालित होता है, जिसमें तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग होता है। ❖ **स्वदेशी तकनीक:** पूरी तरह भारतीय निर्मित, जिसमें क्रायोजेनिक इंजन भी शामिल है। ❖ **सफलता रिकॉर्ड: 100% सफलता** दर - प्रमुख मिशन: **चंद्रयान-3 (2023)।**
CMS-03 मिशन का महत्व	❖ **आत्मनिर्भरता:** ➢ यह 4-टन से अधिक भार वाले उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए विदेशी निर्भरता को समाप्त करता है। ➢ इससे रणनीतिक और लागत-संबंधी स्वायत्तता (Strategic and Cost Autonomy) में वृद्धि होती है। ❖ **रणनीतिक संचार:** ➢ यह रक्षा, नौसेना और वायुसेना के लिए एक सुरक्षित, एन्क्रिप्टेड संचार नेटवर्क प्रदान करता है। ➢ यह हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में वास्तविक समय की परिस्थितिजन्य जागरूकता (Situational Awareness) को मज़बूत करता है। ❖ **भविष्य के मिशनों के लिए आधार:** ➢ लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल (LMLV) एवं अंतरिक्ष स्टेशन पेलोड के लिए आधार तैयार करता है। ➢ भविष्य के LEO (निम्न भू-कक्षा) मिशनों में 80,000 किग्रा तक की पेलोड क्षमता को सक्षम बनाता है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	❖ **मानव अंतरिक्ष उड़ान हेतु समर्थन**: गगनयान मानवीय अंतरिक्ष अभियान हेतु LVM3 की विश्वसनीयता सिद्ध।
निष्कर्ष	CMS-03 का प्रक्षेपण भारत की भारी उपग्रह प्रक्षेपण क्षमता में ऐतिहासिक प्रगति का प्रतीक है। यह न केवल रणनीतिक संचार एवं रक्षा तत्परता को सशक्त बनाता है, बल्कि भारत की प्रौद्योगिकीय स्वायत्तता को भी सुदृढ़ करता है - जो गगनयान एवं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष अभियानों की दिशा में निर्णायक कदम है।

Topic 11 - स्टारलिंक (Starlink)

Syllabus	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी
संदर्भ	**महाराष्ट्र**, भारत का **पहला राज्य** बन गया है जिसने सरकारी संस्थानों और दूरस्थ क्षेत्रों में उपग्रह-आधारित उच्च गति इंटरनेट प्रदान करने के लिए स्टारलिंक (Starlink) के साथ समझौता किया है। इस पहल का लक्ष्य डिजिटल समावेशन को सशक्त बनाना और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है।
स्टारलिंक क्या है?	❖ स्पेसएक्स के स्वामित्व वाली **उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड सेवा** जो निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) में स्थित हजारों उपग्रहों के माध्यम से उच्च गति और न्यून विलंबता (low latency) वाला इंटरनेट उपलब्ध कराती है।
साझेदारी का उद्देश्य	❖ दूरस्थ विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, ग्राम पंचायतों, आदिवासी क्षेत्रों और अन्य सरकारी संस्थानों को जोड़ना। ❖ ग्रामीण महाराष्ट्र में ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं की आपूर्ति को सक्षम बनाना।
स्टारलिंक कैसे काम करता है?	❖ पारंपरिक भू-स्थिर उपग्रह (GEO) (35,786 किमी) की तुलना में ~550 किमी ऊँचाई पर स्थित निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) उपग्रहों का उपयोग करता है। ❖ कम ऊँचाई → अति-न्यून विलंबता (~25 ms), जो वास्तविक समय अनुप्रयोगों के लिए आदर्श है। ❖ उपग्रह ऑप्टिकल इंटर-सैटेलाइट लिंक (ISLs) के माध्यम से जुड़े रहते हैं, जिससे डेटा का आदान-प्रदान सीधे उपग्रहों के बीच होता है, और ग्राउंड स्टेशनों पर निर्भरता घटती है।
प्रमुख विशेषताएँ	❖ **वैश्विक कवरेज:** हजारों LEO उपग्रहों का तारामंडल (Constellation) विश्वभर में, विशेषकर दूरस्थ और कठिन भूभागों में, निर्बाध इंटरनेट पहुंच सुनिश्चित करता है। ❖ **उच्च गति व न्यून विलंबता:** HD स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और गेमिंग को समर्थन। ❖ **एआई-आधारित टकराव से बचाव प्रणाली:** उपग्रह स्वचालित रूप से मार्ग बदलकर अंतरिक्ष मलबे से टकराव के जोखिम को कम करते हैं। ❖ **कॉम्पैक्ट फ्लैट-पैनल उपग्रह:** फाल्कन-9 रॉकेट्स से बड़े पैमाने पर तैनाती (Mass Deployment) के लिए डिज़ाइन किए गए। ❖ **ग्रामीण कनेक्टिविटी को प्राथमिकता:** उन क्षेत्रों को जोड़ने पर केंद्रित है जहाँ फाइबर नेटवर्क या मोबाइल टावर स्थापित करना व्यावहारिक नहीं है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

Topic 12 - सेंटिनल-6B उपग्रह	
Syllabus	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी
संदर्भ	सेंटिनल-6B एक अत्याधुनिक **महासागर-निगरानी उपग्रह** है, जिसे समुद्र-स्तर वृद्धि, महासागरीय गतिशीलता और जलवायु परिवर्तन के संकेतकों की वैश्विक निगरानी में सुधार के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उच्च-सटीकता वाली अल्टीमेट्री तकनीक का उपयोग करता है।
सेंटिनल-6B क्या है?	❖ सेंटिनल–6बी एक **उन्नत महासागरीय अल्टीमेट्री उपग्रह** है, जिसे **स्पेसएक्स** के **फाल्कन-9 रॉकेट** द्वारा प्रक्षेपित किया गया। ❖ यह एक **अंतरराष्ट्रीय संयुक्त मिशन** है, जिसमें **NASA, NOAA, ESA, Eumetsat, और यूरोपीय आयोग** शामिल हैं, साथ ही **CNES** (फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी) भी इसमें सहयोग कर रही है। ❖ **उद्देश्य:** इसका मुख्य लक्ष्य समुद्र की सतह की ऊँचाई, लहरें, हवाएँ और महासागरीय गतिशीलता को निरंतर और उच्च-सटीकता से मापना है। यह डेटा जलवायु पूर्वानुमान और तटीय योजना के लिए महत्वपूर्ण है।
प्रमुख विशेषताएँ	❖ **सटीकता और कवरेज:** यह 6 वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित है, जो वैश्विक महासागरों के 90% हिस्से पर समुद्र-स्तर को लगभग **1 इंच की सटीकता** से माप सकते हैं। ❖ **प्रमुख उपकरण:** ➢ **रेडार अल्टीमीटर:** समुद्र की सतह की ऊँचाई को मिलीमीटर स्तर की सटीकता से मापता है। ➢ **माइक्रोवेव रेडियोमीटर:** जलवाष्प के कारण होने वाली त्रुटियों को सुधारता है, जिससे अल्टीमेट्री रीडिंग की सटीकता बढ़ती है। ❖ **कक्षीय गति:** यह पृथ्वी की परिक्रमा लगभग **2 किमी/सेकंड** की गति से करता है और **112 मिनट** में एक चक्कर पूरा करता है। ❖ **दीर्घकालिक डेटा रिकॉर्ड:** सेंटिनल-6B, पूर्ववर्ती सफल मिशनों (जैसे टोपेक्स-पोसाइडन → जेसन-1/2/3 → सेंटिनल-6 माइकल फ्रेलिच) द्वारा स्थापित दीर्घकालिक अल्टीमेट्री डेटा रिकॉर्ड को आगे बढ़ाता है।
महत्व	❖ **जलवायु डेटा:** समुद्र सतह की ऊँचाई और समुद्र-स्तर वृद्धि के लिए वैश्विक संदर्भ डेटा प्रदान करता है। ❖ **मौसम पूर्वानुमान:** चक्रवात और बाढ़ मॉडलिंग सहित मौसम और तूफ़ान पूर्वानुमान प्रणालियों में सुधार करता है। ❖ **सामुद्रिक अनुप्रयोग:** समुद्री सुरक्षा, पनडुब्बी केबल संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन (Resilience) की योजना बनाने में सहायता करता है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

Topic 13 - आईएनएस इक्षक (INS Ikshak)

Syllabus	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | रक्षा प्रौद्योगिकी
संदर्भ	आईएनएस इक्षाकको नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह एक स्वदेशी रूप से निर्मित **सर्वेक्षण पोत (वृहद)** है, जो भारत की हाइड्रोग्राफिक मैपिंग, समुद्री सुरक्षा और रक्षा तत्परता को उन्नत महासागरीय सर्वेक्षण क्षमताओं के माध्यम से सशक्त बनाता है।
आईएनएस इक्षक क्या है?	❖ **स्वरूप**: यह गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), कोलकाता द्वारा निर्मित एक स्वदेशी हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत है (2018 के अनुबंध के अंतर्गत), जिसमें लगभग 80% स्वदेशी अवयव शामिल हैं। ❖ **तैनाती**: इसे **दक्षिणी नौसेना कमान** के अंतर्गत तटीय एवं गहरे समुद्री मानचित्रण के लिए तैनात किया गया है। ❖ **श्रेणी**: यह संध्याक (Sandhayak) श्रेणी सर्वेक्षण पोत (वृहद) श्रृंखला का तीसरा पोत है, जो आईएनएस संध्याक और आईएनएस निर्देशक के बाद आता है। ❖ **उद्देश्य / भूमिका** ➢ **समुद्री नौवहन**: सटीक जल-सर्वेक्षण और महासागरीय सर्वेक्षण करना। ➢ **आधारभूत संरचना विकास**: बंदरगाह विकास, नौसेना अभियानों तथा समुद्री क्षेत्र जागरूकता में सहयोग करना। ➢ **अर्थव्यवस्था को समर्थन**: समुद्र तल संसाधन मैपिंग के माध्यम से नीली अर्थव्यवस्था की परियोजनाओं को बढ़ावा देना। ➢ **आपदा राहत**: यह 40 बेड वाले अस्पताल पोत के रूप में कार्य करने की क्षमता रखता है और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR) अभियानों में उपयोगी है।
प्रमुख विशेषताएँ	❖ **सर्वेक्षण उपकरण**: मल्टी-बीम इको साउंडर, साइड-स्कैन सोनार। ❖ **एयूवी संचालन**: 1,000 मीटर गहराई तक एयूवी (AUV) संचालन क्षमता और 24 घंटे की सहनशक्ति। ❖ **आरओवी + नौकाएं**: आरओवी (ROV) और चार सर्वेक्षण मोटर बोट शामिल। ❖ **गति**: अधिकतम 18 नॉट्स। ❖ एसवीएल श्रेणी में पहला पोत जिसमें महिला अधिकारियों हेतु समर्पित आवास उपलब्ध हैं। ❖ **चार्टिंग**: राष्ट्रीय जल-सर्वेक्षण कार्यालय हेतु नौवहन चार्ट उत्पादन। ❖ **वैश्विक मिशन**: मॉरीशस, श्रीलंका, बांग्लादेश एवं म्यांमार हेतु सर्वेक्षण कार्य।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

Environment & Geography

Topic 1 - UNFCCC का 30वाँ कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ (COP30)

Topic	पर्यावरण | जलवायु परिवर्तन
संदर्भ	ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित 30वाँ संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP30) पेरिस समझौते के एक दशक पूरे होने का प्रतीक है। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य जलवायु संबंधी केवल वादों पर ध्यान केंद्रित न करते हुए, ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही, इसमें समानता और वैश्विक दक्षिण के देशों की प्राथमिकताओं को केंद्र में रखने पर विशेष ज़ोर दिया जाएगा।
COP30 क्या है?	❖ **क्या है:** यह UNFCCC के तत्वावधान में आयोजित होने वाला वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन है। ❖ यह पेरिस समझौते पर प्रगति का मूल्यांकन करने तथा भविष्य में उत्सर्जन में कमी लाने और जलवायु वित्त व्यवस्था पर बातचीत करने के लिए मंच के रूप में कार्य करता है। ❖ **आयोजन स्थल:** बेलें, ब्राज़ील (अमेज़न क्षेत्र)।
COP30 का उद्देश्य	❖ इसे "कार्यान्वयन COP" के रूप में नामित किया गया है। ❖ इसका प्राथमिक लक्ष्य वैश्विक जलवायु प्रतिज्ञाओं को मापनीय और समयबद्ध कार्यों में परिवर्तित करना है। ❖ इसका एक मूलभूत सिद्धांत सभी देशों के बीच निष्पक्ष और न्यायसंगत ज़िम्मेदारियों को सुनिश्चित करने के लिए साझा लेकिन विभेदित ज़िम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (CBDR-RC) को बनाए रखना है।
प्रमुख अपेक्षित परिणाम और पहलें	❖ **ग्लोबल स्टॉकटेक (GST)** ➢ पेरिस समझौते के बाद से वैश्विक जलवायु प्रगति की पहली पूर्ण समीक्षा। ➢ शमन (Mitigation), अनुकूलन (Adaptation) और वित्त में मौजूद कमियों की पहचान करना। ❖ **न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल (NCQG):** जलवायु वित्त के लक्ष्य को वर्तमान $100 अरब से बढ़ाकर 2035 तक **$300 अरब वार्षिक** करना। ❖ **ग्लोबल गोल ऑन एडाप्टेशन (GGA)** ➢ मापने योग्य और संख्यात्मक अनुकूलन लक्ष्यों का निर्धारण। ➢ जलवायु लचीलापन (Climate Resilience) के लिए समर्पित वित्तपोषण सुनिश्चित करना। ❖ **बाकू-टू-बेलेम क्लाइमेट फाइनेंस रोडमैप:** विकासशील देशों के लिए पूर्वानुमेय और दीर्घकालिक जलवायु वित्त का तंत्र स्थापित करना, जिसका लक्ष्य सार्वजनिक और निजी स्रोतों से **$1.3 ट्रिलियन/वर्ष** जुटाना है। ❖ **ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी (TFFF):** ब्राज़ील-नेतृत्व वाला मिश्रित-वित्त कोष जो विश्वभर में उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण हेतु देशों को प्रोत्साहन देता है। ❖ **जलवायु और जैव विविधता का संबंध:** वन, महासागर और मिट्टी की बहाली को कार्बन-उत्सर्जन घटाने (Carbon-reduction) के प्रयासों के साथ जोड़ना।
COP30 का महत्व	❖ यह पेरिस समझौते के 10 वर्ष पूरे होने का स्मरण कराता है और चर्चा का केंद्र केवल 'इरादों' से हटाकर 'ठोस कार्रवाइयों' पर लाता है। ❖ यह **ग्लोबल साउथ** के लिए आवश्यक वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता-निर्माण संसाधनों की आवश्यकता को प्रमुखता से उजागर करता है। ❖ यह ऊर्जा, उद्योग और परिवहन जैसे मुख्य क्षेत्रों में **न्यायपूर्ण संक्रमण (Just Transition)** की वकालत करता है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

Topic 2 - वैश्विक शीतलन निगरानी रिपोर्ट 2025	
Topic	पर्यावरण | जलवायु परिवर्तन
संदर्भ	**संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)** की **ग्लोबल कूलिंग वॉच 2025 रिपोर्ट** आगाह करती है कि 2050 तक शीतलन (Cooling) की मांग तीन गुना हो सकती है, जो जलवायु प्रगति को खतरे में डालेगी और ऊर्जा ग्रिड पर अत्यधिक दबाव डालेगी।
रिपोर्ट के बारे में	❖ **प्रकाशन:** यह दूसरी संस्करण रिपोर्ट (पहला 2023 में आया था) UNEP द्वारा नवंबर 2025 में COP30 (बेलें) में प्रकाशित की गई। ❖ **लक्ष्य:** यह वैश्विक आकलन भविष्य के शीतलन रुझानों का विश्लेषण करता है और लगभग-शून्य उत्सर्जन तथा समान पहुंच के लिए एक रोडमैप प्रस्तुत करता है। ❖ **महत्व:** यह रिपोर्ट **ग्लोबल कूलिंग प्लेज** के लिए वैज्ञानिक आधार का काम करती है, जिस पर 63 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं।
प्रमुख प्रवृत्तियाँ (2050 तक अनुमान)	❖ **मांग में वृद्धि:** शीतलन क्षमता 2.6 गुना बढ़कर (22 से 58 TW) हो सकती है, जिससे उत्सर्जन 10.5 बिलियन टन CO_2e तक पहुँच सकता है। ❖ **विकासशील देशों पर दबाव:** अनुच्छेद *5 (Article 5)* देशों में शीतलन मांग में चार गुना (4×) वृद्धि का अनुमान है। ❖ **ऊर्जा उपयोग:** बिजली का उपयोग 5,000 TWh से बढ़कर 18,000 TWh तक पहुँचने की उम्मीद है, जिससे ऊर्जा ग्रिड पर भारी बोझ पड़ेगा। ❖ **शमन की संभावनाएं और प्रतिबद्धता:** ➢ **पैसिव कूलिंग:** यह तकनीक ऊर्जा उपयोग को 15–55% तक कम कर सकती है और इनडोर तापमान को 8°C तक घटा सकती है। ➢ **HFC चरणबद्ध कमी:** हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) का पूर्ण चरणबद्ध कमीकरण वैश्विक तापमान वृद्धि को 0.4°C तक रोकने में सक्षम है। ➢ **वैश्विक प्रतिबद्धता: ग्लोबल कूलिंग प्लेज** पर 72 देशों और 80 संगठनों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसका लक्ष्य 2050 तक शीतलन उत्सर्जन में 68% की कटौती करना है। ❖ **प्रमुख चुनौतियाँ और सीमाएँ:** ➢ **शीतलन असमानता (Heat Inequality):** वर्तमान में 2 अरब से अधिक लोगों के पास किफायती और कुशल शीतलन समाधान तक पहुँच नहीं है। ➢ **वित्तीय अंतर:** अनुकूलन वित्त (Adaptation Finance) वैश्विक शीतलन आवश्यकताओं का केवल 20% ही पूरा करता है। ➢ **नीतिगत समस्याएँ:** राष्ट्रीय नीतियाँ प्रमुख क्षेत्रों में असंगत और बिखरी हुई हैं। ➢ **ऊर्जा निर्भरता:** बिजली उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधनों पर निरंतर निर्भरता बनी हुई है।
UNEP की प्रमुख सिफारिशें	❖ **सतत शीतलन मार्ग:** पैसिव बिल्डिंग डिज़ाइन, उच्च दक्षता वाले उपकरण और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाना। ❖ **किगाली संशोधन:** इसका तेजी से कार्यान्वयन और रेफ्रिजरेंट की पूर्ण रिकवरी सुनिश्चित करना। ❖ **ग्रीन फाइनेंस का विस्तार:** पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP), रियायती ऋण, और क्लाइमेट बॉन्ड्स के माध्यम से। ❖ **मानक अनिवार्य करना:** भवनों और शहरी नियोजन में पैसिव कूलिंग मानकों को अनिवार्य करना। ❖ **सब्सिडी और पहुंच:** कमजोर समूहों को समान शीतलन पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी प्रदान करना।
निष्कर्ष	रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि अनियंत्रित शीतलन मांग एक बड़ा जलवायु जोखिम बन जाएगी। तेज़, व्यापक, कुशल और समान-पहुँच वाली कम-उत्सर्जन शीतलन प्रणालियों को अपनाना अनिवार्य है। UNEP द्वारा सुझाया गया मार्ग भविष्य के उत्सर्जन को नियंत्रित करने और अत्यधिक गर्मी के प्रति लचीला विश्व बनाने की एक स्पष्ट रणनीति प्रदान करता है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

Topic 3 - वैश्विक मीथेन स्थिति रिपोर्ट 2025	
Topic	पर्यावरण | जलवायु परिवर्तन
संदर्भ	वैश्विक मीथेन स्थिति रिपोर्ट 2025 में पाया गया कि **ग्लोबल मीथेन प्रतिज्ञा** (GMP) से मीथेन उत्सर्जन वृद्धि की गति धीमी हुई है, परंतु यह कदम 2030 के उत्सर्जन कमी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त है।
प्रमुख निष्कर्ष	❖ **उत्सर्जन अनुमान (CLE परिदृश्य):** यदि वर्तमान नीतियाँ जारी रहती हैं (CLE), तो 2030 तक मीथेन उत्सर्जन 369 मिलियन टन (Mt) तक पहुँचने का अनुमान है, जो 2021 की आधाररेखा से केवल 4% कम है। ❖ **महत्वाकांक्षा में अंतर:** वर्तमान राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) और मीथेन कार्य योजनाएँ 2030 तक केवल 8% की कमी दर्शाती हैं, जबकि GMP का लक्ष्य 30% कमी का है। ❖ **भौगोलिक जिम्मेदारी:** G20+ देश वैश्विक मीथेन उत्सर्जन में 65% और शमन की कुल क्षमता में 72% का योगदान करते हैं। ❖ **नीतिगत स्थिति:** 127 देशों ने अपने NDCs में मीथेन शमन को शामिल किया है, लेकिन केवल 6 देशों के लक्ष्य GMP के 30% कमी के लक्ष्य के समान हैं।
मीथेन के मुख्य स्रोत (कुल उत्सर्जन का प्रतिशत | मात्रा)	❖ **कृषि (42% | 146 Mt):** पशुधन (76% योगदान), धान (21% योगदान)। ❖ **ऊर्जा (38% | 135 Mt):** तेल एवं गैस (64 Mt अपस्ट्रीम, 17 Mt डाउनस्ट्रीम), कोयला खनन (43 Mt)। ❖ **कचरा (20% | 71 Mt):** लैंडफिल (37 Mt), अपशिष्ट जल (30 Mt)।
वैश्विक प्रभाव	❖ **स्वास्थ्य और उत्पादकता पर असर:** 'व्यवसाय-यथावत (CLE)' परिदृश्य के तहत 2030 तक अनुमानित नुकसान: ➢ 24,000 समयपूर्व मौतें ➢ 2.5 मिलियन टन (Mt) फसल हानि ➢ 6.9 मिलियन श्रम घंटों का नुकसान ❖ **क्षेत्रीय असमानता:** गैर-G20+ देशों में उत्सर्जन 2030 तक 16% और 2050 तक 53% बढ़ने की आशंका है। ❖ **डेटा की विश्वसनीयता:** जीवाश्म ईंधन क्षेत्र में उत्सर्जन की कम रिपोर्टिंग एक गंभीर चुनौती है; वास्तविक उत्सर्जन अक्सर आधिकारिक आँकड़ों से दोगुना होता है। ❖ **स्थायी उत्सर्जन (Locked-in Emissions):** कचरे से उत्पन्न मीथेन दशकों तक वायुमंडल में बनी रहती है, इसलिए तत्काल शमन कार्रवाई अनिवार्य है। ❖ **वित्तीय अंतर (Financial Gap):** मीथेन ट्रैक एंड रिडक्शन (MTFR) के लिए $127 अरब प्रति वर्ष की आवश्यकता है, जबकि वर्तमान में ट्रैक की गई वित्तीय सहायता केवल $13.7 अरब प्रति वर्ष है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

Topic 4 - क्लाउड-सीडिंग (Cloud-Seeding)

Topic	पर्यावरण | प्रदूषण
संदर्भ	**दिल्ली** सरकार ने **कृत्रिम वर्षा** के लिए **क्लाउड-सीडिंग परीक्षण** किए। हालांकि, वर्षा बहुत कम हुई, जिससे इस तकनीक की **प्रदूषण नियंत्रण में प्रभावशीलता** पर प्रश्न उठे।
क्लाउड-सीडिंग क्या है?	❖ **परिभाषा:** क्लाउड सीडिंग एक **मौसम संशोधन तकनीक (Weather Modification Technique)** है, जिसमें बादलों में **कृत्रिम "बीज" कणों** को छोड़ा जाता है ताकि बारिश को बढ़ाया जा सके। ❖ **उद्गम:** इसका पहला परीक्षण **1940 के दशक** में वैश्विक स्तर पर हुआ था। ❖ **कार्य सिद्धांत:** ➢ **संघनन या हिम नाभिक (Condensation/Ice Nuclei)** जैसे: **सिल्वर आयोडाइड, नमक** को बादलों में फैलाया जाता है। ➢ ये नाभिक **जल वाष्प को आकर्षित** करते हैं, जिससे **बूंदें बनती** है और आपस में **जुड़कर बड़ी** होती हैं, और अंततः वर्षा के रूप में गिरती हैं। ❖ विधियाँ: **विमान, ड्रोन, रॉकेट**, या **भू-आधारित फ्लेयर्स** द्वारा।
सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ	❖ **आर्द्रता (Humidity):** न्यूनतम **50% या उससे अधिक**। ❖ **बादल का प्रकार:** पर्याप्त **गहराई और नमी** होना आवश्यक। ❖ **तापमान:** ठंडा वातावरण और बादलों के भीतर **सक्रिय संघनन** की स्थिति होनी चाहिए। ❖ **दिल्ली की चुनौती:** ➢ शीतकालीन बादल **पश्चिमी विक्षोभों (Western Disturbances)** पर निर्भर होते हैं - जो अक्सर **उथले और नमी रहित** होते हैं। ➢ वर्तमान **आर्द्रता: 15–20%**, जो **वर्षा निर्माण** के लिए **बहुत कम** है।
पर्यावरणीय चिंताएँ	❖ **रसायन: सिल्वर आयोडाइड (AgI)** - प्रभावी लेकिन **अधिक मात्रा में विषाक्त**। ❖ **जोखिम: 0.2 माइक्रोग्राम** की सांद्रता पर भी **जलीय जीवन को नुकसान** पहुँचा सकता है। ❖ **टिप्पणी:** AgI में **आयोडीन विषाक्त नहीं माना जाता**, लेकिन **दीर्घकालिक प्रभाव अनिश्चित** हैं।
प्रदूषण स्तर पर प्रभाव	❖ **कम वर्षा** के बावजूद **वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार** देखा गया: ➢ **PM2.5:** 221–230 → घटकर 203–207 ➢ **PM10:** 206–209 → घटकर 163–177 ❖ यह दिखाता है कि मामूली बारिश भी कण पदार्थों को अस्थायी रूप से कम कर सकती है।
चुनौतियाँ एवं सीमाएँ	❖ परीक्षण के समय **बादल आधार (Cloud Base): ~10,000 फीट** - जो **सीडिंग के लिए बहुत ऊँचा** है (आदर्श: <5,000 फीट)। ❖ **समय, बादल प्रकार और नमी** पर अत्यधिक निर्भर। ❖ **WMO (विश्व मौसम संगठन)** का मत: बारिश पर क्लाउड सीडिंग के सटीक प्रभाव का मापन कठिन है।
व्यापक परिप्रेक्ष्य	❖ क्लाउड-सीडिंग **अल्पकालिक राहत** प्रदान करता है - जैसे **स्मॉग टावर या एंटी-स्मॉग गन।** ❖ **दीर्घकालिक** वायु गुणवत्ता **सुधार** के लिए निम्न आवश्यक हैं: ➢ **स्रोत पर उत्सर्जन नियंत्रण** (परिवहन, उद्योग, निर्माण) ➢ **क्षेत्रीय समन्वय** - **एयरशेड आधारित दृष्टिकोण** अपनाना।
निष्कर्ष	दिल्ली का क्लाउड-सीडिंग प्रयोग **महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि** प्रदान करता है, लेकिन सीमित बारिश हुई। यह **प्रदूषण को अस्थायी रूप से कम** कर सकता है, परंतु **टिकाऊ वायु गुणवत्ता सुधार** के लिए **प्रणालीगत उत्सर्जन कटौती** और **राज्य-स्तरीय सहयोग** आवश्यक है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

Topic 5 - यूएनईपी अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2025 – "रनिंग ऑन एम्प्टी"

Syllabus	पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन
संदर्भ	संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2025 के अनुसार, विकासशील देशों के लिए जलवायु अनुकूलन के वित्तपोषण में गंभीर कमी आई है। इस बढ़ते वित्तीय अंतराल के कारण, COP30 तक निर्धारित वैश्विक लचीलापन लक्ष्य (Global Resilience Goal) खतरे में पड़ गया है।
अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट के बारे में	❖ **प्रकाशक: UNEP–कोपेनहेगन जलवायु केंद्र** द्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रमुख रिपोर्ट। ❖ **उद्देश्य:** जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (योजना, कार्यान्वयन और वित्त) में विश्वव्यापी प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन करना। ❖ **लक्ष्य:** जलवायु प्रभावों से निपटने की वैश्विक तैयारी का आकलन करना और वित्तीय अंतराल को मापना। ❖ **प्रासंगिकता:** यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) और COP30 (ब्राजील) के तहत होने वाली वैश्विक वार्ताओं के लिए आधार प्रदान करती है।
प्रमुख निष्कर्ष (वैश्विक)	❖ **वित्तीय अंतराल:** ➢ **आवश्यकता:** विकासशील देशों को वर्ष **2035 तक** जलवायु अनुकूलन के लिए प्रतिवर्ष **$310–365 बिलियन डॉलर** की आवश्यकता है। ➢ **वर्तमान वित्तीय प्रवाह (2023):** वर्तमान में केवल **$26 बिलियन** का वित्तीय प्रवाह हो रहा है, जो आवश्यक राशि का मात्र **1/12वाँ** हिस्सा है। ❖ **प्रतिबद्धताओं में गिरावट:** अनुकूलन वित्तपोषण 2022 के $28 बिलियन से घटकर 2023 में $26 बिलियन हो गया है → यह गिरावट **ग्लासगो संधि (Glasgow Pact)** के तहत 2025 तक अनुकूलन वित्त को दोगुना करने के लक्ष्य के विफल होने की संभावना को दर्शाती है। ❖ **ऋण-आधारित वित्तपोषण:** अनुकूलन वित्त का **58% हिस्सा** ऋण (Loans) के रूप में प्रदान किया जा रहा है। इनमें से अधिकांश ऋण गैर-रियायती होते हैं, जिससे विकासशील देशों के लिए **"अनुकूलन ऋण जाल (Adaptation Debt Traps)"** का जोखिम उत्पन्न होता है। ❖ **योजनागत प्रगति:** 172 देशों ने कम से कम एक राष्ट्रीय अनुकूलन योजना (NAP) विकसित की है। हालांकि, इनमें से 36 योजनाएं या तो अप्रासंगिक हैं या पुरानी हो चुकी हैं। ❖ **निजी क्षेत्र की भूमिका:** निजी क्षेत्र का वर्तमान योगदान लगभग **$5 बिलियन डॉलर** है। नीतिगत समर्थन मिलने पर निजी क्षेत्र की संभावित वार्षिक क्षमता **$50 बिलियन डॉलर** तक पहुँच सकती है। ❖ **बाकू–बेलेम रोडमैप:** यह रोडमैप जलवायु वित्तपोषण के लिए **$1.3 ट्रिलियन प्रतिवर्ष** का लक्ष्य निर्धारित करता है, जिसमें **अनुदान (Grants) और गैर-ऋण साधनों** के माध्यम से वित्तपोषण पर विशेष जोर दिया गया है।
भारत और अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट	❖ **नीतिगत संरेखण:** भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (**NAPCC**) और राज्य कार्य योजनाएँ (**SAPCC**) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की अनुकूलन प्राथमिकताओं के साथ पूर्णतः संरेखित हैं।

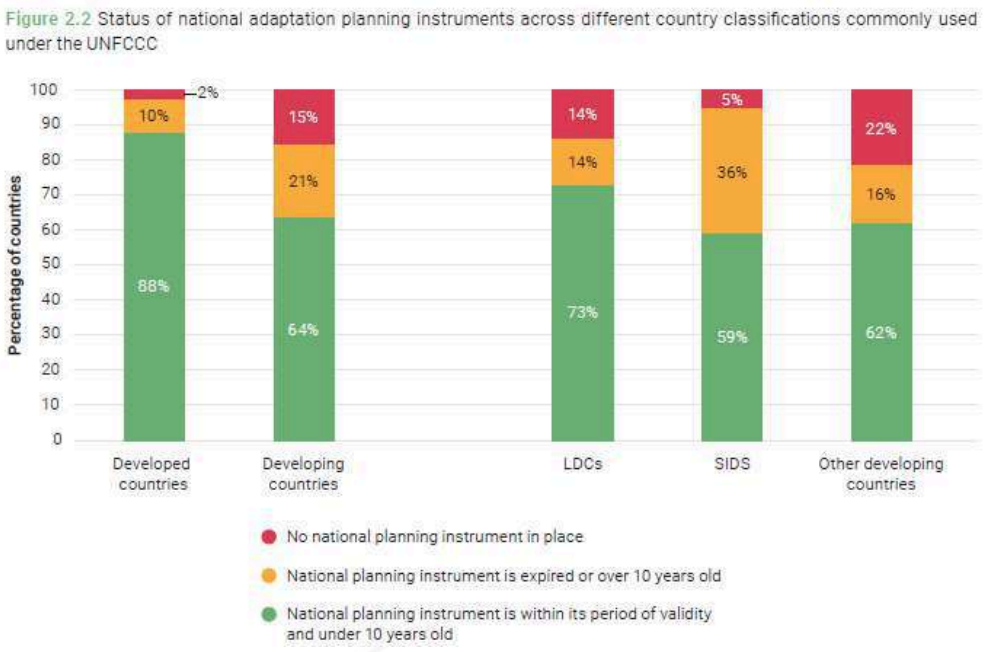

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	❖ **संवेदनशीलता:** बढ़ती हीटवेव (लू), व्यापक बाढ़, और हिमनदों के पिघलने जैसे जलवायु प्रभाव भारत में अनुकूलन निवेश की तात्कालिक आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। ❖ **नेतृत्व:** अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), मिशन लाइफ (**L**ifestyle **f**or **E**nvironment), और G20 की अध्यक्षता (2023) के माध्यम से भारत ने वैश्विक जलवायु कूटनीति में अपनी नेतृत्व क्षमता को मजबूत किया है। ❖ **वित्तीय चुनौती:** अनुकूलन प्रयासों का विस्तार करने के लिए अधिक वैश्विक भागीदारी एवं रियायती वित्त तक पहुँच आवश्यक है।
अब तक की प्रगति	❖ **वैश्विक नीति कवरेज:** 172 देशों के पास अब अनुकूलन योजनाएँ हैं, जो वैश्विक स्तर पर इसकी लगभग सार्वभौमिक मान्यता को दर्शाती हैं। ❖ **वित्त पोषण में उल्लेखनीय वृद्धि:** संयुक्त राष्ट्र जलवायु कोषों (GCF, GEF, AF) द्वारा 2024 में **US$920 मिलियन** का वितरण किया गया, जो पिछले 5 वर्षों के औसत से **86% अधिक** है। ❖ **मुख्यधारा में एकीकरण:** अनुकूलन उपायों को राष्ट्रीय विकास एवं वित्तीय नीतियों में सम्मिलित किया जा रहा है, विशेषकर छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों (SIDS) एवं अल्पविकसित देशों (LDCs) हेतु।
आगे की राह	❖ **वित्तपोषण रणनीति में बदलाव:** अनुकूलन हेतु वित्तीय सहायता को **ऋण-आधारित मॉडल** से **अनुदान-आधारित या रियायती वित्तपोषण** मॉडल में परिवर्तित करना। ❖ **निजी पूंजी जुटाना:** प्रतिवर्ष **$50 बिलियन** की आवश्यक राशि सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) और मिश्रित वित्त जैसे तंत्रों के माध्यम से निजी पूंजी का लाभ उठाना। ❖ **अनुकूलन मीट्रिक का समावेश:** वित्त और बीमा प्रणालियों में अनुकूलन मीट्रिक को एकीकृत करना ताकि लचीलेपन के स्तर का मूल्यांकन किया जा सके। ❖ **राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाओं (NAP) को गतिशील बनाना:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि एनएपी नवीनतम वैज्ञानिक निष्कर्षों और जलवायु डेटा को प्रतिबिंबित करें, उन्हें नियमित रूप से अद्यतन करना। ❖ **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना:** अनुकूलन प्रौद्योगिकियों और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण-दक्षिण भागीदारी (उदाहरणार्थ, आईएसए, सीडीआरआई) को मजबूत करना।
निष्कर्ष	वैश्विक जलवायु अनुकूलन प्रयासों को "रनिंग ऑन एम्प्टी (Running on Empty)" की स्थिति से बाहर निकलना होगा, जैसा कि यूएनईपी अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2025 में रेखांकित किया गया है। तेजी से बढ़ते जलवायु संकट का सामना करने के लिए, विश्व को समानतापूर्ण वित्त (Equitable Finance), नवाचार (Innovation) और एकजुटता (Solidarity) की तत्काल आवश्यकता है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

Topic 6 - ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी (TFFF) पहल	
Syllabus	पर्यावरण | पहल
संदर्भ	TFFF (ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी) **वैश्विक दक्षिण** द्वारा संचालित एक **जलवायु वित्तीय तंत्र** है, जिसे **COP30** में उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण के लिए बाजार-आधारित वित्तपोषण के माध्यम से शुरू किया गया। भारत ने इसमें एक **पर्यवेक्षक** के रूप में भाग लिया, जो वन संरक्षण को आर्थिक रूप से व्यवहार्य और वैश्विक सहयोगात्मक बनाने की क्षमता को मान्यता देता है।
TFFF क्या है?	❖ **परिभाषा:** यह एक मिश्रित-वित्त (blended-finance) तंत्र है जो वनों की कटाई रोकने वाले देशों को **परिणाम-आधारित भुगतान** के माध्यम से पुरस्कृत करता है। इन भुगतानों का वित्तपोषण निवेश से प्राप्त लाभ से होता है, न कि पारंपरिक सहायता से। ❖ **उत्पत्ति:** ब्राज़ील द्वारा **COP28 (2023) में प्रस्तावित** और **COP30 (बेलेम, ब्राज़ील, 2025)** में लॉन्च किया गया।
पहल की उत्पत्ति	❖ यह पहल **ब्राज़ील के नेतृत्व** में शुरू की गई है, जिसमें कई उष्णकटिबंधीय वन वाले देश (कोलंबिया, घाना, इंडोनेशिया, मलेशिया और डीआरसी - कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य) समर्थन कर रहे हैं। ❖ **साझेदार देश**: जर्मनी, फ्रांस, यूएई, नॉर्वे और यूके। ❖ **मुख्य सिद्धांत:** यह पहल **जलवायु न्याय** और **न्यायसंगत जलवायु वित्त** के सिद्धांतों पर आधारित है। इसका मूल विचार यह है कि **"खड़े वन गिरे हुए वनों से अधिक मूल्यवान हैं"**, जो वनों के संरक्षण के महत्व पर ज़ोर देता है।
TFFF का उद्देश्य	❖ उष्णकटिबंधीय वनों के पारिस्थितिक मूल्य का वित्तीय रूपांतरण करके एक स्थायी, आत्मनिर्भर वैश्विक कोष बनाना। ❖ समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारियाँ और संबंधित क्षमताएँ (CBDR-RC) के तहत बहुपक्षीय जलवायु सहयोग को मज़बूत करना।
मुख्य विशेषताएँ	❖ **मिश्रित-वित्त मॉडल:** स्थिर और विश्वसनीय लाभ सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक (जूनियर) और निजी (सीनियर) पूँजी का संयोजन। ❖ **बड़े पैमाने पर वित्तपोषण:** प्रारंभिक $25 बिलियन का बीज निवेश जुटाने का लक्ष्य, जिससे कुल $100 बिलियन का लाभ उठाया जा सके, और अनुमानित वार्षिक $4 बिलियन की वापसी हो। ❖ **परिणाम-आधारित भुगतान:** वन संरक्षण प्रयासों के लिए पूर्वानुमेय, प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन प्रदान करना। ❖ **स्थायी फंड संरचना:** यह एक **एंडोमेंट-शैली ट्रस्ट फंड** के रूप में कार्य करता है, जिसका अर्थ है कि यह एकमुश्त अनुदान के बजाय स्थायी लाभ सुनिश्चित करता है। ❖ **पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन:** यह कार्बन, जैव विविधता और जल चक्र को नियंत्रित करने में वनों की भूमिका को वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं के रूप में मान्यता देता है। ❖ **समानता-केंद्रित दृष्टिकोण:** यह CBDR-RC में निहित है और विकासशील वन देशों को सशक्त बनाने पर ज़ोर देता है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

Topic 7 - CITES रिपोर्ट

Syllabus	पर्यावरण एवं जैव विविधता
संदर्भ	हाल ही में साइट्स सत्यापन मिशन (CITES Verification Mission) ने भारत से आग्रह किया है कि वह गोरिल्ला, ओरांगुटान और हिम तेंदुआ (Snow Leopard) जैसी गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों के आयात को तब तक निलंबित रखे जब तक वन्यजीव अवैध व्यापार पर नियंत्रण के लिए व्यापक सुरक्षा उपाय लागू नहीं हो जाते। यह रिपोर्ट **कैप्टिव प्रजनन** (Captive Breeding) के नाम पर हो रहे अवैध व्यापार के वैश्विक खतरे को रेखांकित करती है।
वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) के बारे में	❖ **पूर्ण रूप**: कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फॉना एंड फ्लोरा। ❖ यह एक **विधिक रूप से बाध्यकारी** अंतर्राष्ट्रीय ढांचा है। इसका मुख्य लक्ष्य वन्य जीवों एवं वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इस प्रकार विनियमित करना है कि वह उनके प्राकृतिक आवास में अस्तित्व के लिए खतरा न बने। ❖ इसे **1963** में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (**IUCN**) द्वारा प्रारूपित किया गया और **1975** में यह प्रभाव में आया। ❖ **सदस्य देश:** 185 ❖ **परिशिष्ट वर्गीकरण:** ➢ **परिशिष्ट I**: अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजातियाँ, जिनके विलुप्ति का गंभीर खतरा है; इनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार **लगभग प्रतिबंधित** है। ➢ **परिशिष्ट II**: वर्तमान में संकटग्रस्त नहीं, लेकिन **अनियंत्रित व्यापार से खतरा** हो सकता है - व्यापार पर **नियंत्रण आवश्यक** है। ➢ **परिशिष्ट III**: ऐसी प्रजातियां जिन्हें किसी एक देश में संरक्षित घोषित किया गया है और जो उनके व्यापार को नियंत्रित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अपेक्षा करते हैं। ❖ **व्यापार तंत्र:** आयात एवं निर्यात केवल **राष्ट्रीय साइट्स प्राधिकरणों** (National CITES Authorities) की अनुमति से ही किए जा सकते हैं। ❖ **भारत की स्थिति:** ➢ भारत ने **1976** में CITES में **सदस्यता** ग्रहण की। ➢ भारत में वन्यजीव प्रजातियों के व्यापार, हस्तांतरण एवं स्वामित्व का विनियमन **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972** के अंतर्गत किया जाता है।
साइट्स मिशन द्वारा व्यक्त की गई चिंताएँ	❖ **मुख्य कारण**: वन्य प्रजातियों को अवैध रूप से पकड़कर उन्हें "कैप्टिव ब्रीड" घोषित करना। ❖ **फरवरी 2025 में CITES स्थायी समिति की बैठक** में यह मुद्दा उठाया गया था, जहाँ भारत के दो संस्थानों द्वारा किए गए आयात पर चिंता व्यक्त की गई: ➢ **ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एवं रिहैबिलिटेशन सेंटर (GZRRC)**, जामनगर ➢ **राधा कृष्ण टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट**, जिसका संचालन **वनतारा** (Vantara - रिलायंस पहल) द्वारा किया जाता है। ❖ हालाँकि इन संस्थानों के पास मान्य CITES परमिट थे, लेकिन सत्यापन के दौरान **निम्नलिखित अनियमितताएँ** पाई गईं: ➢ आयातित प्राणियों की **वास्तविक उत्पत्ति (True Origin)** की पुष्टि का अभाव। ➢ **कैप्टिव प्रजनन (Captive-Bred)** की स्थिति की प्रामाणिकता पर संदेह। ➢ **व्यावसायिक प्रजनकों (Commercial Breeders)** की भूमिका के संबंध में स्पष्टता की कमी।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

Topic 8 - '#23for23' पहल

Syllabus	पर्यावरण एवं जैव विविधता
संदर्भ	भारत ने **अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस (23 अक्टूबर 2025)** के अवसर पर **'#23for23' अभियान** प्रारंभ किया और देश की पहली **हिम तेंदुआ गणना रिपोर्ट** जारी की - जिसमें **हिमालय क्षेत्र में कुल 718 हिम तेंदुओं** का अनुमान लगाया गया।
'#23for23' पहल के बारे में	❖ **प्रारंभकर्ता:** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ❖ **उद्देश्य: हिम तेंदुआ संरक्षण** हेतु **जन जागरूकता बढ़ाना** और **सामुदायिक भागीदारी** को प्रोत्साहित करना। ❖ वैश्विक हिम तेंदुआ एवं पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण कार्यक्रम (GSLEP) के अंतर्गत। ❖ **दृष्टिकोण:** नागरिकों को **डिजिटल अभियानों, क्षेत्रीय गतिविधियों और स्थानीय पारिस्थितिकी प्रयासों** के माध्यम से जोड़ना।
भारत की पहली हिम तेंदुआ गणना (2025) – प्रमुख तथ्य	❖ **कुल संख्या: 718** हिम तेंदुआ ❖ **क्षेत्रीय वितरण:** ➢ **लद्दाख:** 477 (सर्वाधिक) ➢ उत्तराखंड: 71 ➢ हिमाचल प्रदेश: 51 ➢ अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम: 61 (संयुक्त रूप से) ➢ जम्मू और कश्मीर (लद्दाख को छोड़कर): 58 ❖ **गणना संचालन:** MoEFCC, WWF-India, स्नो लियोपार्ड ट्रस्ट एवं स्थानीय समुदायों द्वारा - **प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड** के अंतर्गत।

Topic 9 - रोमारी–डोंदुवा आर्द्रभूमि परिसर

Syllabus	पर्यावरण एवं जैव विविधता
संदर्भ	वन अधिकारियों और विशेषज्ञों ने असम में रोमारी–डोंदुवा आर्द्रभूमि परिसर को रामसर स्थल (अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि) घोषित करने का प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव इस तथ्य पर आधारित है कि हालिया सर्वेक्षण में इस आर्द्रभूमि में पक्षियों की विविधता (Avian Diversity), असम के मौजूदा रामसर स्थलों जैसे दीपोर बील और लोकटक झील की तुलना में कहीं अधिक पाई गई है।

आर्द्रभूमि परिसर के बारे में मुख्य जानकारी

विशेषता	विवरण (Details)
स्थान	असम के नगांव जिले में स्थित, **लाओखोवा वन्यजीव अभयारण्य** (70.13 वर्ग किमी) के भीतर, जो काजीरंगा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है।
पारिस्थितिकी तंत्र	एक परस्पर जुड़ा हुआ बाढ़भूमि–दलदली तंत्र, जो **काज़ीरंगा** और **ओरांग राष्ट्रीय उद्यानों** को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण **पारिस्थितिक गलियारा** है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

परिदृश्य	व्यापक काज़ीरंगा–ओरांग परिदृश्य का हिस्सा, जिसे लाओखोवा और बुरहाचापोरी अभयारण्यों द्वारा संरक्षित किया गया है।
क्षेत्रफल	लगभग 2.5–3 वर्ग किमी दलदली बाढ़भूमि।
जैव विविधता	जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त, जहाँ 120 से अधिक स्थानीय और प्रवासी पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं।
पक्षी गणना (2025)	कुल 47,000+ पक्षी दर्ज किए गए (रोमारी बील में 20,653 और डोंदुवा बील में 26,480)।
पारिस्थितिक भूमिका	संकटग्रस्त प्रवासी प्रजातियों के प्रजनन, घोंसले बनाने और भोजन हेतु महत्वपूर्ण आवास।

Topic 10 - प्रोजेक्ट चीता (Project Cheetah)

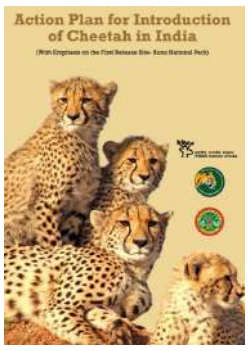

Syllabus	पर्यावरण एवं जैव विविधता
संदर्भ	नवंबर 2025 में भारत को **बोत्सवाना** (Botswana) से **8** और चीते प्राप्त हुए हैं। यह पहल **प्रोजेक्ट चीता** के अंतर्गत की गई है, जिसका उद्देश्य भारत में 1952 में विलुप्त हुई इस प्रजाति को पुनर्स्थापित करना तथा घासभूमि पारितंत्र को पुनर्स्थापित करना है।
प्रोजेक्ट चीता के बारे में	❖ प्रोजेक्ट चीता **विश्व की पहली अंतरमहाद्वीपीय** बड़े मांसाहारी (Large Carnivore) प्रजाति की स्थानांतरण पहल है। ❖ **लॉन्च:** 2022 में भारत सरकार द्वारा। ❖ **क्रियान्वयन एजेंसी:** राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अंतर्गत, वन्यजीव संस्थान, भारत (WII) की सहायता से। ❖ **पहला बैच:** नामीबिया से 8 चीते, 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री द्वारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए। ❖ **उद्देश्य:** ➢ भारत में चीतों को उनके ऐतिहासिक क्षेत्र में पुनः स्थापित करना। ➢ घासभूमि जैव विविधता को पुनर्स्थापित करना एवं शिकारी–शिकार संतुलन को मजबूत करना। ➢ इको-टूरिज्म को बढ़ावा देना एवं स्थानीय आजीविका का समर्थन करना। ❖ **कुल स्थानांतरण:** 8 नामीबिया से + 12 दक्षिण अफ्रीका से + 8 बोत्सवाना से (वर्तमान चरण)। ❖ **वर्तमान स्थिति: 35** चीते (जिनमें भारत में जन्मे 16 शावक शामिल)। ❖ **तीसरा स्थानांतरण**: 13 नवंबर 2025 को भारत ने बोत्सवाना से 8 चीते (वयस्क एवं उप-वयस्क) प्राप्त किए। ❖ समारोह **मोकोलोडी नेचर रिजर्व (बोत्सवाना)** में आयोजित हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और डूमा गिडियन बोक्रो उपस्थित रहे। ❖ **प्राथमिक आवास: कूनो राष्ट्रीय उद्यान (मध्य प्रदेश)**: उपयुक्त सवाना एवं खुली घासभूमि तथा पर्याप्त शिकार आधार के कारण चयनित। ❖ **द्वितीयक आवास**: **गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य** (मध्य प्रदेश–राजस्थान सीमा): दूसरे आवास के रूप में तैयार किया जा रहा है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

चुनौतियाँ	❖ **उच्च मृत्यु दर:** 2023–24 में 9 से अधिक चीते तनाव, संक्रमण (सेप्टीसीमिया) एवं क्षेत्रीय संघर्षों के कारण मरे। ❖ **आवासीय सीमाएँ:** कूनो दीर्घकालीन जनसंख्या वृद्धि का समर्थन नहीं कर सकता। ❖ **मानव–वन्यजीव संघर्ष:** चीतों के गाँवों में भटकने का जोखिम। ❖ **आनुवंशिक संकीर्णता:** छोटे संस्थापक समूह से सीमित जीन पूल।
चीते के बारे में	❖ **IUCN स्थिति:** ➢ अफ्रीकी चीता: सुभेद्य (Vulnerable). ➢ एशियाई चीता: अत्यधिक संकटग्रस्त (Critically Endangered) - केवल ईरान में पाया जाता है।

Topic 11 - पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance)

Syllabus	भूगोल | जलवायु विज्ञान
संदर्भ	हाल ही में भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली-एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले एक नए पश्चिमी विक्षोभ का पूर्वानुमान जारी किया है।
पश्चिमी विक्षोभ क्या है?	❖ **प्रकृति और उद्गम:** ये पूर्वाभिमुखी (Eastward-moving) अतिरिक्त-उष्णकटिबंधीय चक्रवात (निम्न दाब प्रणालियाँ) होते हैं, जिनकी उत्पत्ति भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और काला सागर क्षेत्रों में होती है। ❖ **कार्यप्रणाली (तंत्र):** उप-उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराओं द्वारा इनका परिवहन होता है, जिससे हिमालय, उत्तर भारत और पाकिस्तान में गैर-मानसूनी शीतकालीन वर्षा और हिमपात होता है। ❖ **प्रभावित भारतीय क्षेत्र:** मुख्यतः पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र (जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड) तथा उत्तर-पश्चिमी भारतीय मैदानी क्षेत्र (पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान)।
निर्माण प्रक्रिया	❖ **उद्गम (भूमध्य सागर):** जब ठंडी ध्रुवीय वायु गर्म उप-उष्णकटिबंधीय वायु से टकराती है, तब विकास आरंभ होता है। ❖ **चक्रजनन (Cyclogenesis):** उत्पन्न तापमान के विरोधाभास के कारण ऊपरी वायुमंडल में निम्न दाब प्रणाली का निर्माण होता है। ❖ **गति:** विक्षोभ उपोष्ण-पश्चिमी जेट धाराओं के साथ पूर्व दिशा में आगे बढ़ता है। यह भूमध्य सागर, कैस्पियन और काला सागर से आर्द्रता ग्रहण करके भारत की ओर आता है। ❖ **क्षीणन (Dissipation):** जब यह हिमालयी पर्वत श्रृंखला से टकराता है, तो यह नमी को वर्षा या हिमपात के रूप में गिरा देता है और कमजोर पड़ जाता है।
प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक	❖ **पश्चिमी जेट धाराएँ:** इनकी स्थिति और गति पश्चिमी विक्षोभ की आवृत्ति एवं तीव्रता निर्धारित करती है। ❖ **स्थलाकृति (हिमालय):** हिमालयी पर्वत शृंखला आर्द्र वायु को ऊर्ध्वगामी बनाती है जिससे वर्षा में वृद्धि (Orographic Precipitation) होती है। ❖ **तापमान प्रवणता:** ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय वायु द्रव्यमानों के बीच तीव्र अंतर विक्षोभ को अधिक सक्रिय

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	बनाता है। ❖ **महासागरीय दशाएँ:** भूमध्य सागर एवं यूरेशियाई क्षेत्र में समुद्री सतह के तापमान का उतार-चढ़ाव विक्षोभ की दिशा एवं प्रवाह को प्रभावित करता है।
जलवायु परिवर्तन का प्रभाव	❖ आर्कटिक के गर्म होने और जेट धाराओं के विस्थापन के कारण WD की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि। ❖ **ऋतु परिवर्तन:** अब WD मानसून महीनों में भी सक्रिय देखे जा रहे हैं, जिससे अत्यधिक वर्षा और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। ❖ **पूर्व की ओर स्थानांतरण:** विक्षोभ के निर्माण क्षेत्र अब भारत के अधिक समीप स्थानांतरित हो रहे हैं, जिससे पारंपरिक मौसमी प्रतिरूप बदल रहे हैं।

महत्व और प्रभाव

सकारात्मक प्रभाव (वरदान)	नकारात्मक प्रभाव (अभिशाप)
• **रबी फसलें:** गेहूँ, जौ, सरसों और चना जैसी फसलों के लिए आवश्यक शीतकालीन वर्षा उपलब्ध कराता है, जिससे भूजल सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। • **जल संसाधन:** हिमालयी हिमपात ग्लेशियरों को बनाए रखता है और गंगा, सिंधु जैसी नदियों के सतत प्रवाह को सुनिश्चित करता है। • **जलवायु एवं वायु गुणवत्ता:** वर्षा और हिमपात से तापमान घटता है व प्रदूषक कण धुल जाते हैं, जिससे उत्तर भारतीय शहरों में AQI सुधरता है।	• **अत्यधिक चरम मौसमी घटनाएँ:** असामयिक भारी वर्षा, ओलावृष्टि और तेज़ हवाएँ रबी फसलों को कटाई से पहले नुकसान पहुँचाती हैं (पंजाब, हरियाणा)। • **आपदाएँ:** भूस्खलन, हिमस्खलन और अचानक बाढ़ को उत्पन्न करता है (जैसे 2013 उत्तर भारत की बाढ़)। • **शीतलहर और धुंध:** विक्षोभ के बाद साफ़ आसमान के कारण न्यून तापमान व कोहरा बढ़ता है, जिससे परिवहन बाधित होता है और स्वास्थ्य प्रभावित होता है।

Topic 12 - बिहार की गोगाबील झील

Syllabus	भूगोल | पर्यावरण
संदर्भ	हाल ही में, **बिहार की गोगाबील झील** को भारत के **94वें रामसर स्थल** के रूप में मान्यता दी गई है। यह घोषणा इंडो-गंगा बेसिन में एक आर्द्रभूमि के रूप में इसके पारिस्थितिकीय महत्व, समृद्ध जैव विविधता और महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है।
गोगाबील झील के बारे में	❖ **प्रकार:** यह एक प्राकृतिक गोखुर झील (Oxbow Lake) है, जिसका निर्माण नदियों के सर्पिल प्रवाह (विसर्पण) के परिणामस्वरूप हुआ है। ❖ **अवस्थिति:** यह उत्तर में **महानंदा और कंकर** नदियों, तथा दक्षिण एवं पूर्व में **गंगा नदी** द्वारा घिरी हुई है। ❖ **संरक्षित क्षेत्र:** इसका विस्तार 57 हेक्टेयर सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र और 30 हेक्टेयर संरक्षण रिजर्व में है। ❖ **कानूनी दर्जा:** इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत वर्ष 2019 में बिहार का पहला सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। ❖ उच्च जलस्तर के दौरान, यह एक मौसमी बाढ़-क्षेत्रीय झील के रूप में कार्य करती है, जो आसपास की नदियों से जुड़ जाती है।
पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता विशेषताएँ	❖ 90+ पक्षी प्रजातियों का आवास, जिनमें 30 प्रवासी प्रजातियां (मध्य एशियाई फ्लाईवे) शामिल। ❖ **संवेदनशील प्रजातियाँ (Vulnerable Species):** कॉमन पोचार्ड, लेसर एडजुटेंट स्टॉर्क।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

❖ **निकट संकटग्रस्त (Near Threatened):** ब्लैक-नेक्ड स्टॉर्क, व्हाइट आइबिस, व्हाइट-आइड पोचार्ड।
❖ **मत्स्य प्रजनन:** यह संवेदनशील कैटफिश वालागो अट्टू का भी एक महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है।
❖ **मानव निर्भरता और चुनौतियाँ:** यह क्षेत्र स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका (मछली पकड़ना, चराई, सिंचाई) का स्रोत है, लेकिन इसे उर्वरक-जनित पारिस्थितिकीय दबाव का सामना करना पड़ रहा है।

गोखुर झील (Oxbow Lake)

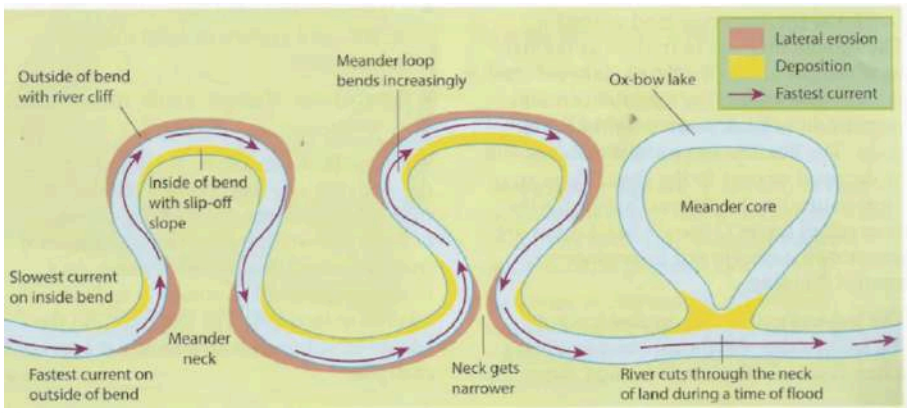

❖ ऑक्सबो झील घोड़े की नाल जैसी (U-आकार) या अर्धचंद्राकार झील होती है, जो परित्यक्त नदी के विसर्पण (मैंडर - Meander) से बनती है।
❖ **निर्माण प्रक्रिया**: नदी जब किसी तीव्र मोड़ (Sharp Bend) के बाहरी भाग को क्षरण (Erosion) द्वारा काटती है,
❖ तथा आंतरिक भाग पर अवसाद (Sediment Deposition) जमा करती है, तो समय के साथ नदी का वह मोड़ कटकर अलग हो जाता है और ऑक्सबो झील (Oxbow Lake) का रूप ले लेता है।

विसर्पण (मीयेंडरिंग - Meandering)

❖ विसर्पण से तात्पर्य नदी के सीधे मार्ग के बजाय घुमावदार, सर्पाकार वक्र विकसित करने से है।
❖ जब ये घुमाव अत्यधिक बड़े हो जाते हैं, तो समय के साथ नदी उन्हें प्राकृतिक रूप से काटकर अलग कर देती है, जिससे ऑक्सबो झील का निर्माण होता है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

SMA, SBL and Ethics

Topic 1 - ग्रामीण शिक्षा और युवा प्रवासन

Syllabus	समाजशास्त्र | जनसंख्या | प्रवासन
संदर्भ	भारत में गाँवों से शहरों की ओर बढ़ता **युवा प्रवासन** ग्रामीण शिक्षा और रोजगार में गहरे **संरचनात्मक अंतराल** को दर्शाता है। इस चुनौती से निपटने के लिए **शिक्षा को आजीविका से जोड़ना** और **गाँवों को अवसर के केंद्र** बनाना आवश्यक है।
वर्तमान प्रवासन परिदृश्य	❖ **ग्रामीण क्षेत्रों से उच्च पलायन:** भारत की आबादी का 29% प्रवासी है; इनमें से 89% **ग्रामीण क्षेत्रों** से आते हैं (PLFS 2020–21)। ❖ **युवा केंद्रित प्रवासन:** 50% से अधिक प्रवासी **15–25 वर्ष** आयु वर्ग के हैं - **उत्पादनकारी मानव संसाधन** की भारी **क्षति।** ❖ **लैंगिक विभाजन:** 86.8% महिलाएँ **विवाह** हेतु प्रवास करती हैं; पुरुष **रोजगार** हेतु। ❖ **आर्थिक प्रवृत्ति:** अपेक्षाकृत गरीब वर्ग (SC, OBC, निम्न MPCE) में विवशताजन्य/बाध्यकारी प्रवासन की प्रवृत्ति अधिक है। ❖ **व्युत्क्रम प्रवासन (रिवर्स माइग्रेशन) (2020):** कोविड लॉकडाउन के दौरान 4 करोड़ श्रमिक वापस गांव लौट आए - शहरी नौकरियों की सुभेद्यता उजागर हुई।
प्रवासन के प्रमुख कारण	❖ **प्रतिकर्ष कारक (Push Factors)** ➢ **ग्रामीण रोजगार संकट:** सीमित गैर-कृषि रोज़गार; 49% प्रवासी **दैनिक मज़दूर** हैं। ➢ **शिक्षा-कौशल असंतुलन:** डिग्रियाँ **बाजार की माँग से असंगत** हैं; स्नातक बेरोजगारी दर >15% (CMIE 2024)। ➢ **आय दबाव:** कम कृषि लाभ और स्थिर मजदूरी युवाओं को गाँव छोड़ने पर मजबूर करती है। ➢ **कमज़ोर बुनियादी ढाँचा:** परिवहन, ऋण, और डिजिटल पहुँच की कमी **उद्यमिता** को बाधित करती है। ❖ **अपकर्ष कारक: शहरों का आकर्षण:** शहर **आय और गतिशीलता** का वादा करते हैं, परंतु **असुरक्षा और शोषण** देते हैं।
प्रवासन के परिणाम	❖ **शहरी दबाव:** महानगरों में भीड़, झुग्गियाँ, और प्रदूषण बढ़ता है। ❖ **अनौपचारिक श्रम वृद्धि:** 88% प्रवासियों के पास **रोजगार सुरक्षा** या **कल्याण योजनाओं** का अभाव है। ❖ **ग्रामीण जनसंख्या ह्रास:** युवाओं की कमी से **कृषि उत्पादकता** में कमी और **स्थानीय शासन** कमजोर होते है। ❖ **लैंगिक विषमता:** महिला प्रवासी प्रायः **रोजगार में शामिल नहीं होतीं**, जिससे **निर्भरता** बढ़ती है। ❖ **मानसिक तनाव:** पारिवारिक अलगाव से **अकेलापन, चिंता** और **आर्थिक तनाव** बढ़ता है।
सरकारी हस्तक्षेप	❖ **मनरेगा:** ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी सुरक्षा, जिससे **बाध्यकारी प्रवासन** में कमी लाई जा सके। ❖ **दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)** एवं **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY):** कौशल प्रशिक्षण एवं **रोजगारोन्मुखी शिक्षा** प्रदान करती हैं। ❖ **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PM-MUDRA), स्टार्टअप इंडिया, एवं स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम:** ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं। ❖ **10,000 एफपीओ योजना: सामूहिक खेती** एवं **कृषि मूल्य श्रृंखला** का विस्तार।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	❖ **भारतनेट** एवं **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY):** ग्रामीण क्षेत्रों में **कनेक्टिविटी** और **डिजिटल रोजगार** को बढ़ावा देते हैं।
आगे की राह	❖ **शिक्षा को रोजगार से जोड़ना:** ग्रामीण विद्यालयों में **कृषि-प्रौद्योगिकी**, **डिजिटल कौशल** एवं **व्यावसायिक शिक्षा** को शामिल करना। ❖ **स्थानीय अर्थव्यवस्था का विविधीकरण: हस्तशिल्प, लॉजिस्टिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा,** एवं **कृषि-पर्यटन** को बढ़ावा देना। ❖ **ग्रामीण डिजिटल हब बनाना: 5G, ई-कॉमर्स,** और **टेलीवर्क केंद्र** में निवेश। ❖ **व्युत्क्रम प्रवासन प्रोत्साहित करना:** रायगढ़ के **बलराम बंदागले** जैसे **स्थानीय प्रेरणास्रोतों** को समर्थन देना। ❖ **पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करना: PDS, पेंशन,** और **स्वास्थ्य बीमा** को सार्वभौमिक रूप से **पोर्टेबल** बनाना।
निष्कर्ष	प्रवासन को **विवशता से आकांक्षा** में बदलना होगा। यदि हम **ग्रामीण शिक्षा को रोजगार** से जोड़ें, **स्थानीय उद्यमों** को सशक्त करें, और **अवसरों का विकेंद्रीकरण** करें - तो भारत के गाँवों को **विकास के इंजन** में बदला जा सकता है।

Topic 2 - भारतीय दर्शन में पर्यावरणीय नैतिकता	
Syllabus	अनुप्रयुक्त नैतिकता
संदर्भ	भारतीय दर्शन प्रकृति को पवित्र मानता है और इसे मानवीय चेतना से जोड़ता है। यह परिप्रेक्ष्य सतत जीवन और पारिस्थितिक संतुलन के लिए एक मजबूत नैतिक नींव प्रदान करता है।
परिभाषा	❖ यह एक नैतिक ढाँचा है जिसके अंतर्गत प्रकृति को चेतना का विस्तार माना जाता है, और पृथ्वी की रक्षा को **धर्म** (नैतिक कर्तव्य) के रूप में समझा जाता है।
प्रमुख सिद्धांत (Key Characteristics)	❖ **समग्र दृष्टिकोण:** पंचमहाभूत (पाँच तत्व) मानव और पृथ्वी के कल्याण को आपस में जोड़ते हैं। ❖ **नैतिक संरक्षकता:** प्रकृति को हानि पहुँचाना स्वयं को हानि पहुँचाने के समान माना जाता है। ❖ **अहिंसा का विस्तार:** 'अहिंसा' के सिद्धांत को सभी जीवित प्राणियों और प्राकृतिक तत्वों तक विस्तृत किया गया है। ❖ **आध्यात्मिक पारिस्थितिकी:** पर्यावरणीय समस्याओं या क्षरण को आंतरिक असंतुलन का एक लक्षण माना गया है। ❖ **सततता और आध्यात्मिकता:** पारंपरिक पद्धतियाँ (जैसे पवित्र उपवन, वर्षा जल संचयन) गहन पारिस्थितिकी नैतिकता पर आधारित हैं।
भारतीय दार्शनिक दृष्टिकोण	❖ **वैदिक–उपनिषदिक:** ब्रह्मांड को पवित्र जीव माना गया (ईशावास्यम् - नदियाँ, वृक्ष और पशु देवतुल्य पूजे जाते हैं)। पृथ्वी को माता (पृथ्वी) और मनुष्य को उसकी संतान (माता भूमिः पुत्रोऽहम् पृथिव्याः) माना गया। ➢ **ऋत (सामाजिक/ब्रह्मांडीय व्यवस्था):** एक सार्वभौमिक नियम जो मानव, देवताओं और प्रकृति के बीच संतुलन सुनिश्चित करता है। ➢ **धर्म:** पर्यावरण के प्रति नैतिक कर्तव्य; वनों, नदियों और पशुओं की रक्षा को नैतिक जिम्मेदारी माना गया। ❖ **आयुर्वेद:** मानव स्वास्थ्य पर्यावरणीय शुद्धता का प्रतिबिंब है। मिट्टी, जल और वायु को जीवित इकाइयाँ माना गया। ❖ **जैन धर्म:** अहिंसा को पृथ्वी, जल और वायु तक विस्तृत किया गया। **अपरिग्रह** (गैर-संग्रहण) संयम और सह-अस्तित्व को बढ़ावा देता है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	❖ **बौद्ध धर्म:** प्रतीत्यसमुत्पाद (परस्पर उत्पत्ति) पारस्परिक निर्भरता को दर्शाता है; करुणा पारिस्थितिक देखभाल का मार्गदर्शन करती है। ❖ **सिख धर्म:** वायु = गुरु, जल = पिता, पृथ्वी = माता। पर्यावरणीय देखभाल को **सेवा** (निःस्वार्थ सेवा) का रूप माना गया।
पश्चिमी पर्यावरणीय नैतिकता के दृष्टिकोण	❖ **गहन पारिस्थितिकी:** सभी जीवों का अंतर्निहित मूल्य है; पारिस्थितिक-केंद्रित जीवन का समर्थन करता है। ❖ **उपयोगितावादी पर्यावरणवाद:** निर्णय अधिकतम मानव के लाभ पर आधारित होते हैं। ❖ **पारिस्थितिकी नारीवाद (इकोफेमिनिज़्म):** प्रकृति के शोषण को महिलाओं के उत्पीड़न से जोड़ता है; पोषणकारी नैतिकता की वकालत करता है।
वर्तमान चुनौतियाँ	❖ आध्यात्मिकता का इको-मार्केटिंग/ब्रांडिंग तक सीमित होना। ❖ शहरी जीवन के कारण प्रकृति से बढ़ता अलगाव। ❖ नीतियों में नैतिक आधार का अभाव; वे अंतरात्मा की बजाय केवल अनुपालन पर केंद्रित हैं। ❖ अनुष्ठानिक प्रदूषण और पारंपरिक पारिस्थितिक मूल्यों के बीच विरोधाभास। ❖ आधुनिक भारत में आर्थिक विकास बनाम पारिस्थितिक संरक्षण की नैतिक दुविधा।
समाधान और भावी रणनीति (आगे का मार्ग)	❖ शिक्षा में पारिस्थितिक नैतिकता को शामिल करना (अहिंसा, पंचभूत सामंजस्य)। ❖ राष्ट्रीय अभियानों (जैसे जल जीवन, नमामि गंगे, PRANAM) में विज्ञान और आध्यात्मिकता का समन्वय करना। ❖ स्थानीय समुदायों और धार्मिक स्थलों को पारिस्थितिक संरक्षक के रूप में सशक्त बनाना। ❖ पवित्र प्राकृतिक स्थलों की रक्षा के लिए तकनीक (AI/GIS) का उपयोग। ❖ भारत के पारिस्थितिक दर्शन को वैश्विक मंचों (COP-30, UNESCO) पर प्रस्तुत करना।
निष्कर्ष	भारतीय दर्शन प्रकृति और आत्मा को एक ही चेतना के रूप में मान्यता देता है। इस बंधन को पुनः स्थापित करने से पर्यावरण संरक्षण एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाती है, जो भारत को करुणा और सतत विकास की ओर प्रेरित करती है।

Topic 3 - सिविल सेवाओं में लैंगिक प्रतिनिधित्व में अंतराल

Syllabus	लोक प्रशासन | लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका
संदर्भ	UPSC के हालिया आँकड़े सिविल सेवाओं में लगातार **लैंगिक असमानता** (40% से कम महिला भागीदारी और नगण्य ट्रांसजेंडर उपस्थिति) को उजागर करते हैं। यह स्थिति समान प्रतिनिधित्व के मार्ग में संरचनात्मक, सामाजिक और संस्थागत बाधाओं को दर्शाती है।
मुख्य प्रवृत्तियाँ और आँकड़े (2010–2021)	❖ **महिलाओं की कम भागीदारी:** महिला अभ्यर्थियों की संख्या 23.4% से बढ़कर 32.98% हुई है, लेकिन यह अभी भी 40% के लक्ष्य से काफी कम है। ❖ **सफलता दर में कमी:** 2021 में, अंतिम मेरिट सूची में केवल 15.66% महिलाएँ ही स्थान बना पाईं। ❖ **ट्रांसजेंडर समुदाय का लगभग शून्य प्रतिनिधित्व:** 2021 में सिर्फ चार ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों की उपस्थिति शून्य भागीदारी के लगभग बराबर है।
निम्न प्रतिनिधित्व के मूल कारण	❖ **सामाजिक और सांस्कृतिक अवरोध:** ➢ पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना के कारण महिलाओं की आवाजाही (गतिशीलता) और अध्ययन के घंटों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ➢ पारंपरिक पारिवारिक अपेक्षाएँ उनके करियर विकल्पों को सीमित करती हैं।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	❖ **आर्थिक विषमता:** ➢ उच्च कोचिंग शुल्क एक बड़ी बाधा है, जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और निम्न-आय वर्ग की महिलाओं को तैयारी करने से रोकती है। ❖ **सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** ➢ सुरक्षा के मुद्दे महिलाओं को दिल्ली जैसे प्रमुख शैक्षिक और कोचिंग केंद्रों में जाकर तैयारी करने से रोकते हैं। ❖ **जीवन-चरण आधारित दबाव:** ➢ विवाह का सामाजिक दबाव अक्सर तैयारी की निरंतरता को भंग करता है। ➢ इस दबाव के कारण कई महिलाएँ 27 वर्ष की आयु तक तैयारी की प्रक्रिया से बाहर हो जाती हैं। ❖ **संस्थागत समर्थन की कमी:** ➢ पर्याप्त हॉस्टल सुविधाओं, विशिष्ट परामर्श (काउंसलिंग) और मार्गदर्शन कार्यक्रमों जैसे आवश्यक समर्थन बुनियादी ढांचे की कमी है।
सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक	❖ **बढ़ी हुई जागरूकता और शिक्षा:** बेहतर शैक्षिक अवसरों और जागरूकता अभियानों के कारण महिला उम्मीदवारों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। ❖ **प्रेरणादायक हस्तियों का प्रभाव:** सफल रोल मॉडल छोटे शहरों (टियर-II/III) के उम्मीदवारों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रहे हैं। ❖ **सरकारी सहायता और नीतियाँ:** महिलाओं के कौशल विकास पर केंद्रित सरकारी योजनाएँ उनकी भागीदारी को बढ़ावा दे रही हैं। ❖ **समावेशी कानूनी सुधार:** हालिया कानूनी बदलाव ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की प्रक्रिया को सरल बना रहे हैं। ❖ **शिक्षा प्रणाली में लैंगिक संवेदनशीलता:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 का उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में लैंगिक संवेदनशीलता के स्तर को बढ़ाना है।
लैंगिक-संतुलित सिविल सेवाओं का महत्व	❖ **बेहतर शासन:** ये समावेशी शासन को बढ़ावा देती हैं और कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रभावी वितरण के लिए आवश्यक हैं। ❖ **बेहतर विकासात्मक परिणाम:** महिला अधिकारियों के नेतृत्व में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं। ❖ **नैतिकता और ईमानदारी:** महिला अधिकारी अक्सर भ्रष्टाचार की कम प्रवृत्ति प्रदर्शित करती हैं, जिससे उच्च ईमानदारी सुनिश्चित होती है। ❖ **प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व:** यह नेतृत्व के प्रतीकात्मक मूल्य को बढ़ाता है और सत्ता में महिलाओं की सामाजिक स्वीकृति को बढ़ाता है। ❖ **प्रतिनिधित्व आधारित नीति निर्माण:** यह सुनिश्चित करता है कि नीतिगत निर्णय लैंगिक-विशिष्ट आवश्यकताओं को लक्षित करते हुए प्रतिनिधित्व आधारित हों।
आगे की राह: सिफारिशें	सिविल सेवाओं में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं: ❖ **समर्थन और मार्गदर्शन:** महिलाओं और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए विशेष फेलोशिप और संरचित मार्गदर्शन कार्यक्रम शुरू करना। ❖ **डेटा पारदर्शिता:** संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा वार्षिक लैंगिक-विभाजित आँकड़ों का प्रकाशन अनिवार्य करना। ❖ **कार्यस्थल लचीलापन और आवश्यक समर्थन:** ➢ क्रेच सुविधाएँ लागू करना। ➢ लचीली पोस्टिंग सुनिश्चित करना।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	➢ पर्याप्त अवकाश जैसी आवश्यक समर्थन प्रणालियाँ लागू करना। ❖ **अवसंरचना विस्तार:** राज्य संचालित हॉस्टल और कोचिंग केंद्रों की संख्या में वृद्धि करना। ❖ **सांस्कृतिक बदलाव:** स्कूल पाठ्यक्रम और व्यापक मीडिया अभियानों के माध्यम से लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देना।
निष्कर्ष	लोकतांत्रिक निष्पक्षता और प्रशासनिक व्यवस्था की प्रभावशीलता के लिए लैंगिक विविधता वाली सिविल सेवा प्राप्त करना आवश्यक है। इसके लिए समान पहुँच सुनिश्चित करने, सुरक्षा की गारंटी देने और भारत की सामाजिक संरचना को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करने वाले संस्थागत समर्थन का निर्माण करने हेतु समर्पित प्रयासों की आवश्यकता है।

Topic 4 - भारत में ट्रांसजेंडर अधिकार

Syllabus	संवेदनशील वर्ग
संदर्भ	भारत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कानूनी और कल्याणकारी प्रावधानों को आगे बढ़ा रहा है। वैश्विक स्तर पर सामाजिक स्वीकृति, समावेशी स्वास्थ्य सेवाएँ और व्यापक समावेशन की आवश्यकता पर बढ़ते ध्यान के बीच यह कदम महत्वपूर्ण है।
स्थिति और संवैधानिक आधार	❖ **जनगणना 2011:** 4.87 लाख स्वयं-घोषित ट्रांसजेंडर व्यक्ति (माना जाता है कि वास्तविक संख्या अधिक है)। ❖ **ऐतिहासिक मान्यता:** NALSA निर्णय (2014) ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को **'तीसरे लिंग'** के रूप में कानूनी मान्यता दी, जिसमें आत्म-पहचान के अधिकार और सकारात्मक कार्रवाई का निर्देश शामिल था। ❖ **संवैधानिक संरक्षण:** ➢ **अनुच्छेद 14:** समानता का अधिकार। ➢ **अनुच्छेद 15 एवं 16:** लिंग/जेंडर आइडेंटिटी के आधार पर भेदभाव का निषेध। ➢ **अनुच्छेद 19:** अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (जेंडर आइडेंटिटी सहित)। ➢ **अनुच्छेद 21:** गरिमा, स्वायत्तता, स्वास्थ्य और गोपनीयता का अधिकार।
प्रमुख पहल और विधायी ढाँचा	❖ **ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019:** इस अधिनियम ने कानूनी पहचान सुनिश्चित की, भेदभाव को प्रतिबंधित किया, विशिष्ट अपराधों को परिभाषित किया और शिक्षा में समावेश का प्रावधान किया। ❖ **नियम (2020):** इसके तहत प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाया गया और कल्याण बोर्डों एवं संरक्षण प्रकोष्ठों की स्थापना की गई। ❖ **राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद (NCTP):** यह परिषद नीतिगत सलाह देती है और शिकायतों का निवारण करती है। ❖ **राष्ट्रीय पोर्टल (2020):** प्रमाणपत्र, पहचान पत्र और सरकारी योजनाओं तक पहुँच के लिए एक डिजिटल मंच। ❖ **स्माइल (SMILE) योजना (2022):** यह हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए व्यापक सहयोग, आजीविका और उद्यम पर केंद्रित है। ➢ **योजना के घटक:** छात्रवृत्ति, कौशल विकास, गरिमा गृह आश्रय स्थल। ➢ **आयुष्मान भारत TG Plus:** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए विशेष स्वास्थ्य बीमा कवरेज। ❖ **समान अवसर नीति:** सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में समावेशी भर्ती को बढ़ावा देना।
प्रमुख चुनौतियाँ	❖ **सामाजिक एवं व्यक्तिगत:** उच्च सामाजिक कलंक, हिंसा और इससे उत्पन्न होने वाला पारिवारिक, शैक्षिक

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	एवं रोजगार बहिष्कार। ❖ **आर्थिक असुरक्षा:** औपचारिक रोजगार दर कम होना और अस्थिर आजीविका पर निर्भरता। ❖ **स्वास्थ्य सेवा में बाधाएँ:** प्रशिक्षित चिकित्सा पेशेवरों की कमी, उपचार की उच्च लागत और सीमित बीमा कवरेज। ❖ **कार्यान्वयन की समस्याएँ:** दस्तावेजों में जेंडर अपडेट की जटिल और असंगत नौकरशाही प्रक्रियाएँ; योजनाओं को कम फंडिंग और पहुँच की कमी के कारण कम प्रभावी होना। ❖ **आवास असुरक्षा:** व्यापक आवास संकट, भेदभाव और अपर्याप्त आश्रय विकल्प।
भविष्य के लिए सिफारिशें	❖ **मजबूत कार्यान्वयन:** 2019 अधिनियम और 2020 नियमों का सख्ती से क्रियान्वयन; कल्याण बोर्डों और संरक्षण प्रकोष्ठों को सक्रिय करना। ❖ **स्वास्थ्य सेवा का विस्तार:** TG Plus योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में जेंडर-अफर्मिंग केयर (सर्जरी, हार्मोन थेरेपी, परामर्श) को पूरी तरह से शामिल करना। ❖ **क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण:** चिकित्सा पाठ्यक्रमों में ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य सेवा को शामिल करना और स्वास्थ्य प्रदाताओं को विशेष प्रशिक्षण देना। ❖ **उत्कृष्टता केंद्र (Centres of Excellence):** जेंडर-अफर्मिंग केयर के लिए समर्पित केंद्र स्थापित करना, जिससे पहुँच बढ़े और मेडिकल टूरिज्म को भी प्रोत्साहन मिल सके। ❖ **संसाधन और रणनीति:** फंडिंग में वृद्धि करना तथा आजीविका, आवास और स्वास्थ्य सहयोग के लिए एक सुदृढ़ राष्ट्रीय रणनीति विकसित करना। ❖ **प्रशासनिक सुधार:** दस्तावेज़ीकरण प्रक्रियाओं को सरल बनाना और भेदभाव-रोधी कानूनों को और अधिक मज़बूत करना।
निष्कर्ष	भारत ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कानूनी अधिकारों को वास्तविक सामाजिक समानता में परिवर्तित करने की दिशा में कार्य कर रहा है। प्रतिबद्ध कार्यान्वयन, समावेशी स्वास्थ्य सेवाएँ, मजबूत सामाजिक सुरक्षा तंत्र और गरिमा पर ध्यान केंद्रित करके भारत एक न्यायसंगत एवं समावेशी समाज की ओर अग्रसर है।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

Miscellaneous

Topic 1 - खाद्य और कृषि की स्थिति (The State of Food and Agriculture)

Syllabus	कृषि
संदर्भ	खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) की 2025 की वार्षिक फ्लैगशिप रिपोर्ट ने मानव-जनित भूमि क्षरण के कारण वैश्विक फसल भूमि की उत्पादकता में आ रही गिरावट पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। यह गिरावट फसल उत्पादकता अंतराल (Yield Gaps) को बढ़ा रही है, जिससे विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए खाद्य सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है।
रिपोर्ट के बारे में	❖ ***FAO*** द्वारा प्रकाशित **वार्षिक** फ्लैगशिप रिपोर्ट। ❖ वैश्विक कृषि और खाद्य प्रणाली से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर साक्ष्य-आधारित विश्लेषण प्रदान करती है। ❖ **2025 थीम:** भूमि क्षरण का विभिन्न भूमि स्वामित्व पैमानों पर समाधान। ❖ **केंद्रबिंदु (Focus):** भूमि क्षरण और उसका कृषि उत्पादकता, आजीविका एवं स्थिरता पर प्रभाव।
प्रमुख रुझान	❖ **व्यापक क्षरण:** वैश्विक कृषि भूमि का लगभग 20% हिस्सा मानव-जनित क्षरण (मुख्य रूप से कृषि विस्तार) के कारण उत्पादकता में गिरावट दर्ज कर रहा है। ❖ **गहराता उपज अंतराल:** संभावित और वास्तविक उपज के बीच का अंतर (उपज अंतराल) 70% तक पहुँच गया है, जो दक्षिण एशिया और उप-सहारा अफ्रीका में सबसे अधिक है। ❖ **मृदा स्वास्थ्य पर प्रभाव:** मृदा कार्बन में गिरावट आ रही है, जिससे मिट्टी की जल धारण क्षमता और जलवायु आघातों के प्रति लचीलापन कम हो रहा है। ❖ **खेत के आकारानुसार संवेदनशीलता:** ➢ **छोटे किसान:** ये कुल कृषि इकाइयों का 84% हैं, हालांकि केवल 12% भूमि धारित करते हैं। वित्त और तकनीक तक सीमित पहुँच के कारण वे भूमि क्षरण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। ➢ **बड़े किसान:** शीर्ष 1% कृषक 70% भूमि धारित करते हैं। मोनोक्रॉपिंग और अत्यधिक उर्वरक उपयोग जैसी प्रथाओं के कारण ये भी क्षरण का सामना कर रहे हैं। ❖ **जलवायु परिवर्तन से संबंध:** क्षरणग्रस्त मृदा CO_2 उत्सर्जित करती है, जिससे SDG 15.3 (भूमि क्षरण तटस्थता) के लक्ष्य की प्राप्ति बाधित होती है।
विश्लेषणात्मक नवाचार एवं मात्रात्मक प्रभाव	❖ **क्षरण ऋण मॉडल:** ML-आधारित उपकरण, 30% वृक्ष आवरण और 20% बायोमास कार्बन हानि दर्शाता है। ❖ **आर्थिक हानि का आकलन:** वैश्विक क्षरण लागत ≈ 300 अरब अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष। ❖ **उपज अंतराल सहसंबंध:** क्षरण में 10% वृद्धि → उपज अंतराल 2% अधिक।

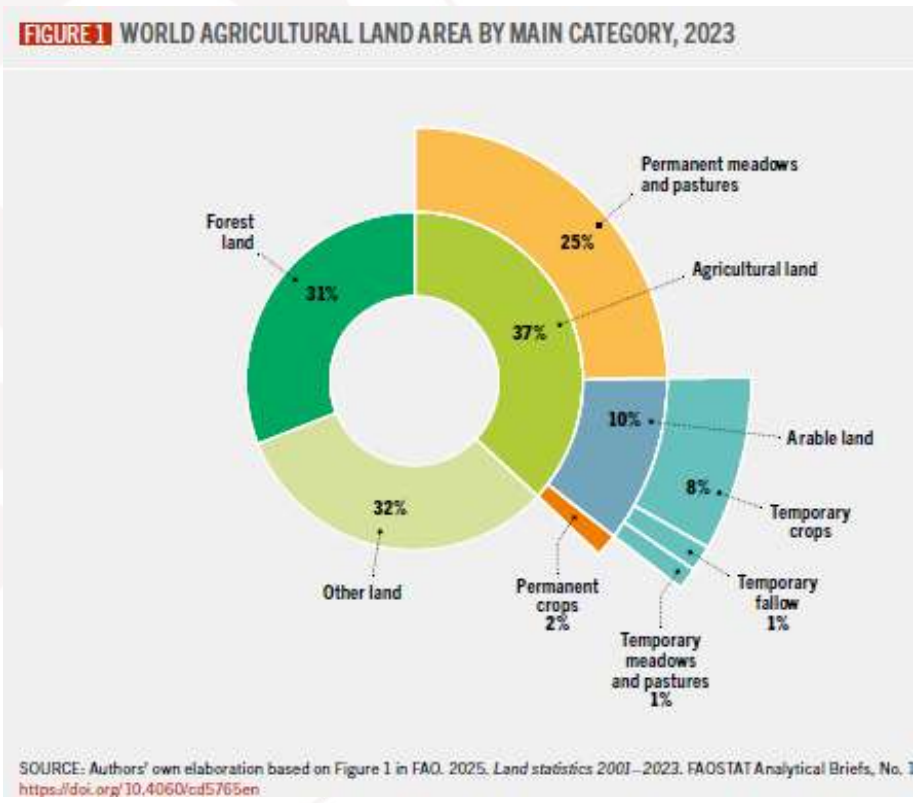

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	❖ **माप-विशिष्ट नीतियाँ:** *GAEZ v5* डेटाबेस विभिन्न खेत आकारों हेतु लक्षित हस्तक्षेप सक्षम करता है।
अंतराल / विफलताएँ	❖ **निगरानी कमजोरी:** निम्न आय वाले देशों में सैटेलाइट डेटा और तकनीकी निगरानी क्षमता का अभाव। ❖ **वित्तीय विखंडन:** पुनर्स्थापन वित्त असंगत और कमजोर समन्वित। ❖ **नीति साइलो:** भूमि क्षरण प्रयासों का जलवायु कार्रवाई (SDG 13) व आजीविका लक्ष्य (SDG 8) से सीमित एकीकरण। ❖ **पारंपरिक ज्ञान की उपेक्षा:** आदिवासी और पारंपरिक कृषि प्रणालियों को नीतिगत ढाँचों में पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया गया।
FAO की सिफारिशें	FAO भूमि क्षरण प्रबंधन हेतु "परिहार (Avoid) → न्यूनीकरण (Reduce) → व्युत्क्रम (Reverse)" नीति पदानुक्रम की वकालत करता है, जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (STI) पर आधारित लचीली, समावेशी और सतत खाद्य प्रणाली सुनिश्चित करता है। ❖ **लक्ष्य-केंद्रित नीतियाँ:** लघु किसानों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए भुगतान (PES) लागू करना और बड़े खेतों पर इनपुट उपयोग को नियंत्रित करना। ❖ **वित्तीय सुदृढ़ीकरण:** कार्बन फार्मिंग और पुनर्योजी कृषि को बढ़ावा देकर पुनर्स्थापन वित्त जुटाना। ❖ **समावेशी मॉडल:** स्थानीय समुदायों को सशक्त करना और लैंगिक-समावेशी, समुदाय-नेतृत्व वाले मॉडल को प्रोत्साहन देना। ❖ **निगरानी तंत्र को मजबूत करना:** वास्तविक-समय ट्रैकिंग के लिए वैश्विक भूमि क्षरण डेटा हब स्थापित करना। ❖ **SDG संरेखण:** भूमि नीतियों को SDG 2 (शून्य भुखमरी), SDG 13 (जलवायु कार्रवाई) और SDG 15 (स्थलीय जीवन) के साथ संरेखित करना।
निष्कर्ष	FAO की 2025 की रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि वैश्विक कृषि भूमि का पाँचवां हिस्सा क्षरण से प्रभावित है, जो फसल उत्पादकता अंतर को और बढ़ा रहा है। अतः वर्ष 2030 तक खाद्य सुरक्षा और जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विज्ञान-सम्मत, त्वरित और समानता-आधारित पुनर्स्थापन उपायों की आवश्यकता है।

Topic 2 - वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025

Syllabus	रिपोर्ट्स | स्वास्थ्य
संदर्भ	वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 निरंतर वैश्विक प्रगति को दर्शाती है, परंतु यह पुष्टि करती है कि भारत अब भी विश्व का सबसे बड़ा टीबी बोझ वहन करता है, यद्यपि घटनाओं और मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है।
वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के बारे में	❖ **यह क्या है:** यह डब्ल्यूएचओ (WHO) द्वारा प्रकाशित वार्षिक आकलन है जो क्षय रोग से संबंधित वैश्विक रुझानों और प्रगति का मूल्यांकन करता है। ❖ **उद्देश्य:** WHO एंड टीबी रणनीति (2015–2035) के लक्ष्यों को ट्रैक करना – 2030 तक मृत्यु दर में 90% की कमी और घटनाओं में 80% की कमी।
वैश्विक प्रवृत्तियाँ	❖ **घटनाओं में कमी:** 2023–24 के बीच वैश्विक टीबी घटनादर में 1.7% की गिरावट। ❖ **बोझ का संकेंद्रण:** दक्षिण-पूर्व एशिया (34%), पश्चिमी प्रशांत (27%), अफ्रीका (25%)। ❖ **उच्च-बोझ वाले राष्ट्र:** भारत (25%) > इंडोनेशिया (10%) > फिलीपींस (6.8%) > चीन (6.5%)। ❖ **औषधि प्रतिरोध:** MDR–TB अब भी एक प्रमुख वैश्विक चुनौती, लगभग 5 लाख नए DR–TB मामले प्रतिवर्ष दर्ज – धीमी प्रगति का संकेत।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

भारत-विशिष्ट प्रदर्शन (2015–2024)

भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है, परंतु अभी भी यह वैश्विक टीबी मामलों में एक प्रमुख योगदानकर्ता है:

मापदंड	2015	2024 (नवीनतम)	प्रगति	वैश्विक योगदान
घटनाएँ (प्रति 100,000)	237	187	21% की कमी	**25%** (वैश्विक मामलों का)
मृत्यु दर (प्रति 100,000)	28	21	उल्लेखनीय कमी, लेकिन अभी भी 3/100k लक्ष्य से ऊपर	वैश्विक **मृत्यु** में **28%** का योगदान
औषधि-प्रतिरोधी टीबी	-	-	धीमी प्रगति	वैश्विक डीआर-टीबी का 32%
केस डिटेक्शन	-	2.61 मिलियन निदान (अनुमानित 2.7 मिलियन में से)	उच्च	
उपचार कवरेज	53%	92%	उल्लेखनीय वृद्धि	नीतिगत लाभ जैसे **निक्षय 2.0** और **टीबी-मुक्त भारत अभियान** ने केस पहचान और उपचार कवरेज को रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ाने में मदद की।

टीबी उन्मूलन हेतु पहल

वैश्विक	भारत
❖ **WHO एंड टीबी रणनीति (2015–2035)** ➢ लक्ष्य: 2030 तक क्षय रोग मृत्यु में 90% कमी और घटना दर में 80% कमी। ❖ **एड्स, टीबी तथा मलेरिया से लड़ने के लिए वैश्विक कोष** ➢ उच्च-बोझ देशों में टीबी कार्यक्रमों के लिए अरबों डॉलर की फंडिंग प्रदान करता है। ❖ **संयुक्त राष्ट्र उच्च-स्तरीय बैठकें:** वित्तपोषण, वैक्सीन, और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल हेतु प्रतिबद्धताएँ। ❖ **स्टॉप टीबी पार्टनरशिप**: सामुदायिक भागीदारी। ❖ **डब्ल्यूएचओ दिशानिर्देश (2024–25):** अद्यतन निदान एवं एमडीआर-टीबी प्रोटोकॉल।	❖ **राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन रणनीतिक योजना (2017–2025):** 2025 तक लक्षित क्षय रोग उन्मूलन (संयुक्त राष्ट्र एसडीजी 2030 से पांच वर्ष पूर्व)। ❖ **निक्षय पोर्टल एवं निक्षय मित्र योजना** ➢ क्षय रोगी ट्रैकिंग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म। व सामुदायिक-सहयोग आधारित पोषण/सामाजिक सहायता। ❖ **निक्षय पोषण योजना** ➢ उपचार के दौरान क्षय रोगियों को मासिक ₹1000 पोषण सहायता। ❖ **पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान** ➢ जागरूकता अभियान, घर-घर स्क्रीनिंग और ग्रामीण जागरूकता ड्राइव्स। ❖ **निदान:** सीबीएनएएटी, टूएनएटी तथा एआई-आधारित स्क्रीनिंग का देशव्यापी विस्तार।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

Topic 3 - पूर्वी प्रचंड प्रहार – त्रि-सेवा अभ्यास	
Syllabus	रक्षा | सैन्य अभ्यास
संदर्भ	यह त्रि-सेवा (Tri-Service) सैन्य अभ्यास अरुणाचल प्रदेश के मेचुका (Mechuka) क्षेत्र में आयोजित किया गया, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के निकट स्थित है।
पूर्वी प्रचंड प्रहार के बारे में	❖ **पूर्वी कमान** (Eastern Command) के अंतर्गत थलसेना, नौसेना और वायुसेना का संयुक्त त्रि-सेवा युद्धाभ्यास। ❖ **स्थान:** अरुणाचल प्रदेश का मेचुका (Mechuka) क्षेत्र, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के निकट स्थित है। ❖ **उद्देश्य:** ➢ भारत की संयुक्त युद्धक क्षमता को मजबूत करना। ➢ उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों में बदलते खतरों के अनुरूप सैन्य तत्परता को उन्नत करना। ➢ थल, वायु और समुद्री डोमेनों में **इंटरऑपरेबिलिटी (परस्पर संचालन क्षमता)** बढ़ाना। ➢ संशोधित संयुक्त सिद्धांतों और **त्वरित प्रतिक्रिया रणनीतियों** का परीक्षण करना। ➢ उच्च हिमालयी भू-भाग में बहु-क्षेत्रीय (Multi-Domain) अभियानों को मान्य करना। ➢ **उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों** में युद्धक चपलता, सामरिक तैयारी और गतिशीलता को मज़बूत करना। ❖ **प्रमुख विशेषताएँ** ➢ इस अभ्यास को पहली बार "सेव एंड रेज़ (Save and Raise)" मॉडल की **नई लाइट फॉर्मेशन** नामक नई युद्धक इकाइयों द्वारा संचालित किया गया। यह नवाचार बिना अतिरिक्त वित्तीय बोझ के अधिक कुशल संचालन सुनिश्चित करता है। ➢ **निरंतरता**: यह पूर्व आयोजित "**भाला प्रहार** (2023)" और "**पूर्वी प्रहार** (2024)" जैसे संयुक्त त्रि-सेवा अभ्यासों की अगली कड़ी है।

Topic 4 - ऑपरेशन त्रिशूल (Operation Trishul)	
Syllabus	सुरक्षा एवं रक्षा | सैन्य अभ्यास
संदर्भ	भारत ने पाकिस्तान द्वारा अपने वायु क्षेत्र को प्रतिबंधित करने संबंधी नोटम (NOTAM) जारी करने के बीच, **सर क्रीक क्षेत्र** के पास एक वृहद **त्रि-सेवा सैन्य अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल** - प्रारंभ किया है। यह क्षेत्रीय तैयारी और सामरिक तत्परता के उच्च स्तर का संकेत है।
ऑपरेशन त्रिशूल के बारे में	❖ **क्या है:** यह **थल सेना, नौसेना और वायु सेना** द्वारा संयुक्त रूप से किया गया **वृहद सैन्य अभ्यास** है - जिसका उद्देश्य **भूमि, वायु, समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष क्षेत्रों** में **एकीकृत युद्ध तत्परता** का परीक्षण करना है। ❖ **प्रारंभकर्ता:** भारत सरकार का **रक्षा मंत्रालय।** ❖ **अभ्यास क्षेत्र: राजस्थान और गुजरात** - विशेष रूप से **सर क्रीक**, **कच्छ का रण** एवं **सौराष्ट्र तट** के आसपास। ❖ **फोकस**: मरुस्थलीय युद्ध कौशल, उभयचर अभियान तथा तटीय रक्षा अभ्यास।
उद्देश्य	❖ **युद्ध-सदृश परिस्थितियों** में **संयुक्त युद्ध संचालन** की पुष्टि। ❖ **पश्चिमी सीमा** पर **प्रतिरोध क्षमता** को सुदृढ़ करना।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

	❖ **आत्मनिर्भर भारत** का प्रदर्शन - स्वदेशी प्रणालियों और **AI-आधारित तकनीकों** की तैनाती। ❖ **बहु-आयामी और हाइब्रिड खतरों** के लिए तैयारी।
प्रमुख विशेषताएँ	❖ **विशाल भागीदारी**: 20,000+ सैनिक, राफेल एवं सुखोई-30 MKI, S-400 प्रणाली, मुख्य युद्धक टैंक (MBT) एवं हॉवित्जर। ❖ **उप-अभ्यास:** ➢ **त्रिनेत्र:** इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और ड्रोन-रोधी अभियान ➢ **महागजराज:** एकीकृत वायु संचालन ❖ **नौसैनिक शक्ति**: **फ्रिगेट्स, विध्वंसक पोत (Destroyers)** और **उभयचर इकाइयाँ** — जामनगर और अपतटीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा। ❖ **प्रौद्योगिकी-संचालित युद्ध**: स्वदेशी ड्रोन, ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) प्रणालियाँ एवं **AI-सक्षम कमांड नेटवर्क** का उपयोग।

Topic 5 - मालाबार अभ्यास 2025	
Syllabus	सुरक्षा | रक्षा
संदर्भ	**गुआम** में आयोजित **मालाबार अभ्यास 2025**, क्वाड नौसैनिक सहयोग को मजबूत करता है, तथा समुद्री सुरक्षा, अंतर-संचालन और स्थिर हिंद-प्रशांत के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।
मालाबार अभ्यास क्या है?	❖ मालाबार अभ्यास एक प्रमुख **बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास** है, जिसमें **क्वाड** के चारों **सदस्य देश** - भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया - शामिल होते हैं। ❖ **मुख्य उद्देश्य:** ➢ क्वाड देशों के बीच नौसैनिक सहयोग को मज़बूत करना। ➢ समुद्री सुरक्षा समन्वय को बढ़ावा देना। ➢ इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में संयुक्त परिचालन क्षमताओं में सुधार करना। ❖ **ऐतिहासिक विकास**: ➢ **उत्पत्ति (1992):** यह अभ्यास मूल रूप से भारत और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय पहल के रूप में शुरू हुआ था। ➢ **विस्तार:** ■ **2015:** जापान एक स्थायी प्रतिभागी के रूप में शामिल हुआ। ■ **2020:** ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी के साथ, क्वाड के सभी सदस्यों की पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुई। ➢ **विकास क्रम:** समय के साथ, अभ्यास बुनियादी नौसैनिक ड्रिल्स से विकसित होकर अत्यधिक उन्नत संयुक्त अभियानों का रूप ले चुका है। मेज़बानी की ज़िम्मेदारी क्वाड देशों के बीच बारी-बारी से बाँटी जाती है। ❖ **मालाबार 2025 (10-18 नवम्बर):** ➢ **आयोजन स्थल:** अमेरिका के प्रशांत क्षेत्र, गुआम, में आयोजित किया जाएगा। ➢ **गतिविधियां:** इसमें दो मुख्य चरण शामिल होंगे - **हार्बर चरण** (बंदरगाह पर गतिविधियाँ) और **समुद्री चरण** (समुद्र में अभ्यास)।

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

Topic 6 - ICA विश्व सहकारिता मॉनिटर 2025

Syllabus	रैंक एवं सूचकांक
संदर्भ	भारत ने एक अभूतपूर्व उपलब्धि दर्ज की है, जिसमें **अमूल** (GCMMF) और **इफको** (IFFCO) ने ICA विश्व सहकारिता मॉनिटर 2025 में वैश्विक स्तर पर शीर्ष दो स्थानों पर कब्जा किया है। यह सफलता 'सहकार से समृद्धि' के दृष्टिकोण के तहत देश की सहकारिता शक्ति का प्रमाण है।
आईसीए विश्व सहकारिता मॉनिटर (WCM) के बारे में	❖ **यह क्या है?** ➢ यह वार्षिक वैश्विक रिपोर्ट है जो विश्व की सबसे बड़ी सहकारी समितियों और म्यूचुअल्स के आर्थिक एवं सामाजिक प्रदर्शन का विश्लेषण करती है। ➢ सहकारी समितियों के आर्थिक भार, रोजगार प्रभाव और सामाजिक योगदान का आकलन करती है। ➢ समावेशी विकास और सतत विकास में सहकारी समितियों की भूमिका को उजागर करती है। ❖ **प्रकाशन: अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ** (ICA) (ब्रुसेल्स) एवं **EURICSE** (सहकारी एवं सामाजिक उद्यमों पर यूरोपीय अनुसंधान संस्थान) द्वारा। ❖ **रैंकिंग मानदंड**: दो प्रमुख सूचियाँ ➢ **निरपेक्ष टर्नओवर (Absolute Turnover)** (आर्थिक योगदान)। ➢ **प्रति व्यक्ति जीडीपी के सापेक्ष टर्नओवर** (सामाजिक-आर्थिक योगदान/सदस्य प्रभाव)। ➢ **प्रथम प्रकाशन:** यह रिपोर्ट 10+ वर्षों के वैश्विक सहकारी प्रदर्शन हेतु तुलनात्मक डेटा प्रदान करती है।

Rankings by Turnover over GDP per Capita. TURNOVER/GDP PER CAPITA: TOP 10

Rank 2023	Organisation	Country	Economic Activity	Type	Turnover/GDP per capita 2023	Number of Employees 2023	FTE or Headcount
1	Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd (AMUL)	India		Producer	2,899,260	1,600	Headcount
2	IFFCO	India		Producer	2,555,994	4,454	Headcount
3	Groupe Crédit Agricole	France		Consumer/ User	2,403,513	145,000	Headcount
4	Sistema Unimed	Brazil		Worker	1,898,376	146,761	Headcount
5	Groupe BPCE	France		Consumer/ User	1,853,431	97,835	FTE

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken

Your Notes

Copyright © 2025 Connect Civils. All rights reserved. Unauthorized copying and reproduction of this content is strictly prohibited. Legal action will be taken